ISSN 2455-6181

वर्ष : 14 अंक : 3 मार्च 2016 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

Celebrating 125th Birth Anniversary Of Dr. B.R. Ambedkar
125 Years
1891-2016
Dr. Ambedkar Foundation

महिला सशक्तिकरण

by
Narendra Modi
e Minister of India

दिनांक 21 मार्च, 2016 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के शिलान्यास समारोह एवं डॉ. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए साथ में हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री थावरचंद गेहलोत, राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं श्री विजय सांपला

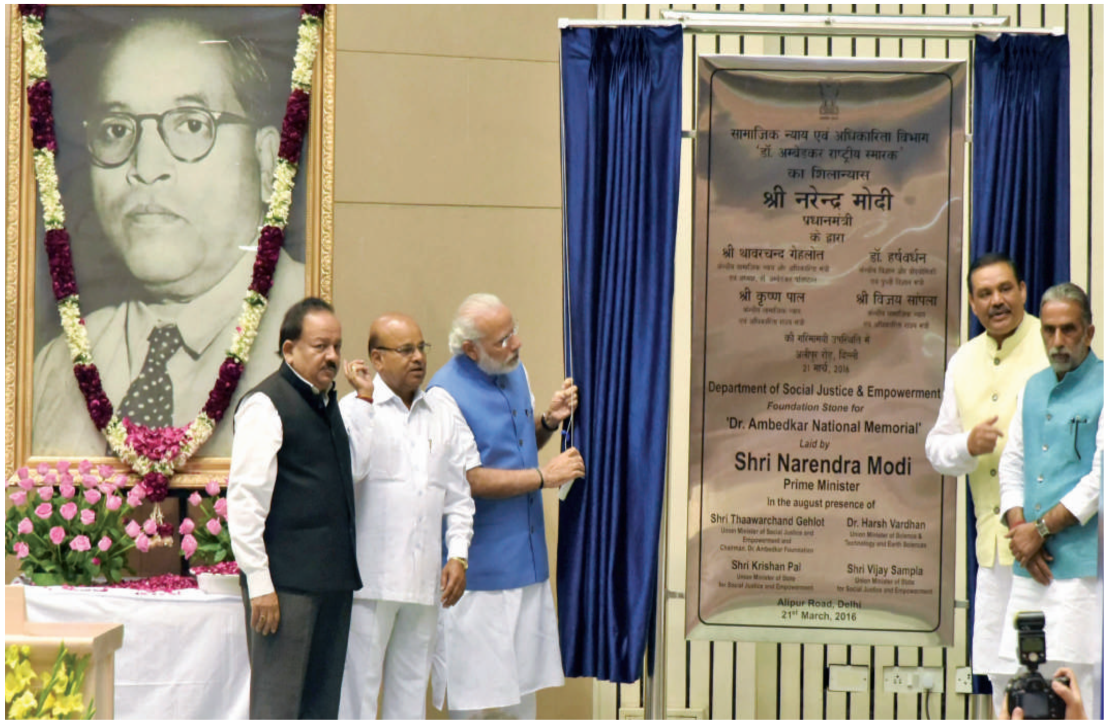
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
'डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक'
का शिलान्यास
श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
के द्वारा
श्री थावरचन्द गेहलोत
डॉ. हर्षवर्धन
श्री कृष्ण पाल
श्री विजय सांपला
Department of Social Justice & Empowerment
Foundation Stone for
'Dr. Ambedkar National Memorial'
Laid by
Shri Narendra Modi
Prime Minister
In the august presence of
Shri Thaawarchand Gehlot
Dr. Harsh Vardhan
Shri Krishan Pal
Shri Vijay Sampla
Alipur Road, Delhi
21st March, 2016

दिनांक 21 मार्च, 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 26, अलीपुर रोड स्थित (बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाण स्थल) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री थावरचन्द गेहलोत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं श्री विजय सांपला

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 3 ★मार्च 2016 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
प्रो. राजकुमार फलवरिया
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110001
सम्पादकीय सम्पर्क **011-23320588**
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-**23357625**
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com
वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)
आवरण परिकल्पना : सुधीर हिलसायन

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

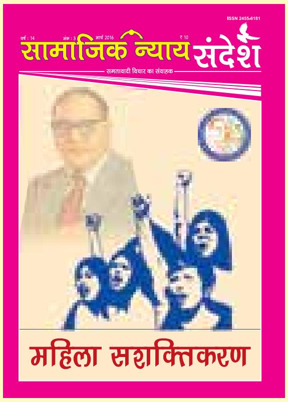
सामाजिक न्याय संदेश

महिला सशक्तिकरण

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/महिला सशक्तिकरण और बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर	सुधीर हिलसायन	2
❖ स्त्री सशक्तिकरण का प्रश्न और डॉ. अम्बेडकर की भूमिका	डॉ. चैनसिंह मीना	4
❖ स्त्री सशक्तिकरण : इतिहास और वर्तमान	कन्हैयालाल चंचरीक	9
❖ नारी की अस्मिता के लिए जागरुकता के साथ संघर्ष भी आवश्यक	डॉ. प्रभु चौधरी	13
❖ महिला-सशक्तिकरण की आधारशिला: हिन्दू कोड बिल	बृजेश कुमार यादव	15
❖ संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के अवसर पर दिनांक 23 फरवरी 2016 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण		18
❖ 27 मार्च 2016 का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन		23
❖ पुस्तक अंश/बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर-जीवन चरित	धनंजय कीर	28
❖ डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26, अलीपुर रोड, दिल्ली का शिलान्यास एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा छठवां डॉ. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान		37
❖ यात्रा वृतांत/मुक्ति के आकाश में मेरी पहली विदेश यात्रा	वंदना	43
❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	47
❖ कविताएं/मम्मी-पापा और बेटी, घर कैसे खड़ा होगा? हौसलों की जंजीर	डॉ. अनिल सूर्या	56
❖ कविताए/संविधान, बदलता भारत	संघमित्रा गौतम	57
❖ लघु कथा/कर्म का फल	गायत्री वर्मा	57

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250
डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001
के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

सम्पादकीय

महिला सशक्तिकरण और

सशक्तिकरण से अभिप्राय किसी इकाई व्यक्ति या समष्टि की उस क्षमता से है जिससे उसमें स्वनिर्णय लेने की योग्यता आ जाए। वह अपने जीवन से जुड़े सारे निर्णय स्वयं ले सके इसके लिए हमें व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी सौंपने के लिए व उसके अधिकार को सम्मानित करने के लिए तैयार रहना होता है। एक सम्यक राष्ट्र व समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें दूसरों के अधिकारों को सम्मान देना ही होगा, उसे अवसर मुहैया कराना ही होगा तब ही एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की संकल्पना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। और जहां बात आधी दुनिया अर्थात् कुल आबादी की पचास फीसदी आबादी का हो तो उसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के 'एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना' का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के तौर पर अपने अथक परिश्रम व सोच-विचार से तैयार 'हिन्दू कोड बिल' को संसद में पास होने में विफल रहने के उपरांत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

महिला सशक्तिकरण हेतु उनकी प्रतिबद्धता को उपरोक्त प्रसंगों से आसानी से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए नारी को सशक्त करने में एक 'सशक्त समृद्ध समाज' बनाने की उनकी प्रबल आकांक्षा के सामने 'मंत्री पद' या मंत्री की कुर्सी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी।

कोई देश-समाज क्या अपनी आधी आबादी को विकास की मुख्य धारा में लाए बिना 'सशक्त समाज' 'सशक्त राष्ट्र' का सपना देख सकता है, बिल्कुल नहीं।

उपर्युक्त सवालों का सम्यक विश्लेषण डॉ. अम्बेडकर की उस सोच को उजागर करता है जिसमें वे एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए देश-समाज की आधी आबादी को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कानून मंत्री के तौर पर जब 'हिन्दू कोड बिल' प्रस्तुत किया। उनका 'हिन्दू कोड बिल' एक सुविचारित बिल था। अपने द्वारा चलाए गए सामाजिक आन्दोलनों में उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को लेकर बहुत सारे आन्दोलनों को दिशा दी थी।

1920 में जब डॉ. अम्बेडकर ने अपने आन्दोलनों का शुभरम्भ किया तो महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर साथ दिया। महिलाओं की समस्याओं पर बाबासाहेब ने गंभीरता पूर्वक सोचना और विचारना शुरू कर दिया। यूं तो बहुत सारी महिलाएं बाबासाहेब का साथ दे रही थीं, परन्तु जिन महिलाओं ने सक्रिय रूप से उनका साथ दिया उनमें से वेणुबाई भटकर और रंगूभाई शुभाकर के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने इस देश को सही मायने में एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, विचार, आदर्श, ध्येय और कर्त्तव्य का सम्यक मूल्यांकन किया जाए तो इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर इस देश-समाज के ऐसे देश भक्त थे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी इस देश समाज को मजबूत करने के लिए अपनी अंतिम श्वांस तक संघर्ष किया।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर ने समता सैनिक दल में भी महिला शाखाओं की अलग से स्थापना की थी। नागपुर में 1930 में महिलाओं का अलग से सम्मेलन आयोजित किया गया था। 20 जुलाई, 1942 को आयोजित 'अखिल भारतीय दलित महिला' सम्मेलन में तकरीबन 25,000 महिलाओं ने शिरकत किया था, बाबासाहेब उस महिला सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता सुलोचना डोंगरे ने की थी। उस परिषद् की स्वागताध्यक्ष कीर्ति पाटिल एवं मुख्य सचिव इन्दिरा पाटिल थीं। महिलाओं की इस परिषद् की सफलता से बाबासाहेब बहुत खुश हुए थे। दरअसल बाबासाहेब की यह खुशी उनके महिलाओं के विकास के प्रति समर्पण को ही दर्शाता है।

1944 में कानपुर में अखिल भारतीय दलित महिला परिषद् का एक और आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता कुमारी शांताबाई ने की थी। इस समाज की सभी महिलाओं की समस्याओं का निदान और उनका सम्यक विकास डॉ. अम्बेडकर की चिंताओं का मुख्य विषय रहा है। अपने सामाजिक आन्दोलन के प्रारंभिक चरण में वे दलित महिलाओं को संगठित करने व महिलाओं की समस्याओं को नजदीक से समझने की कोशिश व उस पर सम्यक चिंतन कर कार्य-योजना बना रहे थे। उन्होंने खेतों में, कल-कारखानों में काम करने वाली सभी वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया। 1942 में वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री रहते हुए मजदूरी बढ़ाने के विशेष उपबंध किए।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। जीवन पर्यंत अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि उनका संघर्ष किससे है बल्कि वे अपने ध्येय को मद्देनजर रखते हुए अपना सब कुछ लुट जाने की परवाह किए बगैर अपने काम में लगे रहे।

आज देश में महिलाओं के सशक्तिकरण / विकास की जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं या महिलाओं के विकास का जो खाका प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका श्रेय बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को ही जाता है, यह बात और है कि यदि डॉ. अम्बेडकर का 'हिन्दू कोड बिल' 1951 में पास हो गया होता तो आज महिलाओं के विकास की तस्वीर कुछ और ही होती।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों को प्रचारित-प्रसारित करने के मुख्य उद्देश्य से 24 मार्च 1992 को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। प्रतिष्ठान की स्थापना के 24वें वर्ष के अवसर पर सुधी पाठकों, लेखकों को बहुत-बहुत बधाई।

(सुधीर हिलसायन)

डॉ. अम्बेडकर ने समता सैनिक दल में भी महिला शाखाओं की अलग से स्थापना की थी। नागपुर में 1930 में महिलाओं का अलग से सम्मेलन आयोजित किया गया था। 20 जुलाई, 1942 को आयोजित 'अखिल भारतीय दलित महिला' सम्मेलन में तकरीबन 25,000 महिलाओं ने शिरकत किया था, बाबासाहेब उस महिला सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता सुलोचना डोंगरे ने की थी। उस परिषद् की स्वागताध्यक्ष कीर्ति पाटिल एवं मुख्य सचिव इन्दिरा पाटिल थीं। महिलाओं की इस परिषद् की सफलता से बाबासाहेब बहुत खुश हुए थे। दरअसल बाबासाहेब की यह खुशी उनके महिलाओं के विकास के प्रति समर्पण को ही दर्शाता है।

स्त्री सशक्तिकरण का प्रश्न और डॉ. अम्बेडकर की भूमिका

■ **डॉ. चैनसिंह मीना**

भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत ‘यत्र पूज्यन्ते नारी, रमन्ते तत्र देवता’ या ‘मातृदेवो भव:’ जैसी स्त्री-संबंधी धारणा यूँ ही प्रचलित नहीं हुई। उक्त धारणाएँ प्राचीन सामाजिक जीवन में स्त्री-जीवन की सम्माननीय स्थिति की ही सूचक हैं। डॉ. अम्बेडकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों की सम्मानित स्थिति को स्पष्ट करते हैं- ‘स्मृतिकाल विशेष रूप से मनु के पूर्व तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को वेद की शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्त्रियाँ न केवल वेद मंत्रों का उच्चारण करती थीं बल्कि वेद की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में पारंगत एवं उनकी मीमांसा में पटु भी थीं। स्त्रियाँ शिक्षक थीं एवं कन्याओं को पढ़ाती थीं। विशेष रूप से धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म के ज्ञान में स्त्रियाँ बहुत निपुण थीं। जनक एवं सुलभा तथा याज्ञवल्क्य एवं गार्गी आदि के मध्य संवादों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में अनेक ऐसे अवसर आये जब स्त्रियों ने पुरुषों के साथ खुली बहस में भाग लिया।’[1] लेकिन ‘मनुस्मृति’ में स्त्रियों व शूद्रों के लिए कठोर नियम बना दिये गए। स्त्री के संबंध में ‘मनुस्मृति’ में उल्लेख है-

‘बाल्ये पितुर्वंशे तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्राणा भर्तरि प्रेते न भजेत स्त्री स्वतन्त्रताम।’[2]

अर्थात् ‘स्त्री को बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था अथवा पति की मृत्यु के उपरांत पुत्र के अधीन रहना चाहिये। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिये।’ इन नियमों से समाज में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की बनी रही। भारतीय इतिहास के अवलोकन और आज की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि वर्ण-व्यवस्था और जातिभेद के तहत होने वाले शोषण की सर्वाधिक शिकार निश्चित तौर पर स्त्री ही हुई है। यही कारण है कि उसका संघर्ष पुरुषों की तुलना में व्यापक हो जाता है। स्त्री शोषण की शुरुआत के साथ ही इसका विरोध भी मुखर हो गया था लेकिन आधुनिक काल में आकर स्त्री-मुक्ति के लिए अधिक प्रयास हुए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर इस दृष्टि से सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरकर सामने आते हैं। उनसे पूर्व इस क्षेत्र में राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, शाहूजी महाराज, पेरियार आदि ने व्यापक प्रयास किए। दरअसल स्त्री की शोषित स्थिति का मूल कारण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री को बतौर साधन के रूप में देखना है। उमा चक्रवर्ती के अनुसार ‘जाति व्यवस्था और पितृसत्ता से केवल उन मुट्ठीभर पुरुषों को फायदा होता है जो समाज व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित हैं शेष जो भी इस व्यवस्था में शामिल हैं वे इस के पुनरोत्पादन में बतौर साधन ही इस्तेमाल होते हैं।’[3] आज स्त्री की भूमिका बदली है और अस्मिता का स्वरूप भी, किन्तु नहीं बदला है तो अमानवीय और अवैज्ञानिक आधार पर उस पर होने वाला शोषण। ‘उत्तराधिकार कानूनों के माध्यम से पूँजी और पूँजी के आधार पर राजसत्ता, संसद, समाज, संपत्ति, शिक्षा और कानून व्यवस्था सब पर मर्दों का कब्जा है। नियम, कायदे-कानून, परंपरा, नैतिकता, आदर्श और न्याय सिद्धांत-सब पुरुषों ने ही बनाए हैं और वे ही उन्हें समय-समय पर परिभाषित और परिवर्तित करते रहते हैं। हमेशा अपने वर्ग-हितों की रक्षा करते हुए।’[4] डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय नारी

के शोषण तथा दुर्गति की ऐतिहासिकता और व्यापकता को तोड़ने का आह्वान किया। संविधान द्वारा स्त्री को स्वतन्त्रता एवं समानता का अधिकार प्रदान किए जाने से सिद्धान्ततः स्त्री की स्थिति में सुधार तो आया था किन्तु डॉ. अम्बेडकर की निगाह में यह नाकाफी था। उनका मानना था कि विवाह और संपत्ति पर अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए बिना स्त्री-मुक्ति संभव नहीं है। अपने इस विश्वास को मूर्त रूप देने की दृष्टि से उन्होंने एक व्यापक सामाजिक विधान की रूपरेखा निर्मित की, जिसे **'हिन्दू कोड बिल'** के नाम से जाना जाता है।

'हिन्दू कोड बिल' क्या है? इस बिल में कौन-से प्रावधान हैं? स्त्री जीवन के लिए यह कितना महत्त्वपूर्ण है? इन प्रश्नों के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर कहते हैं 'हिन्दू कोड बिल इस देश में विधानसभा द्वारा हाथ में लिया गया सबसे महत्त्वपूर्ण समाज सुधार है। कोई भी कानून जो इस देश में पारित हुआ अथवा जो संभवतः पारित होगा, महत्व की दृष्टि से, हिन्दू कोड बिल की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। वर्ग-वर्ग, लिंग-लिंग के बीच असमानता की उपेक्षा करके, जो हिन्दू समाज का मूलाधार है, आर्थिक समस्याओं के संबंध में कानून बनाया जाना हमारे संविधान का उपहास और गोबर के ढ़ेर पर महल बनाए जाने के समान है। हिन्दू कोड बिल का इतना महत्त्व है जिसे मैं उसके साथ जोड़ता हूँ। इसी बिल के खातिर मतभेद होते हुए भी मैं मंत्रिमंडल में बना रहा। अतएव यदि मैंने कोई गलती की है तो इस आशा से कि कोई शुभ परिणाम निकले।'[5] भारत में स्त्री अधिकारों की स्थिति के संदर्भ में वे विचार व्यक्त करते हैं- 'स्वाधीन भारत में स्त्री को भी पुरुषों की भाँति समान अधिकार चाहिए। हिन्दू कोड उसी दिशा की ओर एक कदम है। भारत की नारियाँ इस कोड के पारित हो जाने पर अपने वैद्य तथा चिरवंचित अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। सारे सभ्य संसार के समाजों में स्त्रियों की ऐसी दुर्गति नहीं, जैसी भारत की नारी की है। जंगली जातियों में भी स्त्रियों को भारत की नारियों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति में नारियों ने भी पुरुषों की भांति संघर्ष किया है।'[6] 1951 ई. में संसद में अपने 'हिन्दू कोड बिल' के मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने 27 सितम्बर, 1951 ई. को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉ. अम्बेडकर भली-भाँति जानते थे कि स्त्री मानवीय समाज का आधा हिस्सा है, अतः स्त्री सशक्तिकरण के लिए ही वे न चाहते हुए मंत्रिमंडल में बने रहे। बाद में 'हिन्दू कोड बिल' अलग-अलग अधिनियमों के रूप में 1956 ई. में चार भागों में संसद द्वारा पारित किया गया- 'हिन्दू विवाह अधिनियम', 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम', 'हिन्दू अल्पसंख्यक और गार्जियन कानून', 'हिन्दू गोद और भरण-पोषण कानून'। उक्त कानूनों और अधिकारों के कारण ही सभी धर्मों अर्थात् हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई स्त्रियों को न केवल मानवीय अधिकार मिले अपितु उनकी सामाजिक प्रगति को भी आश्रय मिला।

'हिन्दू कोड बिल' को लेकर डॉ. अम्बेडकर की राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई। लेकिन उन्होंने महज स्त्री समस्याओं को ही संसद के समक्ष रखा था। उन्होंने संसद में 'हिन्दू कोड बिल' को पेश करते हुए कहा था कि 'यदि आप हिन्दू प्रणाली, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उसमें जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उनको सुधारने में तनिक भी संकोच न करें। 'हिन्दू कोड बिल' हिन्दू प्रणाली की केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारना चाहता है जो विकृत हो गई हैं। इससे अधिक यह कुछ नहीं है।' यह ऐसा महत्त्वपूर्ण मसौदा था जिसमें स्त्री के विवाह की तत्कालीन न्यूनतम आयु में वृद्धि, एक विवाह का अनिवार्य किया जाना, अंतर्जातीय विवाह को मान्यता, स्त्रियों को पुरुषों के समान तलाक का अधिकार, तलाक़शुदा स्त्री को पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता, स्त्री को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार, स्त्री को गोद लिए जाने एवं गोद लेने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रावधान थे। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था 'मुझे भारत का संविधान बनाने में इतनी प्रसन्नता नहीं जितनी हिन्दू कोड बिल को पारित कराने पर होगी क्योंकि इससे समूचा स्त्री समुदाय लाभान्वित होगा और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल जाएँगे।'

स्त्री संदर्भ में वेश्यावृति आज की बहुत बड़ी समस्या है। भूख, गरीबी, मजबूरी आदि के कारण ही स्त्रियाँ इस समस्या की जकड़ में आती हैं। उन्हें सामाजिक जीवन में किसी भी अधिकार के लायक नहीं समझा जाता। स्त्री से जुड़ी इस वीभत्स समस्या पर भी डॉ. अम्बेडकर केन्द्रित हुए। इस समस्या के निराकरण के संदर्भ में वे महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है। 'यदि आप हम सबके साथ रहना चाहती हैं तो अपनी जीवन पद्धति को बदलें। आप विवाह कर समाज की अन्य महिलाओं

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहते हैं 'हिन्दू कोड बिल' इस देश में विधानसभा द्वारा हाथ में लिया गया सबसे महत्त्वपूर्ण समाज सुधार है। कोई भी कानून जो इस देश में पारित हुआ अथवा जो संभवतः पारित होगा, महत्त्व की दृष्टि से, हिन्दू कोड बिल की तुलना में कहीं नहीं ठहरता।

की भांति सम्मानपूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। वेश्यावृति के घृणास्पद जीवन के अलावा आजीविका कमाने के समाज में सैंकड़ों तरीके हैं। जब तक आप वेश्यावृति के घृणास्पद जीवन का परित्याग नहीं करतीं तब तक समाज में आपको उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो सकेगा।'[7]

सवर्ण समाज के वर्चस्व के चलते भारत में चाहे ठाकुर हो या नबाब, पटेल, जमींदार, ठाकुर, सामंत आदि कोई भी हो स्त्री के प्रति सभी का नजरिया लगभग एक ही रहा। फिर चाहे वह स्त्री सवर्ण हो या दलित। पितृसत्ता का यह वर्चस्व आजादी के बाद भी बना हुआ है। यहाँ तक की कानून के रक्षक भी इस दृष्टि से कम नहीं। यहाँ एक उदाहरण दृष्टव्य है- 'झारखंड की आदिवासी युवती सुषमा बड़ाईक का उसके हालातों का नाजायज फायदा उठाते हुए वर्ष 2005 में रांची के पूर्व आइ. जी.पी. एस. नटराजन ने अपने पद का रौब दिखते हुए पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया ...सुषमा बड़ाईक इसके पूर्व हुए बलात्कार के कारण दोषियों को सजा दिलाने की फरियाद लेकर नटराजन के पास गई थी, जहां वह पुनः बलात्कार की शिकार हो गई अर्थात् रक्षक ही भक्षक बन गया।'[8] स्त्री समस्याएँ किसी क्षेत्र विशेष की नहीं अपितु पूरे भारत की है। भारतीय संदर्भ में यदि स्त्री की बात करें तो वह 'परिवार के बाहर हिंसा, लूट, दमन, शोषण और उत्पीड़न से बचने के लिए..स्त्री परिवार या विवाह संस्था की 'घरेलू गुलामी' स्वीकार करती है। लेकिन परिवार में ही हिंसा (भ्रूण हत्या, हत्या, दहेज हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, यौन-शोषण) और उत्पीड़न कम नहीं। इसलिए वह प्रायः घर छोड़ने पर विवश होती है या कर दी जाती है।'[9] मधुमिता, नैना साहनी, दामिनी आदि से जुड़ी क्रूर घटनाएँ रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सम्पूर्ण भारत में ऐसी घटनाएँ रोज घटित हो रही हैं। यह समाज का कटु यथार्थ है। स्त्री-सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है तो इस यथार्थ को स्वीकारना ही होगा। 'आज हकीकत यह है कि संविधान में ऐसा कुछ कोरा पड़ा है जिसे व्यवस्थाओं ने लागू नहीं किया। कहने के लिए कानून भी स्त्री-अधिकारों को सुरक्षित रखने कि दुहाई देता है, पर समाज के घरों में 'स्त्री' की जो तस्वीरें देखने-सुनने को प्रायः मिल जाती हैं वे त्रासद ज्यादा हैं खुश हाल कम, घरों से बाहर जो स्त्रियाँ श्रम व्यापार से जुड़ी हुई हैं उनका भी हाल बदतर है।'[10] भारतीय समाज में स्त्री को लेकर अनेक अंतर्विरोध व्याप्त हैं। पितृसत्ता एक ओर स्त्री की बहुमुखी भूमिका को सिरे से खारिज करने का निरंतर प्रयास करती है तो दूसरी ओर स्त्री को समकक्ष और सहयोगी होने से रोकती है। 'भारत जैसे पितृसत्तात्मक देश और पुरुष वर्चस्ववादी समाज में आज भी औरतें दलितों में दलित और अपने घर में ही शोषण और अपमान का शिकार हैं। देश की निरक्षर जनता का तीन-चौथाई हिस्सा औरतों का है। लगभग सात हजार स्त्रियाँ हर साल दहेज हत्या का शिकार होती हैं और पिता या पति के सहयोग के अभाव में लगभग हर साल चालीस हजार स्त्रियाँ देह व्यापार करने पर मजबूर होती हैं। यह किसी भी समाज की शर्मिंदा करने वाली हकीकतें हैं।'[11]

कानून भी स्त्री-अधिकारों को सुरक्षित रखने कि दुहाई देता है, पर समाज के घरों में 'स्त्री' की जो तस्वीरें देखने-सुनने को प्रायः मिल जाती हैं वे त्रासद ज्यादा हैं खुश हाल कम, घरों से बाहर जो स्त्रियाँ श्रम व्यापार से जुड़ी हुई हैं उनका भी हाल बदतर है।'

समाज में स्त्री की स्थिति शोषित या दोयम दर्जे की रही है। दलित-स्त्री के संदर्भ में यह स्थिति और भी अधिक भयावह है। पहले वह वर्णव्यवस्था एवं जातिप्रथा का शिकार होती है फिर पितृसत्ता का। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर अपने तमाम दलित मुक्ति आंदोलनों में दलित स्त्री को भी विस्मृत नहीं करते और दलित-स्त्रियों से आग्रह करते हैं कि वे सभी दलित आंदोलनों में भागीदारी अदा करें। उन्होंने दलित-स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि "आप भी इस देश की नागरिक हैं इसलिए उन सभी अधिकारों की आप अधिकारी है जो सवर्ण स्त्री को प्राप्त हैं। आपके बच्चों को भी वैसा ही सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए जैसे सवर्ण स्त्रियों के बच्चों को हासिल है। आप में और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं, फिर आपसे भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार क्यों किया जाता है? आप में और उन माताओं में जब किसी प्रकार का फर्क नहीं तो आप भी सम्मान की हकदार हैं। इसके लिए आप को ही संघर्ष करना पड़ेगा।'[12] दलित स्त्री से जुड़ा शोषण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है।

1857 ई. के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और उसके बाद के आंदोलनों में दलित स्त्री का सराहनीय योगदान होते हुए भी इतिहास में उसके साथ न्याय नहीं किया गया। इन साहसी स्त्रियों में उदादेवी पासी, आशा देवी, झलकारी बाई, अवन्ती बाई, वीरांगना अजीजन बाई आदि नाम उल्लेखनीय हैं। चारु गुप्ता उल्लेख करती हैं कि 'दलित वीरांगनाओं के आख्यान भारतीय अतीत में उनकी सघन उपस्थिति से भरे हुए हैं। दरअसल 1857 के सशस्त्र संघर्ष में दलित महिला प्रतीकों की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है।'[13] स्त्री संदर्भ में इतिहास में हुई इस नाइंसाफी को डॉ. अम्बेडकर भली-भाँति जानते थे। अतः उन्होंने दलित स्त्रियों के आत्मसम्मान को जाग्रत करने

की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किये। दलित-स्त्रियों के प्रति उनका सम्बोधन था कि 'आप स्वच्छ रहिए, दुर्गुणों से दूर रहिए, अपनी संतानों को अच्छी तरह पढ़ाइए और शिक्षित कीजिये। उनकी लघु ग्रंथि को दूर कीजिये। मेरी इस सलाह को मानकर आप सब अपनी भी उन्नति करेंगी और समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकेंगी।'[14]

भारत में आज भी छोटे-छोटे विवादों को लेकर दलित महिलाओं को सवर्णों द्वारा नंगा करके पूरे गाँव में घुमाया जाता है, पीटा जाता है, सामूहिक बलात्कार कर उनकी अस्मिता को नेस्तनाबूद किया जाता है। स्त्री को डायन, कुल्टा, अपशकुनी आदि कहकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्त्री पर होने वाली ऐसी वीभत्स घटनाओं के बाद भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। भारत में ये घटनाएँ रोज घटित होती हैं किन्तु मीडिया भी इन पर चुप्पी साधे रहता है।

भारत में आज भी छोटे-छोटे विवादों को लेकर दलित महिलाओं को सवर्णों द्वारा नंगा करके पूरे गाँव में घुमाया जाता है, पीटा जाता है, सामूहिक बलात्कार कर उनकी अस्मिता को नेस्तनाबूद किया जाता है। स्त्री को डायन, कुल्टा, अपशकुनी आदि कहकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्त्री पर होने वाली ऐसी वीभत्स घटनाओं के बाद भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। भारत में ये घटनाएँ रोज घटित होती हैं किन्तु मीडिया भी इन पर चुप्पी साधे रहता है। कारण स्पष्ट है मीडिया में भी सवर्ण समुदाय का वर्चस्व कायम है। मामला तूल न पकड़ने की स्थिति या आशंका होने पर ही मजबूरन रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आज दलित संदर्भ में कड़वा सच यह है कि 'भारत में कहीं न कहीं प्रतिघंटा दो दलितों को बेरहमी से पीटा जाता है, प्रतिदिन दो दलितों की हत्या कर दी जाती है, तीन दलित महिलाओं का बलात्कार किया जाता है।'[15] सुजाता पारमिता के अनुसार 'आजादी के अड़सठ सालों बाद भारत में सवर्ण स्त्रियों की दशा में काफी बदलाव आया है। लेकिन दलित स्त्रियाँ आमतौर पर आज भी लगभग उसी स्थिति में हैं। आधुनिक स्त्रीवादी आंदोलन भारत में सत्तर के दशक में शुरू हुआ, लेकिन उसका नेतृत्व अब तक सवर्ण महिलाओं के ही पास है और उनके इर्द-गिर्द घूमता है। कुछ दलित स्त्रियों ने इस मुद्दे पर जरूर आंदोलन किया, लेकिन उसका फाइदा इस समूचे आंदोलन के नेतृत्व-वर्गों को ही मिला, उन्हें नहीं, जो वास्तव में ज्यादा शोषण का शिकार थीं।' स्त्री संदर्भ में ऐसे समाज में, डॉ. अम्बेडकर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इन वीभत्स घटनाओं के बाबजूद आज भारत में स्त्री-समाज अगर प्रगति की ओर अग्रसर है तो उसमें डॉ. अम्बेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। शिक्षित दलित नारी स्वाभिमान से युक्त है और वह अपनी पहचान निर्मित करना चाहती है। दलित नारी केवल 'अबला नारी' नहीं। वह श्रमशील है तो स्वाभिमानी भी। यह शिक्षित नारी मैला ढ़ोने और शोषण सहने वाली स्त्री से नितांत भिन्न है, अपने मानवीय अधिकारों को बखूबी पहचानती है तथा सभी तरह के बंधनों को तोड़ने का संकल्प व्यक्त करती हैं-

'मैं दलित अबला नहीं
नए युग की सूत्रपात हूँ
सृष्टि की जननी हूँ
मेरा अतीत, बंधनों का
गुलामी के इतिहास का
युगों-युगों के दमन का वहाँ है
अब, मैं छोड़ दूँगी गुलामगिरी
तोड़ दूँगी बेड़ियाँ।'

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 में कानून के समक्ष स्त्री-पुरुष दोनों समान है। अनुच्छेद-15 में महिलाओं को भेदभाव के विरूद्ध न्याय का अधिकार दिया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के अंतर्गत स्त्रियों के लिए इन अधिकारों को भी सुझाया- 'समान वेतन का अधिकार', 'काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार', 'नाम न छापने का अधिकार', 'घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार', 'मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार', 'कन्या भ्रूण के खिलाफ अधिकार', 'संपत्ति पर अधिकार' आदि।

यह भी विचारणीय है कि क्या नारी मानस या उसका शरीर पुरुष की संपत्ति है? इतिहास में देखें तो भारत में 'शास्त्र' और 'शस्त्र' के बल पर स्त्री को बचपन से लेकर मृत्यु तक पुरुष के अधीन रखने की वकालत की गई। स्त्री की किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर स्वतंत्र छवि पुरुष मानसिकता को स्वीकार्य नहीं। सिमोन द बोउआर के अनुसार 'स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बना दिया जाता है।' अर्थात् स्त्री-पुरुष समान रूप से पैदा होते हैं किन्तु समाज उन्हें अलग-अलग रूप में स्वीकार करता है। दोनों में असमानता जन्म के बाद पैदा की जाती है। इस असमानता का विकास 'मनुष्य के सामाजिक-विकास-क्रम में हुआ है कि नर को पौरुष की विशिष्टताओं

से और मादा को स्त्रियोचित कमजोरियों से भरा गया है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्त्री के खाते में जिन गुणों, कमियों, मूल्यों, रुझानों, भावनाओं इत्यादि को पारंपरिक रूप से शामिल किया जाता है, वे जन्मजात या प्रकृत न होकर समाज-प्रदत्त हैं।’[16] अशिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, श्रम शोषण, परित्याग, भूख-गरीबी, जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण, यौन हिंसा, वेश्यावृति, तलाक, पर्दा प्रथा, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, असमानता, परनिर्भरता आदि अनेक तत्व हैं जो स्त्री स्वाभिमान के आड़े आते हैं। यदि स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है तो उपर्युक्त तमाम समस्याओं से जूझना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य आदि सुविधाएँ स्त्री के लिए सहज सुलभ हों आज हमें यह भी निश्चित करना होगा।

आज अस्मितामूलक विमर्शों का दौर है। दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि इस दृष्टि से समाज के महत्त्वपूर्ण एवं अधिसंख्य वर्ग हैं। इन तमाम विमर्शों के संदर्भ में एक बड़ा सवाल उठता है कि कौन इनकी समस्या को सबसे गंभीर रूप में व्यक्त कर सकता है? यहाँ ‘स्वानुभूति’ महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो जाता है। स्त्री संदर्भ में भी यही कहा गया कि स्त्री की पीड़ा को स्त्री ही समझ सकती है। इस संदर्भ में मृदुला गर्ग अपना भिन्न मत देती हैं- ‘फेमिनिज़्म का मतलब नारी मुक्ति नहीं, सोच की उक्ति है’, पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है।’ जो भी हो इतना तय है कि नारी का संघर्ष पुरुष की वर्चस्ववादी मानसिकता से ही उपजा है अत: स्त्री मुक्ति के संघर्ष में पुरुष को भी सहयोगी होना होगा। महादेवी वर्मा के अनुसार ‘भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूपरेखा हो, उसमें नारी की कैसी स्थिति हो, उसके अधिकारों की क्या सीमा हो आदि समस्याओं का समाधान आज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है। यदि वह अपनी दुरवस्था के कारणों को स्मरण रख सके और पुरुष की स्वार्थपरता को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुंदर और सत्य हो सकता है, परंतु यदि वह अपने विरोध को ही चरम लक्ष्य मान ले और पुरुष से समझौते के प्रश्न को ही पराजय का पर्याय समझ ले तो जीवन की व्यवस्था अनिश्चित और विकास का क्रम शिथिल हो जाएगा।’[17]

आधुनिक युग में स्त्री ने तमाम सामाजिक-पारिवारिक बंधनों और सीमाओं को तोड़ते हुए अपने वजूद को, अस्तित्व को सशक्त रूप में ढ़ाला है। यह स्त्री शक्ति का परिचायक ही है कि आज ‘अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस’ ‘मातृत्व दिवस’ आदि अस्तित्व में है। वर्ष 2011 को ‘स्त्री सशक्तिकरण’ के रूप में मनाया गया। सर्वविदित है कि आज स्त्री मजदूरी, श्रम के अकुशल क्षेत्रों में खून-पसीना बहाने के अलावा साहित्य, पत्रकारिता, मीडिया, खेल, फिल्म, व्यवसाय, राजनीति, विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सेना आदि क्षेत्रों में अग्रणी है। स्त्रियाँ आज पुरुष-निर्मित विधानों से मुक्त होने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। विवाह का सवाल हो या विवाह-विच्छेद, वंश-वृद्धि आदि के संदर्भ में वह अपना स्वतंत्र निर्णय लेने लगी है?

भले ही पितृसत्ता द्वारा स्त्री के वजूद को नियंत्रण में रखकर उसकी स्वाभाविकता को नकारा गया हो लेकिन वर्तमान समय में जो स्त्री छवि उभरकर आई है वह अपूर्व है, सशक्त है। पुरुष के वर्चस्ववादी नजरिए को खारिज कर ही स्त्री-सशक्तिकरण का रास्ता अख्तियार हुआ है। आज की स्त्री मूक बधिर नहीं है। वह शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है, तर्क एवं सवाल करती है। वह सामाजिक-संरचना में निहित शोषण के विरुद्ध अपनी समस्याओं का समाधान एवं ‘सामाजिक न्याय’ चाहती है। आज स्त्री जिस मुकाम पर है या सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है उसमें डॉ. अम्बेडकर की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वह न केवल संविधान निर्माता और आधुनिक भारत के निर्माता थे अपितु ‘वंचितों एवं उपेक्षितों के मसीहा’ एवं स्त्री अधिकारों की पैरवी करने वाले भी। स्त्री संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि ‘मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारी की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है।’[18]

संदर्भ

1. डॉ. रामगोपाल सिंह, डॉ. अंबेडकर का विचार-दर्शन, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, सं. 2002, पृ. 142

2. मनुस्मृति 9:3,5:148

3. डॉ. तेजसिंह, वेदप्रकाश (सं.), अंबेडकरवादी विचारधारा : इतिहास और दर्शन, लोकमित्र प्रकाशन, सं. 2012, पृ. 31

3. अरविंद जैन, औरत होने की सजा, राजकमल प्रकाशन, सं. 2011, भूमिका से

4. डॉ. रामगोपाल सिंह, डॉ. अंबेडकर का विचार-दर्शन, पृ. 150

6. वही, पृ. 242

7. वही, पृ. 148

8. डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, दलित अधिकार चेतना, गौतम बुक सेंटर, सं. 2007, पृ. 50

9. अरविंद जैन, औरत होने की सजा, पृ. 29

10. अरविंद त्रिपाठी, कथा क्रम, अप्रैल-जून, 2011, पृ. 37

11. हेमंत कुकरेती, समकालीन साहित्य समाचार, संपादक- सत्यव्रत, किताबघर प्रकाशन, दिसम्बर 2013, पृ. 81

12. डॉ. तेजसिंह, वेदप्रकाश (सं.), अंबेडकरवादी विचारधारा : इतिहास और दर्शन, पृ. 242

13. हिंदुस्तान, मर्दों से आगे थीं मर्दानी महिलाएँ, चारु गुप्ता, 9 जनवरी, 2007

14. डॉ. सुरेन्द्र कुमार झा (संपादक), दलित आंदोलन पत्रिका, अप्रैल-2015, पृ. 13

15. डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, दलित अधिकार चेतना, गौतम बुक सेंटर, सं. 2007, पृ. 36-37

16. लड़कियों का इंकलाब जिंदावाद, संपादक- विकास नारायण राय, साहित्य उपक्रम, 2012, संपादकीय से

17. महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, लोकभारती पेपरबैक्स, 2010, पृ. 47

18. डॉ. तेजसिंह (संपादक), अपेक्षा, जनवरी-जून, 2013, पृ. 127

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पी-जी डी.ए.बी में हिन्दी विभाग में प्रोफेसर हैं।)

स्त्री सशक्तिकरण: इतिहास और वर्तमान

कन्हैयालाल चंचरीक

आदिम अंधकार युग में जब परिवार-कुटुम्ब नहीं बने थे, स्त्री जाति मुक्त थी। पाषाण युग, लौह युग में परिवार गठित होने लगे तो स्त्री-पुरुष जीवन यात्रा में सहभागी बने। बाद में स्त्री आत्मनिर्भरता खोती गई। स्त्री पुरुष की दासी बनकर रह गई। दक्षिण भारत में मातृ-सत्तात्मक समाज रहा है।

वैदिक वर्ण व्यवस्था

ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के दसवें और ग्यारहवें मंत्र में, साथ ही यजुर्वेद में मंचदस्ता ऋषि कल्पना करता है कि स्वयंभू पुरुष की देहयष्टि से प्राणियों और मानव जाति का विकास हुआ। यह युगीन भारतीय समाज से संबंधित वर्ण व्यवस्था का निर्धारण था, सार्वभौमिक सूत्र नहीं था।

वैदिक युग में उच्च वर्ण की गिनी चुनी स्त्रियां ही शास्त्रार्थ में निपुण थीं। वे प्रचलित वेद-विद्या, नैतिक मूल्यों और सामाजिक अवधारणाओं में सजग अवश्य थीं, जिसके कई प्रेरक उदाहरण मिलते हैं। वेद-उपनिषद् गार्गी और मैत्रेयी जैसी परम् विदुषी स्त्रियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

स्त्रियों की आदरस्पद स्थिति

वैदिक वर्ण व्यवस्था ने उच्च जातियों की स्त्रियों को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान की। अन्य वर्ण की स्त्रियां उन प्रतिष्ठाओं से वंचित रहीं।

इसी कारण वृहदारण्यक उपनिषद् में ब्राह्मण कर्मणा श्रेष्ठ पूजनीय और विद्यानिधि, क्षत्रिय राजन्य, वैश्य कृषि-वाणिज्य कुशल तथा शूद्र सेवा कार्य के निमित्त नामित हुए।

लेकिन विश्वामित्र का क्षत्रित्व से ब्राह्मणत्व में वर्णान्तरण यह दर्शाता है कि वैदिक श्रेणी विभाजन परिवर्तनशील था। शूद्रों में अनेक प्रतिष्ठा प्राप्त राजनय हुए, मंत्रदृष्टा वैदिक ऋषि हुए हैं, जिनका उल्लेख वेद-उपनिषद् में आता है। सदियों तक कर्मणा वर्ण परिवर्तन मान्य रहा। लेकिन स्त्रियां समाज में हीनता-दीनता का शिकार बनी रहीं। ऐसा स्मृतियों में आता है। स्मृतिकार कहता है:

पिता रक्षति कौमारे,
भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षति स्थविरे पुत्रा,
न स्त्री स्वातन्त्र यमर्हति।

यही भाव याज्ञवल्वय स्मृति में है-

रक्षते कन्यां पिता विन्नांपतिः पुत्राय वार्धके।
अभाव ज्ञातय स्तेषां न स्वातन्यं क्वचिति स्त्रयाः॥

अर्थात् शैशव में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं। स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं, बल्कि रक्षित रहीं।

स्मृतिकाल

वैदिक युग में ही नहीं, स्मृतियों की रचना काल तक स्त्री-समाज आत्म निर्भरता से वंचित था। सुरक्षात्मकता का अभाव था। वह परिवार में ही रहते सुरक्षित मानी गई है।

लेकिन ऋषि का यह कथन भी स्मरण रखना होगा

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यत्ते, रमन्ते तत्र देवता’

रामायण में नारी पूजा, प्रतिष्ठा की पात्र है। महाभारत काल में वह शक्ति संपन्न, युद्ध-कौशल निपुण, राजकाज में प्रवीण है। साथ ही बहुपत्नी प्रथा तथा बहुपति प्रथा का चलन भी दिखाई देता है।

पौराणिक काल

पुराण काल में देवियों, दुर्गाओं की भरमार, पूजा-प्रतिष्ठा अध्ययन का एक रोचक विषय है।

शुंग युगीन योग और व्याकरण के ज्ञाता पतंजलि तथा विद्वान् कात्यायन का कथन है कि वेद युगीन स्त्रियां अध्ययन में प्रवीण, वेद पाठी थी।

शुंग युग में स्त्री दासता का युग

मौर्य युग के पतन के बाद शुंग कालीन भारत, ब्राह्मण युग के उदय और बौद्ध धर्म के विनाश का संक्रमण काल है। ऐसे युग में जो साहित्य रचना हुई वह ब्राह्मणवादी मूल्यों से परिपूर्ण है और विवादास्पद अधिक है। स्त्रियों के ऊपर शुंगकालीन रचनाओं में अनेक प्रतिबंध थोपे गए। बुद्धयुगीन स्त्रियां अधिकारिता पूर्ण जीवन यापन करती थीं। उन्हें समानाधिकार प्राप्त थे। बुद्ध ने संघ और धम्म दीक्षा का प्रावधान किया। शूद्र-अस्पृश्य जातियों की स्त्रियों को समानता के अधिकार और मौर्य युग के पतन के साथ-साथ स्त्रियों की दशा खराब होती गई।

बौद्ध युगीन भारत - स्त्री अधिकारिता का स्वर्णकाल

वेद -उपनिषद- स्मृतिकाल स्त्रियों की स्वतंत्रता का पूर्णतः पक्षधर नहीं जबकि स्त्रियों को समानाधिकार बौद्ध युग में प्राप्त हुए। वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था चरमराई, समाज में वे प्रतिष्ठा की पात्र बनीं। बौद्ध साहित्य और जातक कथाओं में हीन और पतिता स्त्रियों को स्वयं भगवान् बुद्ध ने समाज में बराबरी

का दर्जा दिया, प्रतिष्ठित किया। बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को जिसने उन्हें शिशु रूप में दुग्ध पान कराया था बौद्ध संघ में प्रवजित किया और नारी जाति को श्राविका बनने, गृहस्थ धर्म त्याग कर उच्चतम नैतिक मूल्यों, परम् ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में यह बहुत बड़ी धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों, जीवन के उच्चादर्शों की प्रतिष्ठापना की क्रांति थी।

बुद्ध ने आम्रपाली जैसी वीरांगना को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। बुद्ध से प्रभावित उसने अपनी समस्त संपदा लोकार्पण कर दी।

इसी प्रकार श्रावस्ती की अत्यंत धनवान् विशाखा ने बुद्ध को भिक्षुओं के लिए पूरी संपदा दान में देकर अमरता प्राप्त की जो स्वयं भी ज्ञान की मूर्ति थी।

गृहस्थ स्त्रियों को भी भगवान् बुद्ध सत्यमार्ग पर चलने का उपदेश देते थे। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एशियाई देशों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज भी याद किए जाते हैं।

इतिहास का मध्ययुग

इतिहास में मध्ययुगीन भारत संक्रांति काल है। हिन्दू नर-नारी सल्तनतों के शासनकाल में अनेक यातनाओं के शिकार हुए। उच्च जातियों पर जहां प्रतिबंध और कर थोपे गए, वहीं तथाकथित निम्नजातियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। इसके विरोध में कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा, दादू जैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक खड़े हुए जिनकी रचनाओं में उंच-नीच, अस्पृश्यता, कुरीतियों के विरूद्ध स्वर दिया। इन सभी को समदर्शी, तारनहार, प्रजापालक, सर्वरक्षक कहा गया।

अष्टछाप के कृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाएं वर्णित की और उन्हें एक उभरता युग पुरुष बताया, वहीं रामभक्ति के महान् कवि तुलसीदास ने राम को मर्यादापुरुष के रूप में रामायण की रचना करके प्रतिष्ठित किया। यह महाकाव्य हिन्दू जाति का गौरव ग्रंथ बना। महाकाव्यों में रामायण (रामचरित मानस) एक बेजोड़ रचना है।

बिना किसी लिंग भेद के, जातिभेद के संतकवियों की रचनाएं स्त्री-पुरुषों में नई स्फूर्ति, नई चेतना की वाहक बनीं।

यूरोप-अमेरिका-रूस के नारी आंदोलन

“क्लास स्ट्रगल एंड वुमेन्स लिबरेशन - 1640 टू टुडे” शीर्षक से टोनी क्लिफ की स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन पर जर्मन और फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवादित एक प्रमुख अध्ययन है; जिसमें फ्रांस की राज्यक्रांति, 17वीं सदी के इंग्लैंड, पेरिस कम्यून, उन्नीसवीं सदी के अमेरिकन आंदोलन, जर्मनी के समाजवादी आंदोलन, इंग्लैण्ड के आंदोलन, सोवियत रूस आदि के क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रकाश डाला गया है।

यूरोप और अमेरिका की स्त्रियों ने सत्रहवीं सदी के मध्य से अब तक अपने अधिकारों के लिए जो अनथक संघर्ष किया और जो स्वतंत्रता, समानता, गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त है उसके पीछे स्त्रियों के त्याग, बलिदान को यह कृति दर्शाती है तथा अफ्रीका-एशियाई नारियों को भी प्रेरणा प्रदान करती है।

ब्रिटेन

सत्रहवीं सदी के मध्य में ही ब्रिटेन के किसानों और कामकाजी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। इंग्लैण्ड में उस समय सामंत और मालदार लोगों का दबदबा था। वे किसानों-शिल्पियों और स्त्रियों के शोषण-दमन के लिए बदनाम थे।

स्त्री-पुरुषों ने इच्छानुसार शादी विवाह कर घर बसाने, परिवार में रहने, गरीबी से निजात पाने के लिए संघर्ष किया और बहुपत्नी प्रथा पर प्रहार किया। नैतिक आदर्श स्थापित किए गए। दमन-पोषणकारी शक्तियों के विरूद्ध आवाज उठाई। इसमें स्त्रियों की भूमिका प्रमुख थी।

फ्रांस

फ्रांस में औरतों की हालत खराब थी। बुर्जुआ वर्ग ताकतवर था। इसमें उत्पादक, व्यापारी, छोटे बड़े दुकानदार, कारखानों के स्वामी शामिल थे- जिनकी निजी दौलत, संपत्तियां बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर गरीब थे, संपदा विहीन थे, कामकाजी स्त्री-पुरुष थे। राजशाही से लोहा लेने के लिए, उसकी मनमानी रोकने के लिए सभी ने मिलकर राजमहल और संसद पर हमला किया जिसमें जीत जनता की हुई। 1793-94 की फ्रांस की राज्यक्रांति एक इतिहास बन गई। इसमें स्त्रियों की प्रमुख भूमिका थी। वहां जो हालात थे वह शोषित-दमित देश की जनता और सम्राट से सीधी कार्यवाही थी। तीन प्रकार की स्त्रियां पुरुषों के साथ राजतंत्र से लड़ीं। बुर्जुआ समाज की महिलाएं, ऊंचे घरानों की स्त्रियां, गरीब घरों की स्त्रियां। तीनों वर्गों की औरतें न सिर्फ शहंशाह वरन् पुरुष सत्ता से भी आतंकित थीं, इसलिए स्त्री स्वातंत्र्य के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन स्त्रियों में अभी वर्ग भावना नहीं मिटी थी।

अमेरिकन नारी आंदोलन

19वीं सदी में अमेरिकन स्त्रियां काम के घंटे, मताधिकार के प्रश्न, वेतन बढ़ोतरी और पुरूषों के महिलाओं के प्रति दमनात्मक रवैये के प्रति संगठित होकर लड़ीं जिसका टोनी क्लिफ ने सोदाहरण वर्णन किया है।

अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर श्वेत महिलाओं पर ध्यान देता था। नीग्रो महिलाओं ने रंगभेद के कारण 1905 में अपना स्वतंत्र महिला संगठन बनाया जिसका नाम इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ दी वर्ल्ड (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू) रखा। 1907 में इस महिला संगठन ने देह व्यापार में संलग्न महिलाओं को भी संगठित किया।

हड़तालें, तालाबंदी, पिकेटिंग के दौरान स्त्री नेताओं पर अत्याचार भी खूब हुए।

महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत स्त्री नायिकाएं इतिहास में चर्चित हैं जिनमें बुर्जुआ वर्ग की एलिजाबेथ केडी शैन्टन तथा सुरान बी एन्थोनी तथा मजदूर मिलिविया की जोन्स एवं एलिजाबेथ गुर्ले फ्लिन के नाम लिए जा सकते हैं।

जर्मन स्त्री आंदोलन

जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध (1914) के दौरान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबंधों के चलते एसपीडी नाम से सोशलिस्ट वुमेन मूवमेंट संगठित हुआ, जिसके एक मिलियन (दस लाख) सदस्य थे। साढ़े चार मिलियम ने इसे संसदीय चुनाव में मत दिए थे। इसके 90 दैनिक पत्र छपते थे। ट्रेड यूनियनें संचालित की जाती थीं, सहकारिताएं थी, खेल और गायन क्लब थे, एक नवयुवक संगठन था, एक महिला संगठन था और सैकड़ों पूर्ण कालिक कार्यकर्त्ता थे। यह विश्व की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी थी।

सन् 1848 की क्रांति जब असफल हुई तो बादशाही कायम हो गई। भू-स्वामी अभिजात वर्ग ने जर्मनी पर आधिपत्य कर रखा था। ये बुर्जुआ वर्ग के हितों का अधिक ध्यान रखते थे। जर्मन पूंजीवाद में वृद्धि होती गई- औद्योगिक कर्मचारी फल-फूल रहे थे। एस.पी.डी.- राज के अंतर्गत राज्य नौकरशाही ढंग से ट्रेड यूनियन संचालित होती थी।

एस.पी.डी दूसरे अर्थ में आम क्रांतिकारी मार्क्सवादी व्यवस्था का द्योतक संगठन था- जिसके सदस्य साम्यवादी जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित किए जाते थे।

1908 में इसके महिला सदस्यों की संख्या लगभग डेढ़ लाख थी। यहां औरतों में इतना जोश नहीं था, गर्भपात मामूली बात थी, नैतिक मूल्य प्रभावी नहीं थे। 1914 से एस.पी.डी. के स्थान पर बी.डी.एफ. का गठन हुआ जिसने गर्भपात को दंडनीय कहा। इसकी वजह से नैतिक मापदंड बढ़े। मिश्रित जनसंख्या को शादी की मनाही थी। पियक्कड़ों का बधिया बनाया गया। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को जर्मन जाति के लिए खतरनाक बताया गया। 1929-33 के मध्य नाजी प्रभाव बढ़ा। हिटलर सर्वेसर्वा बना। नारी आंदोलन भी शिथिल हो गया।

यूरोप की नगरीय संस्कृति

सच्चाई यह भी है कि यूरोप में फ्रांस की राज्यक्रांति तथा इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप-अमेरिका में नगरीय संस्कृति पनपी। छोटे एकल परिवार बने, भौतिकवादिता बढ़ी, स्त्रियों को विश्वविद्यालयी शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए। राजकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

इसका प्रभाव पूरी दुनिया के महिला आंदोलन पर पड़ा। उन्होंने औद्योगिक क्रांति से प्रेरित होकर संगठन बनाए। 20वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिलने शुरू हुए। 1907 में फिनलैण्ड में, 1915 में डेनमार्क में, 1918 में सोवियत रूस में, 1919 में जर्मनी में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 1922 में आयरलैण्ड में, 1923 में रूमानिया में, 1929 में ब्रिटेन में, 1931 में स्पेन में महिलाओं को मताधिकार मिले।

राष्ट्र संघ व महिलाएं

1945 के राष्ट्रसंघ के चार्टर की उद्बोधिका में मानव जाति-स्त्री और पुरुष की गरिमा, स्वतंत्रता आर्थिक-सामाजिक समुन्नति का बिना लिंग भेद जिक्र है।

इसी चार्टर में स्त्री-पुरुष को विवाह कर परिवार बसाने का अधिकार प्राप्त है। विवाह-विच्छेद का भी दोनों को विशेष परिस्थितियों में अधिकार मिला हुआ है।

अरब देशों, अफ्रीकन देशों में स्त्रियों का शोषण जारी है। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। सन् 1966 के महासभा के चार्टर में इन सभी निर्णयों को दुहराया गया है जो पुरुष-स्त्री के हक में हैं। क्विन के सभी देशों में इस चार्टर को मान्यता प्राप्त है।

क्विन स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के विभेदों का निषेध कर दिया गया है।

एशिया की स्थिति

अरब देशों में स्त्रियों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की नजर है। एशियाई देशों जिनमें भारत प्रमुख है अभी भी भारत की 60-70 प्रतिशत जनता या तो ग्रामीण और अनपढ़ है और अपने संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों तथा राष्ट्रसंघ के चार्टर के निर्णयों से अनभिज्ञ है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो, दो जून का भरपेट भोजन जुटाने में ही लगे होते हैं।

सरकारी घोषणाएं, योजनाएं, मानवाधिकार, भूख से लड़ने के लिए रोजी-रोटी की जुगाड़ में ही पूरी ऊर्जा लगा रही है। मात्र कार्पोरेट घरानों के कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों, सरकारी प्रतिष्ठानों, स्कूलों, म्युनिसपल्टियों, प्राइवेट कंपनियों, कारखानों में लगे मात्र 20 प्रतिशत लोग ही अपना जीवन सुख से काट रहे हैं। पूरे के पूरे गांव नर्क बन चुके हैं। शहरों पर बेरोजगार, ग्रामवासियों की भीड़ को कोई रोक नहीं पा रहा। यह आवाजाही अगले दस वर्षो में भीषण स्थिति में पहुंच सकती है, जिससे नीति निर्धारक, योजनाविद्, नगर नियोजक, अर्थवेत्ता, सांख्यिकी के धुंरधर मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है।

संविधान सभा में 25 नवम्बर 1949 को डॉ. अम्बेडकर ने चेतावनी दे दी थी कि *"सामाजिक और आर्थिक जीवन में तथा अपने सामाजिक आर्थिक ढांचे का अनुसरण करते हुए हम एक मनुष्य एक मूल्य वाले सिद्धांत का निषेध कर रहे होंगे। ऐसा अन्तर्विरोध भरा-जीवन हम कब तक जीते रहेंगे। सामाजिक-आर्थिक जीवन में समानता का निषेध कब तक करते रहेंगे। अगर हम ज्यादा दिनों तक*

इसे नकारते रहे तो इसका कुल नतीजा यह होगा कि हमारा राजनीतिक लोकतंत्र ही संकट में पड़ जाएगा। इस अन्तर्विरोध को हम जितनी जल्दी खत्म कर सके उतना अच्छा, वरना असमानता के शिकार लोग लोकतंत्र के इस ढांचे को ही उड़ा देंगे, जिसे इस सभा ने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है।

सल्तनत काल और मुगल काल में स्त्रियों की दुर्दशा

पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत जैसे विशाल, लेकिन जाति वर्गों में विभाजित और आपस में लड़ने वाले देश में सामान्यतया स्त्रियों की दशा सल्तनतों से लेकर मुगलों तक ठीक नहीं थी। युद्ध विजय के पश्चात् राजपूत स्त्रियां मर मिटती थीं। जौहर में औरत मर्द गुलाम बना लिए जाते थे। धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया जाता था। गांवों में घूंघट और पर्दे में रहने की प्रथा विदेशी हमलावरों से स्त्री जाति को बचाने के लिए ही शुरू हुई। गांवों के अनपढ़ों में इसीलिए बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला। यही नहीं पढ़े-लिखे, संपन्न लोग भी अपने बच्चों की अबोध अवस्था में शादी कर देते थे। विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी थी।

राजा राममोहन राय का क्रांतिदर्शी कार्य

राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश शासकों पर दबाव बनाकर सती प्रथा को 1830 में बंद कराया। पूरे देश में विशेषतया बंगाल, राजपूताना, उत्तर भारत में पति की मृत्यु पर स्त्रियां पति की चिता पर ही आत्मदाह कर लेती थीं। इस प्रथा को राजा राममोहन राय ने कानूनन बंद करवा दिया।

स्त्रियों की दुर्दशा, अशिक्षा दूर करने, सती प्रथा समाप्ति के लिए समाज सुधारकों का एक बड़ा वर्ग भारत में सक्रिय हो गया। पूरी उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी के प्रारंभिक चार दशक स्त्री अधिकारिता के महत्त्वपूर्ण वर्ष हैं।

भारत की स्वतंत्रता: नए युग का सूत्रपात

भारत जैसे देश में ब्रिटिश दासता के चलते अर्थसत्ता, शासन एवं न्याय राजा-महाराजा, उच्च जातियों, शक्ति सामंतों, अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वानों, विद्याधरों, सेठों, राजपुरुषों के हाथ में केन्द्रित थी। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और डॉ. अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने वंश, जाति, लिंग के भेद से भरे स्त्री-पुरुष को समान अधिकार दिए।

विश्व सामाजिक इतिहास का अवलोकन करें तो महिला अधिकारिता की अवधारणा का बीजारोपण यूनानी नगर राज्य की संकल्पना में प्रस्फुटित नजर आता है। महान यूनानी विचारक प्लेटो ने महिलाओं के समानाधिकार का समर्थन किया। अपने आदर्श राज्य में उन्होंने स्त्री-पुरुष को समान माना। अरस्तू ने कहा महिलाएं दासता का शिकार हैं। उन्हें समानता प्रदान करना कठिन होगा। कालांतर में 'मिल' जैसे चिंतक ने महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों का जोरदार समर्थन किया। नेपोलियन ने माताओं के अच्छी स्वरूप की आवश्यकता जताई और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया।

असमानता खत्म की जाए: डॉ. अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर की क्रांतिदशा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, तभी स्त्री-पुरुष की समानता और अधिकारिता सफल होगी। 1950-51 में तब के पार्लियामेंट में डॉ. अम्बेडकर का हिन्दू कोड बिल और उस पर चर्चा ऐतिहासिक दस्तावेज है। डॉ. अम्बेडकर दूरदृष्टा थे, राजनीतिक चिंतक थे। डॉ. अम्बेडकर प्लेटो-अरस्तू, मिल से भी बहुत आगे स्त्री अधिकारिता की सोच की, चिंतन की क्षमता रखते थे। आज सवा सौ कार्पोरेट घरानों को सवा सौ करोड़ देशवासियों के हित-लाभ में लगाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, तभी भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने 'कार्ल मार्क्स' को 'गौतम बुद्ध' के शांति-अहिंसा वाले देश में यूं ही खारिज नहीं किया था। यूं ही उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। उसके निहितार्थ को हमें समझना होगा।

शिक्षा जगत, सामाजिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सरकार के नीति आयोग, राज्य सरकारों यानी सभी क्षेत्रों में स्त्री सशक्तिकरण की चर्चा चल पड़ी है। ग्रामीण समाज, पिछड़े वंचितों के उत्कर्ष पर सबका ध्यान गया है। यह एक शुभ संकेत है।

भारत में आस्था की नई किरण

विगत डेढ़ दशक से भारत के बुद्धिजीवियों तथा वरिष्ठ परिवर्तनवादी-चिंतकों में अमेरिका के अफरमेटिव एक्शन प्लान की बहुत चर्चा होती आई है, जो समय बीतने पर क्षीण से होने लगती है। कम से कम बुद्धिजीवियों, लोकनायकों और दलित चिंतकों की आस्था की उस नई किरण को फिर से भारत भूमि पर उतारने के लिए अमेरिकन मॉडल को चर्चा का विषय बनाना चाहिए। इससे अमेरिका में बसे अश्वेतों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा, नौकरियों में प्राथमिकता का प्रावधान है। उन्हें भारत में भी चरणबद्ध ढंग से लागू करना समय की आवश्यकता है, ताकि दलित स्त्रियों, ग्रामीण महिलाओं तथा दबी कुचली मानवता के कल्याण में संपन्न वर्ग अपना उत्तरदायित्व निभा सकें।

हमारा संविधान कल्याणकारी योजनाओं का पक्षधर है जिसके लिए स्त्री समाज प्रथम हकदार है। अधिकारिता के मूल में उदारता का भाव निहित है।

■

(लेखक जाने-माने वरिष्ठ समतावादी चिंतक हैं)

नारी की अस्मिता के लिए जागरुकता के साथ संघर्ष भी आवश्यक

■ **डॉ. प्रभु चौधरी**

सृष्टि की जन्मदात्री, देव, मनुज, दानव, वानर, सबकी निर्मात्री, पंचभूतों की महाशक्ति की आधारभूत शक्ति की अवहेलना, प्रताड़ना नहीं होनी चाहिएं इसीलिए पूर्वजों ने ऋषियों और स्मृतियों में नारी पूजा का विधान रखा तथा "या देवी सर्व भूतेषु, प्राण रूपेण संस्थिता" कहकर उसकी गरिमा को बढ़ाया।

नारी के प्रति सम्मान की परम्परा हमारे इतिहास से चली आ रही है, भारतीय संस्कृति का इतिहास नारी के त्याग, बलिदान, कर्तव्यनिष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण से भरा है। पन्ना धाई के बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल शायद दूसरी नहीं तो शौर्य वीरता में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। नारी इस पृथ्वी की तरह सहिष्णुता की मूरत है, उसने सदैव ही कुछ न कुछ दिया है इस संसार को। उसने विधाता को मूर्त रूप दिया है। कभी माता जीजाबाई बनकर इस देश को शिवाजी जैसा राजा दिया तो कभी शकुन्तला बनकर अपने बेटे को जंगलों, वनों में पालकर भरत जैसा वीर दिया। कभी वह ममता की वात्सल्य की मूरत बनी तो कभी आत्मरक्षण के लिए उसने चण्डी का भी रूप धारण किया।

नारी की पवित्रता एवं सतीत्व के तेज के आगे तो बड़ी-बड़ी शक्तियां नतमस्तक हुई हैं। सती शण्डिली ने अपने पवित्र सतीत्व के बल से सूर्य को भी उदित होने से रोक दिया था। सावित्री ने भी यमराज से अपने पति को छुड़ा लिया था और सती अनुसुईया के तेज के आगे भगवान् को बालक होकर गोद में खेलने पर मजबूर होना पड़ा था। सीता के समक्ष रावण का राक्षसी बल भी भय खाता था। अपने बल से नारी ने बड़ी शक्तियों को अपने समक्ष झुकने पर विवश कर दिया था।

जब तक नारी इतने सशक्त रूप में थी तब तक वह देश के लिए नर रत्न पैदा करती रही और एक के बाद एक महापुरूष देती चली गई।

भारतीय संविधान के मूल्यों-स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा के कारण और शिक्षा के प्रकाश में जमाने के बदलते हुए तेवरों के साथ-साथ नारी को अमानवीय माननेवाली मान्यताएं भी धीरे-धीर सांसे तोड़ती जा रही है क्योंकि चौके-चूल्हे से जुड़ी रहने वाली नारी आज जहां कम्प्यूटर से खेलने लगी हैं, विमान चलाने लगी हैं और युद्ध में सैनिक की भूमिका निभाकर अपनी शक्ति-शौर्य को प्रकट कर रही है, वहीं उसने शिक्षा, विज्ञान, राजनीति के साथ-साथ आर्थिक-सामाजिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता के झण्डे गाड़ दिये हैं। नारी को अबला कहना उसकी मानहानि करना है और यह पुरुष का नारी के प्रति घोर अन्याय भी है। यदि बल का अर्थ पशुबल है तो निःसन्देह नारी पुरुष से कमजोर है क्योंकि उसमें पशुता नहीं है, लेकिन बल का अर्थ नैतिक बल है तो नारी पुरुष से अनन्त गुनी ऊंची है। नारियां आधी दुनिया मानी गई है। यदि वह शोषित होती रही तो मनुष्य समाज को सुखी कैसे देख सकता है?

यह भी चिन्तनीय है कि विगत कुछ समय से जिस तरह नारी अत्याचारों में वृद्धि हो रही है, उसे देखकर यह धारणा निराधार साबित होने लगी है कि हम इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़े आगे बढ़ रहे हैं। नारी पर आये दिन होने वाले विभिन्न अत्याचारों को देखकर यह कहना भी कठिन नहीं है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की मानसिकता नारी के प्रति आज भी सोलहवीं शताब्दी की ही है। पुरुष आज भी अपनी पत्नी, बेटी और बहन को व्यवहार में समानता का दर्जा नहीं दे पाता यह देखने में आता है कि अधिकांश भारतीय परिवारों में नारी को उसका पति रोटी, कपड़ा और सुरक्षा तो देता है पर बराबरी का दर्जा नहीं देता।

वास्तव में नारी-मुक्ति आंदोलन के नाम पर पुरुष के आधिपत्य से या फिर पुरुष प्रधान व्यवस्था से मुक्त होने की बात करना एक तरफा बात होगी। नारी की लड़ाई दो तरफा है उसे समान अधिकारी के लिए तो लड़ना ही है, वर्ग-विभाजन पर आधारित व्यवस्था के विरुद्ध भी लड़ना है, साथ ही उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना है, जिसमें अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार है और समानता के आधार पर व्यक्ति का, चाहे वह पुरुष हो या नारी शोषण किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए भी लड़ना है कि वे बुद्धि, क्षमता, कुशलता और कर्मठता, किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है, फिर क्यों उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता है? उसका भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है, फिर क्यों उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता है?

उसका भी अपना स्वाभिमान एवं अस्मिता है। समाज में प्रत्येक स्तर पर उसकी बराबरी की साझेदारी है। फिर भी क्यों बार-बार पुरुषों के शोषण एवं अत्याचार की शिकार होती है? क्यों उसे दहेज के कारण जीवित जलाया जाता है? विवाद का कारण कुछ भी हो अत्याचार की शिकार नारी ही क्यों होती है? क्यों हम विज्ञान और प्रगति के इस युग में भी नारी को मानवी नहीं समझते?

विवाह के समय होने वाली दहेज की मांग को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नारी कोई इंसान न होकर मूक पशु है। दहेज की प्रथा ने मातृत्व की गरिमा ही गिरा दी। रात-दिन भगवान् के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने वाले और भगवान् का गुण-गान करने वाले भी जब दहेज में कमी पाते हैं तो देवी कही जाने वाली नारी को भी अग्नि कुण्ड में झोंकने से नही चूकते, परन्तु अब परिस्थितियां बदल रही हैं। नारी अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति जागरुक हो गई है। अगर वह संस्कार, मान, मर्यादा में जीना और अपने परिवार की इज्ज़त के लिए मिटना जानती है तो अपने चरित्र की रक्षा हेतु वह हथियार भी उठाना जानती है। पालने की डोरी थामने वाले नाजुक हाथ समय आने पर अपने अत्याचारी को दण्ड देने से भी न चूकते हैं। जब तक उसे सम्मान, मर्यादा और प्यार बंधनों में बांधा गया है तब-तब वह फूल सी कोमल एवं सहज बनी रही है परन्तु जब भी उसके स्त्रीत्व को ललकारा गया है उसने दुर्गा, चण्डी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया है।

यह कैसा अन्तर्विरोध है कि हमारे सामाजिक परिवेश में जहां परिवार घर, सुरक्षा तथा सुख की आधारशिला माने समझे जाते हैं। वहीं अपने ही परिवार के भीतर नारियां आये दिन प्रताड़ना व मौत का शिकार होती रहती है। क्या इसके पीछे आधुनिक समाज का उपभोक्तावाद, सामाजिक, ऐतिहासिक मान्यताएं तथा दहेज प्रथा इस तरह की हत्या के लिए जिम्मेबार नहीं है?

समकालीन भारतीय समाज में अर्थ (धन) और जाति दोनों शोषण के हथियार हैं और औरतें चाहे द्विज जाति में पैदा हो या शूद्र जाति में उसकी पैदाईश दोनों जगह शोषण का ही विषय है। जिस समाज में लड़के का जन्म प्रथम श्रेणी की सफलता और लड़की का जन्म दूसरे दर्जे की बात मानी जाती हो वहां जन्म से ही लड़कियों का अपमान शुरू होना तो स्वाभाविक ही है। नारी की आर्थिक उपलब्धियों को दरकिनार कर दिया जाता है। लड़कियों के कामकाज का आर्थिक आकलन करते समय उन्हें अवैतनिक पारिवारिक कार्यकर्ता मान लिया जाता है। फलस्वरूप उनके काम को वास्तविकता की तुलना में कम आंका जाता है। उनके काम को आर्थिक उद्यम का दर्जा नहीं दिया जाता। धर्म, समाज और कानून भले ही नारी की अस्मिता की वकालत करें लेकिन आज भी ''नारी की हैसियत पर कटी मैना से ज्यादा अहमियत नहीं रखती।'' प्रताड़नाओं से जो मृत्यु घर में ही हो जाती है वे उन्हें मिलने या दी जाने वाली हिंसा की अन्तिम अभिव्यक्ति होती है।

पुरुष आसानी से अपनी सत्ता और अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अपने अधिकारों के लिए नारी को स्वयं लड़ना होगा। जो अधिकार आज उसे मिले हैं वे समाज ने उसे अनायास ही नहीं दिये। उनके लिये नारी ने लम्बा संघर्ष किया है।

यह हमारे लिये दुर्भाग्य और अफसोस की बात है कि आज तक हमारा समाज परम्पराओं और रुढ़ियों के प्रति एक स्वस्थ लोकमत नहीं बना पाया यह हमारी सामाजिक संरचना का ही दोष है, जिसमें जीवन का विशेषत: नारी के जीवन का पक्ष बहुत दुर्बल है। रुस की पहली महिला उपराष्ट्रपति वैलतीना राव चेंको ने कहा है- "पुरुष आसानी से अपनी सत्ता और अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अपने अधिकारों के लिए नारी को स्वयं लड़ना होगा। जो अधिकार आज उसे मिले हैं वे समाज ने उसे अनायास ही नहीं दिये। उनके लिये नारी ने लम्बा संघर्ष किया है।" इस संघर्ष को हमें यदि आगे बढ़ाना नारी अपने सम्मान हेतु अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती है वरन् साहस से, बहादुरी ओर सूझबूझ से उसका मुंहतोड़ जवाब देती है।

विकास के लिए बदलाव ओर ठहराव दोनों जरुरी हैं, मौलिकता स्थिर रहे ओर उसके साथ युगीन परिवर्तन भी आते रहें। इस क्रम में विकास का पथ प्रशस्त होता है। भारतीय समाज में वर्षो से दबी कुचली और फिर झुकाकर हमेशा से ही मौन रहने वाली नारी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम हो गयी है। वह अपनी प्राकृतिक मौलिक गुणों को सुरक्षित रखती हुई युगीन संदर्भो को पहचानने लगी है। अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान का जीवन में प्रयोग कर उसने आज अपनी स्वतंत्र पहचान बनायी है। इसके अन्तर्गत श्रीमती इन्दिरा गांधी, किरण बेदी, बछेन्द्री पाल इत्यादि को नहीं बिसराया जा सकता।

अत: अन्त में यही कहना कि नारी उस जलती हुई मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है, परन्तु समय पड़ने पर यही दावानल का रूप ले सर्वस्व भस्म भी कर डालती है। हे नारी तू फूल भी है चिनगारी भी।

(लेखक सम्पादक मंडल के सदस्य हैं।)

महिला-सशक्तिकरण की आधारशिला: हिन्दू कोड बिल

■ बृजेश कुमार यादव

26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने उस समय के प्रधानमंत्री जवारलाल नेहरू के सामने समान अवसर का उपभोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक का स्तर समान होने की बात की थी। भारत में एकता को बरकरार रखने के साथ भारत की स्वतंत्रता को अबाधित रखने के लिए हिंदू कोड बिल की आवश्यकता महसूस की गई थी। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के द्वारा तैयार किए गए 'हिंदू कोड बिल' तो तत्कालीन सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों से पास नहीं हो सका किन्तु उसी हिंदू कोड बिल की देन है जो फरवरी 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग; की स्थापना महिलाओं को सबल बनाने के लिए की गई। जो आज दिन-ब-दिन महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों की रोकथाम तथा दोषियों को संवैधानिक सजा दिलाने का कार्य बखूबी निभा रहा है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया 'हिंदू कोड बिल' वर्षों से चली आ रही स्त्रियों के शोषण की परंपरा एवं स्त्रियों की गुलामी को समाप्त कर उन्हें इन सब से मुक्त करने का प्रयत्न था। वर्षों से गुलामी के अंधेरे में रहने वाली महिलाओं को स्वतंत्रता के प्रकाश में लाने का कार्य करने का प्रयास हिंदू कोड बिल था। बाबासाहेब का मानना था कि– जिस देश, समाज की महिला शिक्षित होती हैं, वह देश और समाज प्रगतिशील होता है। जिस घर की महिला शिक्षित होती है उस घर में विद्या निवास करती हैं, जिस समाज में महिला प्रगत है वह समाज कभी पीछे नहीं रह सकता। स्त्रियों की प्रगति का मार्ग बंद कर दिए जाने के कारण भारतीय समाज पिछड़ा रहा है। इस पिछड़ेपन से समाज को बाहर निकालने के लिए बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर संपूर्ण समाज की व्यवस्था में आमूल-चुल परिवर्तन लाना चाहते थे और ये परिवर्तन कानून के माध्यम से साकार करने के लिए वे प्रयत्नशील रहे, जिसका उदाहरण 'हिंदू कोड बिल' था जो भारत की महिला वर्ग को न्याय दिलाने के लिए था। भारत की वर्ण व्यवस्था से निर्मित यथास्थितिवादी समाज की रचना को कानून के माध्यम से नष्ट करने का महत्त्वपूर्ण कार्य इस बिल के माध्यम से किया जाना था। इस बिल को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में रखा गया था किंतु परंपरावादियों ने इस बिल को 'मृत्यु का वारंट' घोषित किया। इस बिल के कारण यथास्थितिवादी परंपरा की मृत्यु होगी ऐसा उन्हें लगता था। 29 अगस्त 1948 को 'प्रवर समिति' के पास इस बिल को रखा गया किंतु बिल पास नहीं हो सका जिससे डॉ. अम्बेडकर बहुत दु:खी हुए। इसी समय संसद के बाहर घोषणाएँ शुरू हो गई जिसमें महिलायें 'बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर मुर्दाबाद' के नारे लगा रही थी। मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली महिलाओं को डॉ. अम्बेडकर ने बड़े सम्मान से बुलाकर उन्हें दु:ख भरे हृदय से पूछा "मेरी माँ-बहनों" यह बिल तो आपके हितों के लिए, आपके उत्थान के लिए प्रस्तुत किया है, क्या आपको अपनी भलाई नहीं चाहिए? आप मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहीं हैं? इस सवाल से महिलाओं को अपनी गलती का अहसास हुआ। उसमें से कुछ महिलाओं ने बाबासाहेब से माफी भी मांगी और कहा कि बाबासाहेब हमें माफ कर दीजिए, हमें पता है कि यह बिल

> **बाबासाहेब ने पूछा कि आप मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहीं हैं? इस सवाल से महिलाओं को अपनी गलती का अहसास हुआ। उसमें से कुछ महिलाओं ने बाबासाहेब से माफी भी मांगी और कहा कि बाबासाहेब हमें माफ कर दीजिए, हमें पता है कि यह बिल हमारे विकास के लिए है, पर क्या करें? हमारे घर के पुरुषों ने हमें धमकियाँ दी हैं कि- "यदि हम सब बाबासाहेब के खिलाफ घोषणा नहीं किए तो वे हमें तलाक दे देंगे, घर के बाहर निकाल देंगे, इस कारण सभी महिलाएं मुर्दाबाद की घोषणा कर रही थीं।"**

हमारे विकास के लिए है, पर क्या करें? हमारे घर के पुरुषों ने हमें धमकियाँ दी हैं कि- "यदि हम सब बाबासाहेब के खिलाफ घोषणा नहीं किए तो वे हमें तलाक दे देंगे, घर के बाहर निकाल देंगे, इस कारण सभी महिलाएं मुर्दाबाद की घोषणा कर रही थीं।" स्वतंत्र भारत की इस गुलामी में रहने वाली इन महिलाओं का जवाब सुनकर बाबासाहेब स्तब्ध हुए। इससे हम सोच सकते हैं कि जिस देश में पेड़-पौधों, पहाड़-पत्थर, साँप-बिच्छु की पूजा की जाती थी, उस देश की महिलाएं कितनी दुर्बल रही होंगी जिन्हें अपना निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था।

हिंदू कोड बिल के समर्थक :

हिंदू कोड बिल पर जनता के पक्ष को जानने के लिए इस बिल की छह हजार प्रतियाँ विभिन्न भाषाओं में छापकर लोगों में बांट दी गयी थी, जिस पर अच्छी-बुरी चर्चाएँ होने लगी थी। संविधान सभा में कुछ लोगों ने बिल का जोरदार समर्थन किया जिसमें सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, श्रीमति दुर्गाबाई, एच.व्ही. कामत जैसे समाज सेवक भी शामिल थे। साथ ही कुछ समाचार पत्रिकाओं ने भी बिल का समर्थन किया जिसमें अंग्रेजी ट्रिब्यून, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, वीर-अर्जुन, जागृति, विश्वबंधु (कलकत्ता) आदि थे तो कुछ समाचार पत्रिकाओं ने सभा में और सभा के बाहर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया।

हिंदू कोड बिल के विरोधक :

इस बिल को कट्टरता से विरोध करने वालों में ज्यादातर गांधीवादी कार्यकर्ता एवं सनातनी थे। इन कार्यकर्ताओं ने लोगों में यह बात फैलाई कि 'हिंदू कोड बिल का मसौदा' राव समिति का न होकर यह डॉ. अम्बेडकर का बिल है। दूसरी ओर इस बिल पर जनता को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर ही नहीं दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआत में इस बिल के पक्ष में थे पर 1952 में होने वाले चुनाव के भविष्य को देखते हुए वे रूढ़िवादियों के सामने घुटने टेक दिए। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, एन.व्ही. चटर्जी, करुणाकरण मेनन, पंडित मुकुंद बिहारीलाल भार्गव आदि ने इस बिल को 'अंबेडकर स्मृति' नाम दिया। पंडित भार्गव ने तो यह भी भविष्यवाणी की थी कि "यदि हिंदू कोड बिल पास हो गया तो यह समाज में विघटन ला देगा।"

हिंदू कोड बिल के संदर्भ में समाज एवं कार्यकर्ताओं से आने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया पर विचार कर और 1952 में आने वाले चुनाव की सुविधाओं के लिए 26 सितंबर 1951 में पंडित नेहरू द्वारा हिंदू कोड बिल स्थगित कर दिया गया और इसके विरोध में दो सप्ताह के अंदर ही 27 सितंबर 1951 को डॉ. अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पत्नी रमाबाई को लिखे गए पत्र में कहा कि "प्रिय रामू" (अपनी पत्नी को बाबासाहेब रामू कहते थे) मैं स्त्री मुक्ति के लिए लड़ने वाला एक लड़ाकू सिपाही हूँ। लोग मेरा कितना भी विरोध करें, तब भी मैं स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा बल्कि शरीर के खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। बाबासाहेब के ये शब्द स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता के चिंतन को दर्शाते हैं।

हिंदू कोड बिल के मुख्य बिंदु :

हिंदू कोड बिल का अर्थ, वर्षों से चली आ रही सामाजिक विषमता, भेदभाव, ऊंच-नीच और रूढ़िवादी परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंकना था। समाज में महिलाओं को पुरुष के समान स्थान दिलवाने के लिए यथास्थितिवादी समाज व्यवस्था की वर्णव्यवस्था को कानूनी रूप से नष्ट करना था। इस बिल के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित थे-

विवाह की स्वतंत्रता : किसी भी स्त्री को स्वयं की इच्छा से या कानूनी रूप से विवाह करने का अधिकार विवाह की स्वतंत्रता है। स्त्री एक विशिष्ट उम्र के बाद अंतरजातीय विवाह कर सकती है भले ही उनका होने वाला पति किसी भी जाति, धर्म या पंथ का हो या उस लड़की के माँ-बाप की इच्छा के विरूद्ध हो।

विवाह विच्छेद : स्त्री को यदि विवाहित पुरुष पसंद न हो या उसके साथ उसकी संसार बसाने की इच्छा न हो तो उसे विवाह विच्छेद करने का अधिकार है। यदि पति या पत्नी पागल हो, प्रजनन शक्ति न हो या जबरन विवाह किया गया हो तो स्त्री को तलाक देने का अधिकार हिंदू कोड बिल द्वारा दिया जाना था।

तलाक : सात कारणों से तलाक लिया-दिया जा सकता है। 1. परित्याग, 2. धर्म, 3. परिवर्तन, 4. रखैल रखना या रखैल होने से, 5. भयावह या असाध्य बीमारी, 6. संक्रामक गुप्त बीमारी, 7. दृष्ट एवं क्रूरता पूर्ण व्यवहार आदि के कारण महिला के लिए तलाक देने की व्यवस्था हिंदू कोड बिल के माध्यम से की गई थी, जिससे कि वह शोषण भरा जीवन न जीकर अपना जीवन सम्मान से जीयें।

गोद लेने का अधिकार : कुछ कारणों से यदि महिलाओं को संतति नहीं हो रही हो तो ऐसे समय में महिला किसी को गोद लेना चाहे तो ले सकती है। यदि कोई महिला किसी लड़के या

लड़की को अपने माइके या अनाथालय से गोद लेना चाहे तो कानूनी रूप से गोद लेने की बात हिंदू कोड बिल में थी।

संपत्ति : हिंदू धर्म की समाज व्यवस्था में स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था किंतु हिंदू कोड बिल के माध्यम से स्त्री को पुरुषों के बराबर संपत्ति रखने का अधिकार देने की बात की गयी।

उत्तराधिकारी : यदि किसी हिंदू स्त्री के पति का निधन हो गया हो और उसके पति ने अपने वसीयतनामा पर किसी भी अभिभावक का नाम दर्ज नहीं किया हो तो ऐसे समय में उस विधवा स्त्री को अपना अभिभावक का नाम दर्ज करने का अधिकार हिंदू कोड बिल द्वारा दिया जाना था। साथ ही यदि किसी महिला को उसके पति ने छोड़ दिया हो तो ऐसे समय में पति की कमाई के कुछ हिस्से को उस स्त्री को देने के लिए कानून बनाया गया था। यदि पत्नी जीवित है और उसके पति ने किसी और स्त्री से शादी की तो उस पति को कानूनी रूप से गुजाराभत्ता देने की बात बिल में की गयी।

इस प्रकार से उपर्युक्त सभी तत्त्व हिंदू कोड बिल में होने के साथ-साथ स्त्री को शिक्षा का अधिकार देने की बात भी की गयी थी।

स्त्री स्वातंत्र्य : हिंदू कोड बिल एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन या सुधार ला कर, स्त्री को पुरुष के सामने समान रूप से खड़ा करने का कार्य किया सके, जिसके लिए हम सभी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के ऋणी हैं और रहेंगे जिन्होने हिंदू कोड बिल की रचना की। इस बिल को पास न करने की वजह से कानून मंत्री पद का इस्तीफा देने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम महान व्यक्ति के रूप में डॉ. अम्बेडकर का भारतीय इतिहास में गौरव हमेशा याद किया जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर ध्येयवादी थे, उनकी देश भक्ति व प्रगति की ऊंचाई तक पहुंचने की शक्ति अतुलनीय थी। बाबासाहेब हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो सिद्ध नहीं कर सके वह उन्होंने संविधान के माध्यम से सिद्ध किया। बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर ने जातिवाद और ऊंच-नीच के भेदभाव पर आधारित हिंदू समाज व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया। बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर का हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान के परिणाम से ही आज अनेक महिला अनेकानेक क्षेत्रों में अग्रसर हैं। यदि आज देखा जाए तो महिला पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है जिसकी आज लोकशाही में भी सहभागिता है। कंवलजीत जैसी महिला आज हजारों फीट की ऊंचाई से हवाई जहाज चलाती है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा पहुँचती है तो सुरेखा भोसले सुपरफास्ट रेल चलाती है। इतना ही नहीं सुश्री मायावती, जयललिता, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी जैसी महिलाएं राज्य की ताकतवर मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं। भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभाताई पाटिल बनी है, जो हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान का ही परिणाम है। अकादमिक क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आई.ए.एस. आदि महिला अधिकारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है जो केवल डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष की ही देन है।

महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, सुदृढ़ रहे, उनका जीवन सुखी हो इसके लिए उन्होंने 'परिवार नियोजन' का विचार देश में सर्वप्रथम रखा। इस विचार को भी कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की पर कुछ समय के बाद अब डॉ. अम्बेडकर के कार्यो का महत्त्व महिलाओं को समझ में आ रहा है। इसके कारण कानूनी रूप से महिलाओं को बड़ी मात्रा में संरक्षण दिया गया है। आज महिला सम्मान से जीवन जीने के लिए सक्षम है। हिंदू कोड बिल संपूर्ण रूप से भले ही अमल में न आया हो किंतु कुछ समय के बाद एक-एक प्रावधान 'कानून' हो रहा है जिसे डॉ. अम्बेडकर के विचारों का ही परिणाम कहा जाता रहेगा।

निष्कर्ष :

हिंदू कोड बिल भले ही पूर्ण रूप से पारित न हुआ हो तब भी भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं को संरक्षण देने का कार्य बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने किया है। साथ ही महिलाओं को मानसिक गुलामी से आजाद कराने का कार्य बाबासाहेब द्वारा किया गया। शारीरिक शक्ति से ज्यादा मन की शक्ति मजबूत करने के लिए शिक्षा के महत्त्व को बताया। आज देश को फुले, अंबेडकर, ललई, शाहूजी महाराज इत्यादि के विचारों की आवश्यकता है। जिस तरह फुले, अम्बेडकर के विचारों के बिना महिलाओं की प्रगति संभव नहीं उसी तरह महिलाओं की प्रगति के बिना समाज व देश की प्रगति संभव नहीं। भारतरत्न, महामानव, बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की दृष्टि दूरदर्शी है। हिंदू कोड बिल पर जब उनसे पूछा गया तो वे कहते हैं कि– "हिंदू कोड बिल इस देश में विधानसभा द्वारा हाथ में लिया गया सबसे महत्त्वपूर्ण समाज सुधार है। इसकी तुलना में कोई भी कानून जो पारित हो चुका है या संभवत: पारित होगा, कहीं नहीं ठहरता है।"

आधार ग्रंथ-सूची

- ज्योति लांजेवार, फुले-अम्बेडकर आणि स्त्री मुक्ति आंदोलन: संकेत प्रकाशन।
- अनिल सूर्या, प्राचीन अर्वाचीन भारतीय स्त्री आणि हिंदू कोड बिल: सुगावा प्रकाशन, पुणे।
- सोहनलाल शास्त्री, हिन्दू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर: सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।
- चांगदेव भवानराव खैरमोडे, डॉ. अम्बेडकर आणि हिंदू कोड बिल: सुगावा प्रकाशन, पुणे।
- धनंजय कीर, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर: पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई।

(लेखक एन.जी.टी. नई दिल्ली में अनुवादक हैं एवं भाषाविज्ञान विभाग महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पीएच.डी. कर रहे हैं।)

संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के अवसर पर दिनांक 23 फरवरी 2016 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण

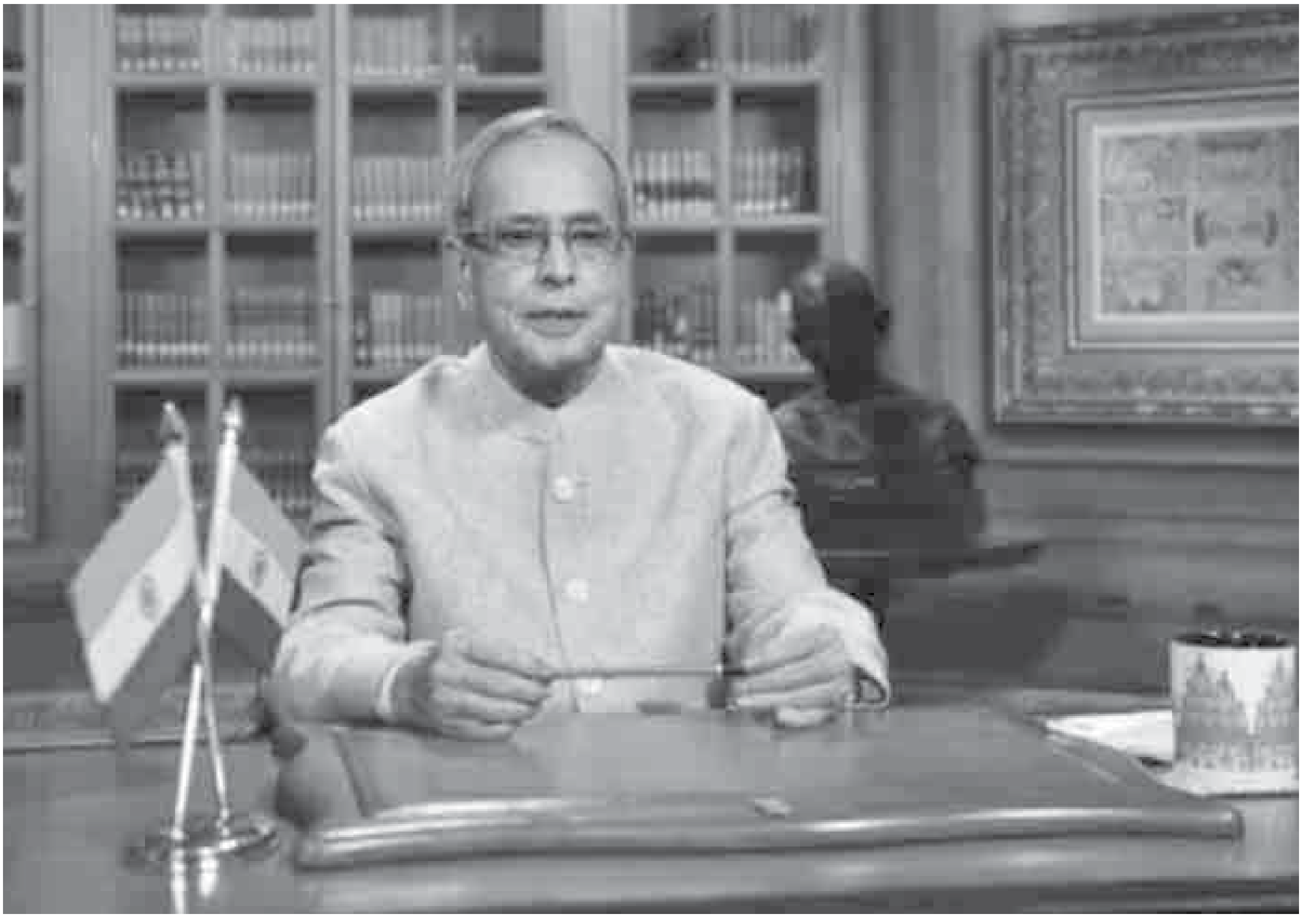

माननीय सदस्यगण,

- नवीकरण और विकास के इस बसंत के मौसम में मैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के नागरिकों ने हममें जो विश्वास व्यक्त किया है हमारे विचार-विमर्श उस विश्वास पर खरा उतरेंगे और आगे बढ़ते हुए हम सभी इस महान देश की प्रगति और विकास में भागीदार बनेंगे।
- पिछले वर्ष संयुक्त बैठक को संबोधित करने के दौरान मैंने भारत को आत्म विश्वास के साथ भविष्य में प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई दूरदर्शी पहलों को रेखांकित किया था। हमारे संविधान में एक ऐसे मजबूत और दूरंदेशी भारत की स्थापना का वायदा किया गया है, जिसमें अवसरों और विकास तक जनता की पहुंच हों। विकास के इस दर्शन को सबका साथ, सबका विकास में इन्हें मूलभूत सिद्धांत के रूप में समाहित किया गया है, जो मेरी सरकार का मार्गदर्शन करते हैं।
- दीन दयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवता दर्शन के बारे में कहा था, जिसमें अंत्योदय की परिकल्पना की गई है तथा इसमें आखिरी व्यक्ति तक अवसरों की सशक्त किरणें पहुंचती है। यह सिद्धांत मेरी सरकार का सभी कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करता है। मेरी सरकार ने विशेष रूप से "गरीबों की उन्नति" (गरीबी

उन्मूलन), "किसानों की समृद्धि" (किसान समृद्धि) और "युवाओं को रोजगार" पर ध्यान केंद्रित किया है।

माननीय सदस्यगण,

- मेरी सरकार के लिए सर्वोपरि लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है। गांधी जी ने कहा था और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ कि "गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है।" प्रगति का सार गरीबों, वंचितों, सीमान्तों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए पूर्ति की भावना लाने में निहित है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश के संसाधनों पर पहला अधिकार पाने का हकदार हैं। गरीबी और निर्धनता को दूर करना हमारी सबसे पवित्र नैतिक जिम्मेदारी है।
- मेरी सरकार ने वित्तीय समग्रता और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को संभव बनाने का वादा किया है। ये दोनों ऐसे पंख है, जिन पर मानवीय आकांक्षा उड़ान भरती है। इसके लिए मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए आवास और सब्सिडी पर जोर दिया है, ताकि इनका लाभ उन लोगों तक पहुंच सकें, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पिछले साल, मैंने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बारे में बात की थी। आज, मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि यह विश्व का सबसे सफल वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, इक्कीस करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें से पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक खातें क्रियात्मक है और इन खातों में कुल मिलाकर बत्तीस हज़ार करोड़ रूपए से अधिक की राशि जमा है। यह कार्यक्रम न केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित है, बल्कि गरीबों बुनियादी वित्तीय सेवायें और सुरक्षा प्रदान करके गरीबी उन्मूलन के लिए एक मंच भी बन गया है।
- सामाजिक सुरक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए मेरी सरकार ने तीन नई बीमा और पेंशन योजनाओं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरूआत की है, जो समाज के वंचित वर्गों को बीमा कवर उपलब्ध कराती हैं।
- सरकार 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, शहरी गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लोगों के लाभ के लिए लगभग 2 करोड़ मकान बनाने का प्रावधान है। इस मिशन में आगामी पांच वर्षों के दौरान 4041 वैधानिक कस्बों को शामिल किया जाएगा। पहले वर्ष के दौरान 27 राज्यों में 2011 कस्बों/शहरों इस मिशन के अधीन शामिल किया गया है। 24,600 करोड़ रूपए की परियोजना लागत से चार लाख पच्चीस हजार घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।
- लक्षित सब्सिडी सुनिश्चित करती है कि इसका लाभ वांछनीय व्यक्ति तक पहुंचे। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अब तक मेरी सरकार द्वारा वित्त पोषित 42 योजनाओं तक बढ़ा दिया गया है। पहल योजना विश्व में अपनी किस्म की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण कार्यक्रम बन गई है। इससे लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जून 2014 के बाद से खाद्य सुरक्षा कवरेज दुगनी होकर 68 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों तक पहुंच गई है।
- गिव बैक कार्यक्रम के साथ अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने के अभियान से प्राप्त सब्सिड़ी के कारण 50 लाख बीपीएल परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन जारी किये गये हैं। 62 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से इस अभियान के तहत अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे अधिक नए रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए।
- डॉ अंबेडकर ने कहा था और मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं हो सकता, जब तक इसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र निहित न हो। समग्रता के साथ सामाजिक न्याय हमारे संविधान का पहला वादा है और गरीब और पिछड़े लोगों के प्रति मेरी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को उचित संशोधनों के द्वारा और मजबूत बनाया गया है। सामाजिक समग्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था और अब इसे देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी सरकार डॉ. अंबेडकर की विरासत के पांच स्थलों पंचातिर्हास के संरक्षण के लिए काम कर रही है।
- शिक्षा लोगों को सशक्त बनाती है और इस उद्देश्य के लिए मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के 50 प्रतिशत से अधिक बजट को छात्रवृत्ति धन के लिए आवंटित

कर दिया है। दो नई योजनाएं – नई मंज़िल और उस्ताद, जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना है, शुरू की गई है। वर्तमान में मदरसों में पढ़ने वाले 20,000 बच्चों को नई मंज़िल योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पारसी समुदाय के जीवन इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अगले महीने एक प्रदर्शनी अनंत लौ (एवरलास्टिंग फ्लेम) का आयोजन किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

- "किसानों की समृद्धि", राष्ट्र की समृद्धि के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस मौलिक वास्तविकता को स्वीकार करते हुए मेरी सरकार ने 'कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय को 'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय' का नया नाम दिया गया है और इसके लिए कई कदम उठाए हैं। मेरी सरकार ने अभी हाल ही में किसानों के अनुकूल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जो किसानों के लिए सबसे कम प्रीमियर दर पर फसल बीमा देने के लिए सरकार का सबसे बड़ा अंशदान है। इस योजना में पहली बार बाढ़ और बेमौसम बारिश के कारण फसल कटाई की हानियों की राष्ट्रीय कवरेज, सरकारी सब्सिडी जल्दी उपलब्ध कराना और कोई दावों के शीघ्र तथा सही निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसी बातों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता की राशि बढ़ाकर 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और इसके लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी गई है।
- मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ कृषि जोत के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जाएंगे और जिसके कारण उर्वरकों के न्यायसंगत प्रयोग इनपुट लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत 8000 समूहों को अब तक विकसित किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल उपयोग दक्षता सुधार कर और सूखारोधी बनाकर खेती का विस्तार करने के लिए सुनिश्चित सिंचाई का वादा किया गया है। मेरी सरकार 'पर ड्रोप मोर क्रोप' तथा 'जल संचय फोर जल सिंचन' के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है।
- किसानों को बेहतर बाजार मूल्य उपलब्ध करने के लिए 585 विनियमित थोक बाजारों को आपस में जोड़ने के लिए सामान्य ई-मार्किट मंच की स्थापना के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार कार्य कर रहा है, जिससे भारत को एक खाद्य क्षेत्र, एक देश और एक बाजार बनाया जा सकेंगा। इससे हमारे किसानों को उचित और लाभदायक मूल्य मिलने से बहुत फायदा होगा। पिछले साल में लक्षित नीति हस्तक्षेपों से गन्ने की बकाया राशि 21,000 करोड़ रुपये से घटकर 720 करोड़ रुपये तक आ गई है।
- मेरी सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम बनाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से नई यूरिया नीति 2015 अधिसूचित की है। इस नीति से अगले तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष 17 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन होने में मदद मिलेंगी। शत-प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराने से न केवल दक्षता में सुधार हुआ है, बल्कि रियायती मूल्य वाले यूरिया का गैर कृषि उपयोग करने की अवैध गतिविधियों को रोकने में भी मदद मिली है। देश में 2015 के दौरान सबसे अधिक यूरिया उर्वरकों का उत्पादन हुआ था।
- मेरी सरकार ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। भारत लगातार सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना हुआ है और इसकी 6.3 प्रतिशत की प्रभावशाली विकास दर है। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट के कार्यान्वयन से देश में अंडों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। नील क्रांति मत्स्य पालन के लिए एकीकृत विकास और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विचाराधीन है, इसमें तीन हजार करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- पूर्वी राज्यों की कृषि क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार इस क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति की शुरूआत करने के लिए अनेक कदम उठा रही हैं। मेरी सरकार ने कृषि उच्च शिक्षा को मजबूत करने, 109 नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने और तीन नई कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं। किसानों के लाभ के लिए नीति पहल, मूल्यों और अन्य कृषि से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 24×7 किसान चैनल शुरू किया गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। नामित फूड पार्क के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया गया है। पिछले 19 महीनों के

दौरान पांच नए मेगा फूड पार्कों में काम शुरू हो गया है। पिछले 18 महीनों में कोल्ड चेन योजना के तहत 33 परियोजनाएं चालू की गई है।

- कृषि विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 14वें वित्त आयोग ने 2015-16 से पांच साल की अवधि के लिए केवल ग्राम पंचायतों के लिए दी गई दो लाख करोड़ रुपये की अंशदान राशि को राज्यों ने बड़े उत्साह से प्राप्त किया है। इस कदम से विकास की गतिविधि जनता के करीब जाएंगी और उन्हें इस बारे में समर्थ बनाएंगी कि वे अपने गांवों और वार्डों को किस प्रकार सुधारना चाहते है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन भी कौशल और स्थानीय उद्यमिता के विकास और बुनियादी ढांचे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 300 ग्रामीण विकास समूहों के लिए शुरू किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

- युवा हमारे देश के भविष्य हैं और व्यापक रोजगार सृजन के जरिये 'युवाओं को रोजगार' सुनिश्चित करना मेरी सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। हम मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा, कुशल भारत जैसी पहलों के जरिये रोजगार सृजन में तेजी ला रहे हैं।
- मेरी सरकार की अभिनव पहलों से भारत को विश्व बैंक की 'कारोबार में सुगमता' वाली नवीनतम रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर चढ़ने में मदद मिली है। एक खास बात यह भी है कि प्रतिकूल वैश्विक निवेश माहौल के बावजूद 'मेक इन इंडिया' पहल ने एफडीआई के प्रवाह में 39 फीसदी बढ़ोतरी हासिल की है।
- मेरी सरकार ने 'कारोबार में सुगमता' बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा सहयोग को बढ़ावा दिया है। प्रक्रिया के सरलीकरण, ई-आधारित प्रक्रिया शुरू करने और बेहतर निवेश माहौल के लिए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनकी सहायता भी की जा रही है। मंजूरियां पाने में ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
- सूक्ष्म, लघु, मंझोले उद्यम (एमएसएमई) बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराते हैं। बैंकों ने प्रधानमंत्री की 'मुद्रा योजना' के तहत 2.6 करोड़ से भी अधिक कर्जदारों को 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि मुहैया कराई है, जिनमें से 2.07 करोड़ महिला उद्यमी हैं। एमएसएमई के ऑनलाइन पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 'उद्योग आधार पोर्टल' शुरू किया गया है। मेरी सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आजीविका एवं प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर स्थापित करने का फैसला किया है।
- कपड़ा उद्योग के रोजगार गहन क्षेत्रों (सेगमेंट) को मजबूती प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने सात वर्षों की अवधि के दौरान तकरीबन 18000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना शुरू की है।
- रोजगार चाहने वालों को रोजगार सृजकों में तब्दील करने के लिए अनेक सुधार लागू किये गये हैं। मेरी सरकारी ने स्टार्ट-अप इंडिया अभियान शुरू किया है जो देश में अभिनव इको-सिस्टम को और गहरा एवं विस्तृत करने के साथ-साथ इसे आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संशोधित किया गया है, ताकि कारगर ढंग से पारिश्रमिक के वितरण के साथ-साथ पारदर्शिता बढ़ सके और उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन हो सके।
- मेरी सरकार के 'कुशल भारत' संबंधी मिशन ने गति पकड़ ली है और पिछले वर्ष तकरीबन 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

माननीय सदस्यगण,

- मेरी सरकार ने एक 'शिक्षित स्वस्थ स्वच्छ भारत' बनाने का लक्ष्य रखा है।
- उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के नये संस्थान स्थापित किये गये हैं। छह भारतीय प्रबंधन संस्थानों, एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है।
- स्वस्थ भारत का सर्वोत्तम तरीका खेलकूद है। मेरी सरकार ने गुवाहाटी और शिलांग में 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी, 2016 तक 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने दिसम्बर, 2015 तक की वैश्विक लक्षित समय सीमा से काफी पहले ही सफलतापूर्वक मातृ एवं नवजात टिटनेस का सफाया कर दिया है।
- मेरी सरकार अपने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिये अंतर-संस्थान रैंकिंग प्रणाली 'कायाकल्प' से उचित लाभ उठा रही है।
- मेरी सरकार समग्र स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा की आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी प्रणालियों को मजबूत

बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रथम 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ 21 जून 2015 को मनाया गया।

- कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मेरी सरकार विभिन्न मंत्रालयों के कदमों और कार्यक्रमों में तालमेल सुनिश्चित कर रही है, जिसके तहत अपेक्षित परिणाम हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
- मेरी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है, ताकि सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- स्वच्छ भारत मिशन एक सामुदायिक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है, ताकि लोगों खासकर गरीबों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में व्यापक बदलाव आ सके।
- मेरी सरकार का यह मानना है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव है।
- मेरी सरकार ने 'जल क्रांति अभियान' शुरू किया है, जिससे कि इस आम जन केन्द्रित कार्यक्रम के जरिये जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ सके। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मेरी सरकार सभी 118 शहरों में अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

माननीय सदस्यगण,

- मेरी सरकार ने शासन की गुणवत्ता में बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाये हैं। संस्थानों को सुधारने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पुराने पड़ चुके कानूनों को हटाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।
- जहां एक ओर मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म करने के लिए कदम उठाये हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के दोषी लोगों को दण्डित करने में मेरी सरकार कठोर रुख अख्तियार कर रही है।
- बुनियादी ढांचागत विकास को नई गति प्रदान करने से सभी लोगों के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। मेरी सरकार ने शहरों के विकास को चुनौती मानते हुए 'स्मार्ट सिटी' कार्यक्रम शुरू किया है।
- स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को वर्ष 2020 तक कई गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के स्तर पर पहुंचाने की परिकल्पना की है।
- सरकार के सत्ता संभालने के बाद से लेकर अब तक ऊर्जा की किल्लत 4 फीसदी से घटकर 2.3 फीसदी के स्तर पर आ गई है।
- मेरी सरकार ने पारेषण के क्षेत्र में संकुलन घटाने के लिए प्रमुख पारेषण योजनाएं शुरू करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।
- मेरी सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित एवं प्रतिस्पर्धा दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क दर नीति में महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं।
- मेरी सरकार ने कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू किये हैं और 70 से भी ज्यादा कोल ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी/आबंटन किया है।
- खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने और खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए खान एवं खनिज विकास और नियमन अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया है और खदानों की नीलामी शुरू कर दी गई है।
- मेरी सरकार ने हाल ही में असम गैस क्रैकर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।

माननीय सदस्यगण,

- मेरी सरकार ने रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में साफ-सफाई के मानकों को बेहतर करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किये हैं।
- जापान की सरकार के साथ हुये ऐतिहासिक समझौते के परिणामस्वरूप मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर एक वास्तविकता में तब्दील हो जायेगी।

माननीय सदस्यगण,

- मार्च, 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 लाख 78 हजार ग्रामीण बस्तियों को ऐसी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा जो हर मौसम में कारगर साबित होंगी।

माननीय सदस्यगण,

- मेरी सरकार केवल अखबारों की सुर्खियां बनने वाली आर्थिक उपलब्धियों के बजाय 'सबका विकास' पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है।

माननीय सदस्यगण,

- हमारी संसद लोगों की सर्वोच्च इच्छा को दर्शाती है। लोकतांत्रिक प्रवृत्ति व्यवधान या रुकावट के बजाय बहस और चर्चा चाहती है।
- हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं। अब उनके सपनों के देश का निर्माण करते हुए यह ऋण चुकाने का समय आ गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में, 'राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है', हमें इन आदर्शों को अपनाना चाहिए क्योंकि हम भविष्य पर अपना दांव लगाते हैं।

जय हिन्द ■

27 मार्च 2016 का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन

मेरे प्यारे देशवासियो,

आप सब को बहुत-बहुत नमस्कार! आज दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग Easter मना रहे हैं। मैं सभी लोगों को Easter की ढ़ेरों शुभकामनायें देता हूँ।

मेरे युवा दोस्तो, आप सब एक तरफ़ Exam में busy होंगे। कुछ लोगों की exam पूरी हो गयी होगी। और कुछ लोगों के लिए इसलिए भी कसौटी होगी कि एक तरफ exam और दूसरी तरफ T-20 Cricket World Cup. आज भी शायद आप भारत और Australia के match का इंतज़ार करते होंगे। पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ़ दो बेहतरीन match जीते हैं। एक बढ़िया सा momentum नज़र आ रहा है। आज जब Australia और भारत खेलने वाले हैं, मैं दोनों टीमों के players को अपनी शुभकामनायें देता हूँ।

65 प्रतिशत जनसंख्या नौजवान हो और खेलों की दुनिया में हम खो गए हों! ये तो बात कुछ बनती नहीं है। समय है, खेलों में एक नई क्रांति का दौर का। और हम देख रहे हैं कि भारत में cricket की तरह अब Football, Hockey, Tennis, Kabaddi एक mood बनता जा रहा है। मैं आज नौजवानों को एक और खुशखबरी के साथ, कुछ अपेक्षायें भी बताना चाहता हूँ। आपको शायद इस बात का तो पता चल गया होगा कि अगले वर्ष 2017 में भारत FIFA Under–17 विश्वकप की मेज़बानी करने जा रहा है। विश्व की 24 टीमें भारत में खेलने के लिए आ रही हैं। 1951, 1962 Asian Games में भारत ने Gold Medal जीता था और 1956 Olympic Games में भारत चौथे स्थान पर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में हम निचली पायरी पर ही चलते गए, पीछे ही हटते गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए। आज तो FIFA में हमारा ranking इतना नीचे है कि मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ़ मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों भारत में युवाओं की Football में रूचि बढ़ रही है। EPL हो, Spanish League हो या Indian Super League के match हों। भारत का युवा उसके विषय में जानकारी पाने के लिए, TV पर देखने के लिए समय निकालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रूचि तो बढ़ रही है। लेकिन इतना बड़ा अवसर जब भारत में आ रहा है, तो हम सिर्फ़ मेज़बान बन कर के अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे? इस पूरा वर्ष एक Football, Football, Football का माहौल बना दें। स्कूलों में, कॉलेजों में, हिन्दुस्तान के हर कोने पर हमारे नौजवान, हमारे स्कूलों के बालक पसीने से तर-ब-तर हों। चारो तरफ़ Football खेला जाता हो। ये अगर करेंगे तो फिर तो मेज़बानी का मज़ा आएगा और इसीलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिये कि हम Football को गाँव-गाँव, गली-गली कैसे पहुँचाएं। 2017 FIFA Under–17 विश्वकप एक ऐसा अवसर है इस एक साल के भीतर-भीतर हम चारों तरफ़ नौजवानों के अन्दर Football के लिए एक नया जोश भर दे, एक नया उत्साह भर दे। इस मेज़बानी का एक फ़ायदा तो है ही है कि हमारे यहाँ Infrastructure तैयार होगा। खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएँ हैं उस पर ध्यान जाएगा। मुझे

तो इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नौजवान को Football के साथ जोड़ेंगें।

दोस्तो, मैं आप से एक अपेक्षा करता हूँ। 2017 की ये मेज़बानी, ये अवसर कैसा हो, साल भर का हमारा Football में momentum लाने के लिए कैसे-कैसे कार्यक्रम हो, प्रचार कैसे हो, व्यवस्थाओं में सुधार कैसे हो, FIFA Under-17 विश्वकप के माध्यम से भारत के नौजवानों में खेल के प्रति रूचि कैसे बढ़े, सरकारों में, शैक्षिक संस्थाओं में, अन्य सामाजिक संगठनों में, खेल के साथ जुड़ने की स्पर्धा कैसे खड़ी हो? Cricket में हम सभी देख पा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ और खेलों में भी लानी है। Football एक अवसर है। क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं? वैश्विक स्तर पर भारत का branding करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मैं मानता हूँ। भारत की युवा शक्ति की पहचान कराने का अवसर मानता हूँ। Match के दरमियाँ क्या पाया, क्या खोया उस अर्थ में नहीं। इस मेज़बानी की तैयारी के द्वारा भी, हम अपनी शक्ति को संजो सकते हैं, शक्ति को प्रकट भी कर सकते हैं और हम भारत का Branding भी कर सकते हैं। क्या आप मुझे NarendraModiApp, इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं क्या? Logo कैसा हो, slogans कैसे हो, भारत में इस बात को फ़ैलाने के लिए क्या क्या तरीके हों, गीत कैसे हों, souvenirs बनाने हैं तो किस-किस प्रकार के souvenirs बन सकते हैं। सोचिए दोस्तो, और मैं चाहूँगा कि मेरा हर नौजवान ये 2017, FIFA, Under-17 विश्व Cup का Ambassador बने। आप भी इसमें शरीक होइए, भारत की पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है।

मेरे प्यारे विद्यार्थियो, छुट्टियों के दिनों में आपने पर्यटन के लिए सोचा ही होगा। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपने-अपने राज्यों में 5 दिन, 7 दिन कहीं चले जाते हैं। कुछ लोग अपने राज्यों से बाहर जाते हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से एक आग्रह किया था कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ से फोटो upload कीजिए। और मैंने देखा कि जो काम Tourism Department नहीं कर सकता, जो काम हमारा Cultural Department नहीं कर सकता, जो काम राज्य सरकारें, भारत सरकार नहीं कर सकतीं, वो काम देश के करोड़ों-करोड़ों ऐसे प्रवासियों ने कर दिया था। ऐसी-ऐसी जगहों के फोटो upload किये गए थे कि देख कर के सचमुच में आनंद होता था। इस काम को हमें आगे बढ़ाना है इस बार भी कीजिये, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ लिखिए। सिर्फ़ फोटो नहीं! आपकी रचनात्मक जो प्रवृति है उसको प्रकट कीजिए और नई जगह पर जाने से, देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीजें हम classroom में नहीं सीख पाते, जो हम परिवार में नहीं सीख पाते, जो चीज हम यार-दोस्तों के बीच में नहीं सीख पाते, वे कभी-कभी भ्रमण करने से ज्यादा सीखने को मिलती है और नई जगहों के नयेपन का अनुभव होता है। लोग, भाषा, खान-पान वहाँ के रहन-सहन न जाने क्या-क्या देखने को मिलता है। और किसी ने कहा है – 'A traveller without observation. is a bird without wings' 'शौक-ए-दीदार है अगर, तो नज़र पैदा कर'। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। एक बार देखने के लिए निकल पड़ो जीवन भर देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे! कभी मन नहीं भरेगा और मैं तो भाग्यशाली हूँ मुझे बहुत भ्रमण करने का अवसर मिला है। जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था और आपकी ही तरह छोटी उम्र थी, मैंने बहुत भ्रमण किया। शायद हिन्दुस्तान का कोई District नहीं होगा, जहाँ मुझे जाने का अवसर न मिला हो। ज़िन्दगी को बनाने के लिए प्रवास की एक बहुत बड़ी ताकत होती है और अब भारत के युवकों में प्रवास में साहस जुड़ता चला जा रहा है। जिज्ञासा जुड़ती चली जा रही है। पहले की तरह वो रटे-रटाये, बने-बनाये उसी route पर नहीं चला जाता है, वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ नया देखना चाहता है। मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूँ। हमारा युवा साहसिक हो, जहाँ कभी पैर नहीं रखा है, वहाँ पैर रखने का उसका मन होना चाहिए।

मैं Coal India को एक विशेष बधाई देना चाहता हूँ। Western Coalfields Limited (WCL), नागपुर के पास एक सावनेर, जहाँ Coal Mines हैं। उस Coal Mines में उन्होंने Eco friendly Mine Tourism Circuit develop किया है। आम तौर पर हम लोगों की सोच है कि Coal Mines – यानि दूर ही रहना। वहाँ के लोगों की तस्वीरें जो हम देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ जाने जैसा क्या होगा और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहती है कि कोयले में हाथ काले, तो लोग यूँ ही दूर भागते हैं। लेकिन उसी कोयले को Tourism का destination बना देना और मैं खुश हूँ कि अभी-अभी तो ये शुरुआत हुई है और अब तक क़रीब दस हज़ार से ज्यादा लोगों ने नागपुर के पास सावनेर गाँव के निकट ये Eco friendly Mine Tourism की मुलाकात की है। ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है। मैं आशा करता हूँ कि इन छुट्टियों में जब प्रवास पर जाएँ तो स्वच्छता में आप कुछ योगदान दे सकते हैं क्या?

इन दिनों एक बात नज़र आ रही है, भले वो कम मात्रा में हो अभी भी आलोचना करनी है तो अवसर भी है लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि एक जागरूकता आई है। Tourist places पर लोग स्वच्छता बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। Tourist भी कर रहे हैं और जो tourist destination के स्थान पर स्थाई रूप से रहने वाले लोग भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। हो सकता है बहुत

वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा? लेकिन हो रहा है। आप भी एक tourist के नाते 'tourist destination पर स्वच्छता' उस पर आप बल दे सकते हैं क्या? मुझे विश्वास है मेरे नौजवान मुझे इसमें जरूर मदद करेंगे। और ये बात सही है कि tourism सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है। ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति कमाता है और जब tourist, tourist destination पर जाता है। ग़रीब tourist जाएगा तो कुछ न कुछ तो लेगा। अमीर होगा तो ज्यादा खर्चा करेगा। और tourism के द्वारा बहुत रोज़गार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत tourism में अभी बहुत पीछे है। लेकिन हम सवा सौ करोड़ देशवासी यह तय करें कि हमें अपने tourism को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। विश्व के tourism के एक बहुत बड़े हिस्से को हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के करोड़ो-करोड़ों नौजवानों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार हो, संस्थाएँ हों, समाज हो, नागरिक हो हम सब ने मिल करके ये करने का काम है। आइये हम उस दिशा में कुछ करने का प्रयास करें।

मेरे युवा दोस्तो, छुट्टियाँ ऐसे ही आ कर चली जाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आप भी इस दिशा में सोचिए। क्या आपकी छुट्टियाँ, ज़िन्दगी के महत्त्वपूर्ण वर्ष और उसका भी महत्त्वपूर्ण समय ऐसे ही जाने दोगे क्या? मैं आपको सोचने के लिए एक विचार रखता हूँ। क्या आप छुट्टियों में एक हुनर, अपने व्यक्तित्व में एक नई चीज़ जोड़ने का संकल्प, ये कर सकते हैं क्या? अगर आपको तैरना नहीं आता है, तो छुट्टियों में संकल्प कर सकते हैं, मैं तैरना सीख लूँ, साईकिल चलाना नही आता है तो छुट्टियों में तय कर लूँ मैं साईकिल चलाऊं। आज भी मैं दो उंगली से कंप्यूटर को टाइप करता हूँ, तो क्या मैं टाइपिंग सीख लूँ? हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने प्रकार के कौशल है? क्यों ना उसको सीखें? क्यों न हमारी कुछ कमियों को दूर करें? क्यों न हम अपनी शक्तियों में इजाफ़ा करें। अब सोचिए और कोई उसमें बहुत बड़े classes चाहिए कोई trainer चाहिए, बहुत बड़ी fees चाहिए, बड़ा budget चाहिए ऐसा नहीं है। आप अपने अगल-बगल में भी मान लीजिये आप तय करें कि मैं waste में से इमेज बनाऊंगा। कुछ देखिये और उसमे से बनाना शुरू कर दीजिये। देखिये आप को आनंद आयेगा शाम होते-होते देखिये ये कूड़े-कचरे में से आपने क्या बना दिया। आप को painting का शौक है, आता नही है, अरे तो शुरू कर दीजिये ना, आ जायेगा। आप अपनी छुट्टियों का समय अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने पास कोई एक नए हुनर के लिए, अपने कौशल-विकास के लिए अवश्य करें और अनगिनत क्षेत्र हो सकते हैं जरुरी नहीं है, कि मैं जो गिना रहा हूँ वही क्षेत्र हो सकते है। और आपके व्यक्तित्व की पहचान उससे और उससे आप का आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा। एक बार देख लीजिये जब छुट्टियों के बाद स्कूल में वापिस जाओगे, कॉलेज में वापिस जाओगे और अपने साथियों को कहोगे कि भाई मैंने तो छुट्टीयों में ये सीख लिया और अगर उसने नहीं सिखा होगा, तो वो सोचेगा कि यार मेरा तो बर्बाद हो गया तुम बड़े पक्के हो यार कुछ करके आ गए। ये अपने साथियों मे शायद बात होगी। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे। और मुझे बताइए कि आप ने क्या सीखा। बतायेंगे ना!। इस बार 'मन की बात' में My-gov पर कई सुझाव आये हैं।

'मेरा नाम अभि चतुर्वेदी है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में बोला कि चिड़ियों को भी गर्मी लगती है, तो हमें एक बर्तन में पानी में रखकर अपनी बालकोनी में या छत पर रख देना चाहिये, जिससे चिड़िया आकर पानी पी लें। मैंने ये काम किया और मेरे को आनंद आया, इसी बहाने मेरी बहुत सारी चिड़ियों से दोस्ती हो गयी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस कार्य को वापस 'मन की बात' में दोहराएँ।'

मेरे प्यारे देशवासियो मैं अभि चतुर्वेदी एक बालक का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसने मुझे फोन करके एक अच्छा काम याद करवा दिया। पिछली बार तो मुझे याद था। और मैंने कहा था कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तनों मे पानी रखे। अभि ने मुझे बताया कि वो साल भर से इस काम को कर रहा है। और उसकी कई चिड़िया उसकी दोस्त बन गई है। हिन्दी की महान कवि महादेवी वर्मा वो पक्षियों को बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने अपनी कविता में लिखा था– तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और होद में भर देंगे हम मीठा-मीठा ठंडा पानी। आइये महादेवी जी की इस बात को हम भी करें। मैं अभि को अभिनन्दन भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि तुमने मुझको बहुत महत्त्वपूर्ण बात याद कराई।

मैसूर से शिल्पा कूके, उन्होंने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा हम सब के लिए रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारे घर के पास दूध बेचने वाले आते हैं, अख़बार बेचने वाले आते हैं, Postman आते हैं। कभी कोई बर्तन बेचने वाले वहाँ से गुजरते हैं, कपड़े बेचने वाले गुजरते हैं। क्या कभी हमने उनको गर्मियों के दिनों में पानी के लिए पूछा है क्या? कभी हमने उसको पानी offer किया है क्या? शिल्पा मैं आप का बहुत आभारी हूँ आपने बहुत संवेदनशील विषय को बड़े सामान्य सरल तरीके से रख दिया। ये बात सही है बात छोटी होती है लेकिन गर्मी के बीच अगर postman घर के पास आया और हमने पानी पिलाया कितना अच्छा लगेगा उसको। खैर भारत

में तो ये स्वभाव है ही है। लेकिन शिल्पा मैं आभारी हूँ कि तुमने इन चीज़ों को observe किया।

मेरे प्यारे किसान भाइयो और बहनो, Digital India – Digital India आपने बहुत सुना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि Digital India तो शहर के नौजवानों की दुनिया है। जी नही, आपको खुशी होगी कि एक "किसान सुविधा App" आप सब की सेवा में प्रस्तुत किया है। ये "किसान सुविधा App" के माध्यम से अगर आप उसको अपने Mobile-Phone में download करते हैं तो आपको कृषि सम्बन्धी, weather सम्बन्धी बहुत सारी जानकारियाँ अपनी हथेली में ही मिल जाएगी। बाज़ार का हाल क्या है, मंडियों में क्या स्थिति है, इन दिनों अच्छी फसल का क्या दौर चल रहा है, दवाइयां कौन-सी उपयुक्त होती हैं? कई विषय उस पर है। इतना ही नहीं इसमें एक बटन ऐसा है कि जो सीधा-सीधा आपको कृषि वैज्ञानिकों के साथ जोड़ देता है, expert के साथ जोड़ देता है। अगर आप अपना कोई सवाल उसके सामने रखोगे तो वो जवाब देता है, समझाता है, आपको। मैं आशा करता हूँ कि मेरे किसान भाई-बहन इस "किसान सुविधा App" को अपने Mobile-Phone पर download करें। try तो कीजिए उसमें से आपके काम कुछ आता है क्या? और फिर भी कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे शिकायत भी कर दीजिये।

मेरे किसान भाइयो और बहनों, बाकियों के लिए तो गर्मी छुट्टियों के लिए अवसर रहा है। लेकिन किसान के लिए तो और भी पसीना बहाने का अवसर बन जाता है। वो वर्षा का इंतजार करता है और इंतजार के पहले किसान अपने खेत को तैयार करने के लिए जी-जान से जुट जाता है, ताकि वो बारिश की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता है। किसान के लिए, किसानी के season शुरू होने का समय बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है। लेकिन हम देशवासियो को भी सोचना होगा कि पानी के बिना क्या होगा? क्या ये समय हम अपने तालाब, अपने यहाँ पानी बहने के रास्ते तालाबों में पानी आने के जो मार्ग होते हैं जहाँ पर कूड़ा-कचरा या कुछ न कुछ encroachment हो जाता तो पानी आना बंद हो जाता है और उसके कारण जल-संग्रह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। क्या हम उन पुरानी जगहों को फिर से एक बार खुदाई करके, सफाई करके अधिक जल-संचय के लिए तैयार कर सकते हैं क्या? जितना पानी बचायेंगे तो पहली बारिश में भी अगर पानी बचा लिया, तालाब भर गए, हमारे नदी नाले भर गए तो कभी पीछे बारिश रूठ भी जाये तो हमारा नुकसान कम होता है।

इस बार आपने देखा होगा 5 लाख तालाब, खेत-तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। मनरेगा से भी जल-संचय के लिए assets create करने की तरफ बल दिया है। गाँव-गाँव पानी बचाओ, आने वाली बारिश में बूँद-बूँद पानी कैसे बचाएँ। गाँव का पानी गाँव में रहे, ये अभियान कैसे चलायें, आप योजना बनाइए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए ताकि एक ऐसा जन-आंदोलन खड़ा करें, ताकि हम पानी से एक ऐसा जन-आन्दोलन खड़ा करें जिसके पानी का माहत्म्य भी समझें और पानी संचय के लिए हर कोई जुड़े। देश में कई ऐसे गाँव होंगे, कई ऐसे प्रगतिशील किसान होंगे, कई ऐसे जागरूक नागरिक होंगे जिन्होंने इस काम को किया होगा। लेकिन फिर भी अभी और ज्यादा करने की आवश्यकता है।

मेरे किसान भाइयो-बहनों, मैं एक बार आज फिर से दोहराना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा किसान मेला लगाया था और मैंने देखा कि क्या-क्या आधुनिक technology आई है, और कितना बदलाव आया है, कृषि क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उसे खेतों तक पहुँचाना है और अब किसान भी कहने लगा है कि भई अब तो fertilizer कम करना है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अधिक fertilizer के दुरुपयोग ने हमारी धरती माँ को बीमार कर दिया है और हम धरती माँ के बेटे हैं, सन्तान हैं हम अपनी धरती माँ को बीमार कैसे देख सकते हैं। अच्छे मसाले डालें तो खाना कितना बढ़िया बनता है, लेकिन अच्छे से अच्छे मसाले भी अगर ज्यादा मात्रा में डाल दें तो वो खाना खाने का मन करता है क्या? वही खाना बुरा लगता है न? ये fertilizer का भी ऐसा ही है, कितना ही उत्तम fertilizer क्यों न हो, लेकिन हद से ज्यादा fertilizer का उपयोग करेंगे तो वो बर्बादी का कारण बन जायेगा। हर चीज़ balance होनी चाहिये और इससे खर्चा भी कम होगा, पैसे आपके बचेंगे। और हमारा तो मत है – कम cost ज्यादा output, "कम लागत, ज्यादा पावत", इसी मंत्र को ले करके चलना चाहिए और वैज्ञानिक तौर-तरीकों से हम अपने कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जल संचय में जो भी आवश्यक काम करना पड़े, हमारे पास एक-दो महीने हैं बारिश आने तक, हम पूरे मनोयोग से इसको करें। जितना पानी बचेगा किसानों को उतना ही ज्यादा लाभ होगा, ज़िन्दगी उतनी ही ज्यादा बचेगी।

मेरे प्यारे देशवासियो, 7 अप्रैल को 'World Health Day' है और इस बार दुनिया ने 'World Health Day' को 'beat Diabetes' इस theme पर केन्द्रित किया है। diabetes को परास्त करिए। Diabetes एक ऐसा मेजबान है कि वो हर बीमारी की मेजबानी करने के लिए आतुर रहता है। एक बार अगर diabetes घुस गया तो उसके पीछे ढेर सारे बीमारी कुरुपी मेहमान अपने घर में, शरीर में घुस जाते हैं। कहते हैं 2014 में भारत में क़रीब साडे छः करोड़ diabetes के मरीज थे। 3 प्रतिशत मृत्यु का कारण कहते हैं कि diabetes पाया गया। और diabetes के दो

प्रकार होते हैं एक Type-1, Type-2, Type-1 में वंशगत रहता है, hereditary है, माता-पिता को है इसलिए बालक को होता है। और Type-2 आदतों के कारण, उम्र के कारण, मोटापे के कारण। हम उसको निमंत्रण देकर के बुलाते हैं। दुनिया diabetes से चिंतित है, इसलिए 7 तारीख को 'World Health Day' में इसको theme रखा गया है। हम सब जानते हैं कि हमारी life style उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। शारीरिक श्रम कम हो रहा है। पसीने का नाम-ओ-निशान नहीं है, चलना-फिरना हो नहीं रहा है। खेल भी खेलेंगे तो online खेलते है, off-line कुछ नहीं हो रहा है। क्या हम, 7 तारीख से कुछ प्रेरणा ले कर के अपने निजी जीवन में diabetes को परास्त करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आपको योग में रूचि है तो योग कीजिए नहीं तो कम से कम दौड़ने चलने के लिए तो जाइये। अगर मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो मेरा भारत भी तो स्वस्थ होगा। कभी कबार हम संकोचवश medical check-up नहीं करवाते हैं। और फिर बहुत बुरे हाल होने के बाद ध्यान में आता है कि ओह... हो... मेरा तो बहुत पुराना diabetes था। Check करने में क्या जाता है इतना तो कर लीजिये और अब तो सारी बातें उपलब्ध हैं। बहुत आसानी से हो जाती हैं। आप ज़रूर उसकी चिंता कीजिए।

24 मार्च को दुनिया ने TB Day मनाया। हम जानते है, जब मैं छोटा था तो TB का नाम सुनते ही डर जाते थे। ऐसा लगता था कि बस अब तो मौत आ गयी। लेकिन अब TB से डर नहीं लगता है। क्योंकि सबको मालूम है कि TB का उपचार हो सकता है, और असानी से हो सकता है। लेकिन जब TB और मौत जुड़ गए थे तो हम डरते थे लेकिन अब TB के प्रति हम बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन दुनिया की तुलना में TB के मरीजों की संख्या बहुत है। TB से अगर मुक्ति पानी है तो एक तो correct treatment चाहिये और complete treatment चाहिये। सही उपचार हो और पूरा उपचार हो। बीच में से छोड़ दिया तो वो मुसीबत नई पैदा कर देता है। अच्छा TB तो एक ऐसी चीज़ है कि अड़ोस-पड़ोस के लोग भी तय कर सकते है कि अरे भई check करो देखो, TB हो गया होगा। ख़ासी आ रही है, बुखार रहता है, वज़न कम होने लगता है। तो अड़ोस-पड़ोस को भी पता चल जाता है कि देखो यार कहीं उसको TB-VB तो नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसको जल्द जाँच की जा सकती है।

मेरे प्यारे देशवासियो, इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। तेरह हज़ार पांच सौ से अधिक Microscopy Centre हैं। चार लाख से अधिक DOT provider हैं। अनेक advance labs हैं और सारी सेवाएँ मुफ्त में हैं। आप एक बार जाँच तो करा लीजिए। और ये बीमारी जा सकती है। बस सही उपचार हो और बीमारी नष्ट होने तक उपचार जारी रहे। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चाहे TB हो या Diabetes हो हमें उसे परास्त करना है। भारत को हमें इन बीमारियों से मुक्ति दिलानी है। लेकिन ये सरकार, डॉक्टर, दवाई से नहीं होता है जब तक की आप न करें। और इसलिए मैं आज मेरे देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हम diabetes को परास्त करें। हम TB से मुक्ति पायें।

मेरे प्यारे देशवासियो, अप्रैल महीने में कई महत्त्वपूर्ण अवसर आ रहे हैं। विशेष कर 14 अप्रैल भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर का जन्मदिन। उनकी 125वीं जयंती साल भर पूरे देश में मनाई गयी। एक पंचतीर्थ, महू उनका जन्म् स्थान, London में उनकी शिक्षा हुई, नागपुर में उनकी दीक्षा हुई, 26-अलीपुर रोड, दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ और मुंबई में जहाँ उनका अन्तिम संस्कार हुआ वो चैत्य भूमि। इन पाँचों तीर्थ के विकास के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस वर्ष 14 अप्रैल को मुझे बाबा साहिब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू जाने का सौभाग्य मिल रहा है। एक उत्तम नागरिक बनने के लिए बाबा साहिब ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस रास्ते पर चल कर के एक उत्तम नागरिक बन कर के उनको हम बहुत बड़ी श्रधांजलि दे सकते हैं।

कुछ ही दिनों में, विक्रम संवत् की शुरुआत होगी। नया विक्रम संवत् आएगा। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप से मनाया जाता है। कोई इसे नव संवत्सर कहता है, कोई गुड़ी-पड़वा कहता है, कोई वर्ष प्रतिपदा कहता है, कोई उगादी कहता है। लेकिन हिन्दुस्तान के करीब-करीब सभी क्षेत्रों में इसका महात्म्य है। मेरी नव वर्ष के लिए सब को बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं।

आप जानते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे 'मन की बात' को सुनने के लिए, कभी भी सुन सकते हैं। करीब-करीब 20 भाषाओं में सुन सकते हैं। आपके अपने समय पर सुन सकते हैं। आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर सुन सकते हैं। बस सिर्फ आपको एक missed call करना होता है। और मुझे खुशी है कि इस सेवा का लाभ अभी तो एक महीना बड़ी मुश्किल से हुआ है। लेकिन 35 लाख़ लोगों ने इसका फायदा उठाया। आप भी नंबर लिख लीजिये 81908-81908। मैं repeat करता हूँ 81908-81908। आप missed call करिए और जब भी आपकी सुविधा हो पुरानी 'मन की बात' भी सुनना चाहते हो तो भी सुन सकते हो, आपकी अपनी भाषा में सुन सकते हो। मुझे खुशी होगी आपके साथ जुड़े रहने की।

मेरे प्यारे देशवासियो, आपको बहुत-बहुत शुभकामनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ■

जीवन चरित - बीसवीं किस्त

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर-जीवन चरित

■ धनंजय कीर

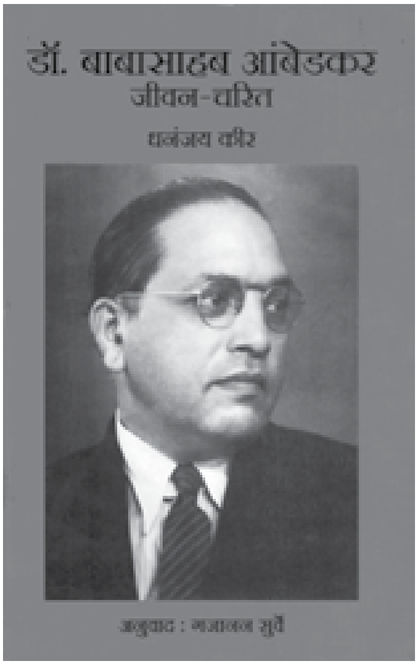

सोलापुर से बंबई वापस लौटते ही अम्बेडकर एक अलग ही महत्त्वपूर्ण काम में व्यस्त हो गए। किसानों की शिकायतें पेश करने के लिए विधान परिषद् पर उन लोगों का मोरचा ले जाता था। बंबई के आसपास के ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, नासिक जिलों के किसान रेलगाड़ी और जहाज से बंबई आए थे। उन किसानों के कपड़े फटे हुए थे। हर एक के हाथ में लाठी, कंधे पर कंबल और साथ में रोटियों की पोटली थी। उनके चेहरे धूप से झुलस गये थे, लेकिन अपनी शिकायतें हम विधान परिषद् के सामने पेश करने वाले हैं; इस उत्साह से उनके चेहरे प्रफुल्लित दमक रहे थे। उनका मोरचा तीन दिशाओं से विधान परिषद् के सदन की ओर चढ़ाई करके आ गया। एक परेल की ओर से दूसरा अलेक्जेंड्रा गोदी की ओर से और तीसरा चौपाटी की आरे से। प्रत्येक जुलूस के साथ पुलिस चल रही थी। महत्त्व के स्थान पर पुलिस की टुकड़ी खड़ी थी। खोती का विनाश हो', 'अम्बेडकर के विधेयक का साथ दो' इस प्रकार की घोषणाएं वे कर रहे थे। दोपहर डेढ़ बजे बोरीबंदर के पास आजाद मैदान पर जुलूस आ पहुंचे। पुलिस अधिकारियों द्वारा जुलूसों को वहीं रोक दिया गया। बीस चुनिंदा नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आगे जाने की इजाजत दी गई। शामराव परुलेकर, सी.चिं. जोशी, दत्तोपंत राऊत, इंदुलाल याज्ञिक और अ.वि. चित्रे का एक प्रतिनिधि मंडल अम्बेडकर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने जो पहली मांग प्रस्तुत की वह खेत पर काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय करने के विषय में थी। जिस तरह महसूल कर में छूट दी जाती थी, उसी तरह लटके हुए किराए के पैसों में भी छूट दी जाए। दूसरी मांग यह थी कि मालिकों को भरपाई दिए बिना या देकर ईनामदारी और खोती पद्धतियां नष्ट करने के लिए तुरन्त कानून बनाया जाए। सामाजिक दृष्टि से जुल्मी, आर्थिक दृष्टि से बेकार सिद्ध हुई जमींदारी पूरी तरह से विनष्ट करनी ही चाहिए। छोटे किसानों के लिए नहर के पानी की दरें आधी की जाएं-यह उनकी तीसरी मांग थी। मंत्री ने कहा, हमारी सरकार अपनी ओर से सभी समस्याओं का सोच-विचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री के सामने निवेदन प्रस्तुत करके प्रतिनिधि मंडल फिर से आजाद मैदान पर पहुंचा। मुख्य नेताओं ने उस प्रचण्ड सभा में भाषण किए। अम्बेडकर का भाषण जोरदार और परिणामकारी हुआ। मजदूर नेता अम्बेडकर ने कहा, 'मेरी कम्यूनिज्म संबंधी पढ़ी हुई किताबों की संख्या सभी भारतीय कम्यूनिस्टों द्वारा उस संबंध में पढ़ी हुई किताबों से ज्यादा होगी।[3] कम्यूनिस्ट किसी भी समस्या का व्यावहारिक पक्ष कभी भी नहीं देखता। विश्व में दो ही वर्ग है। गरीब और अमीर। शोषित और शोषक। तीसरा मध्यवर्ग है। लेकिन वह बहुत ही छोटा है। इसलिए किसानों और मजदूरों को अपनी दरिद्रता के कारणों पर सोच-विचार करना चाहिए। यह दिखाई देगा कि उनकी दरिद्रता के कारण उनका शोषण करने वालों की अमीरी में है। उसका उपाय एक ही है और वह है कि वे जाति निरपेक्ष बुद्धि से मजदूरों की अगाड़ी संघटित करके अपना सच्चा कल्याण करने वाले कार्यकर्ता ही चुनकर विधानमंडल में भेजें। अगर वे इस तरह का कार्य कर सके तो ही उन्हें आवास और वस्त्र का लाभ हो सकेगा। राष्ट्र के लिए अनाज और अन्य संपत्ति का निर्माण करने वाले जो आप लोग हैं वे कभी भूखे और कंगाल नहीं रहेंगे।' अम्बेडकर के इस भाषण का आवेग, तर्कशुद्धता और चुभन किसी भी कम्युनिस्ट नेता को लज्जित करेगा। उनके प्रतिद्वंदियों को यह डर लगा कि अम्बेडकर किसानों, मजदूरों और भूमिहीनों के एक प्रभावी नेता बनेंगे।

किसानों के उद्धार का आंदोलन करते समय राज्यकर्ता दल के साथ जिस समस्या पर अम्बेडकर का कड़ाके का झगड़ा हुआ, वह समस्या अस्पृश्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण थी। 'स्थानीय स्वराज्य कानून' में सुधार करने के लिए

राज्यकर्ता दल ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उसमें अस्पृश्य वर्गियों का 'हरिजन' शब्द में उल्लेख किया था। अम्बेडकर के मुख्य सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ ने एक सुधार प्रस्ताव रखकर अनुरोध किया कि, 'हरिजन' अभियान हमारे समाज के लिए लागू न करे। अपने सूत्रबद्ध भाषण में गायकवाड़ ने कहा कि, 'अस्पृश्य वर्ग ने अनेक सभाओं और परिषदों में घोषित किया है कि हमें यह अभियान नहीं चाहिए। इसलिए हरिजन अभियान का सरकार कानूनन स्वीकृति न दे। अगर आपने यह नहीं सुना तो आपका वह कृत्य निषेध की लहरें उठाए बिना नहीं रहेगा।' गायकवाड़ ने आखिरी ताना मारा; 'महाराज, अगर अस्पृश्य ईश्वर के लोग हैं, तो क्या स्पृश्य दैत्य के हैं? अगर सभी लोगों को हरिजन कहना है तो हमारा उसे विरोध नहीं। अस्पृश्यों को केवल मीठा नाम देने से नहीं चलेगा। उनकी उन्नति के लिए कुछ ठोस कार्य किया जाए।' द.व. राऊत ने सुधार प्रस्ताव को समर्थन दिया। स्थानीय स्वराज्य मंत्री ल.म. पाटील ने कहा कि यह सच है कि केवल नाम बदलने से अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार नहीं होगा। लेकिन अस्पृश्य शब्द को जो कालिमा लगी हुई है उसे दूर करने के लिए और उस समाज को प्रतिष्ठा देने के लिए सरकार उन्हें 'हरिजन' नाम दे रही है।

गायकवाड़ द्वारा पेश किया सुधार प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। कांग्रेस राज्यकर्ताओं ने 'हरिजन' अभियान अस्पृश्यों के गले में बलात् उतार दिया। यहां यह विशेष ध्यान में रखने की जरूरत है कि चुनाव में अस्पृश्यों की पंद्रह आरक्षित सीटों में से यद्यपि कांग्रेस को दो ही सीटें मिली थी, फिर भी उन्होंने यह कृत्य बेधड़क किया। गायकवाड़ का प्रस्ताव नामंजूर होते ही सभागृह में अम्बेडकर एकदम खड़े हुए और उन्होंने निश्चय के साथ कहा, 'मुझे अफसोस हो रहा है। इस विषय के बारे में अस्पृश्य समाज की इच्छा की कद्र की जानी चाहिए थी। अगर गायकवाड़ का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता तो कोई भी दुःखी नहीं होता या देश के हित में कोई बाधा न होती।

गायकवाड़ द्वारा पेश किया सुधार प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। कांग्रेस राज्यकर्ताओं ने 'हरिजन' अभियान अस्पृश्यों के गले में बलात् उतार दिया। यहां यह विशेष ध्यान में रखने की जरूरत है कि चुनाव में अस्पृश्यों की पंद्रह आरक्षित सीटों में से यद्यपि कांग्रेस को दो ही सीटें मिली थी, फिर भी उन्होंने यह कृत्य बेधड़क किया। गायकवाड़ का प्रस्ताव नामंजूर होते ही सभागृह में अम्बेडकर एकदम खड़े हुए और उन्होंने निश्चय के साथ कहा, 'मुझे अफसोस हो रहा है। इस विषय के बारे में अस्पृश्य समाज की इच्छा की कद्र की जानी चाहिए थी। अगर गायकवाड़ का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता तो कोई भी दुःखी नहीं होता या देश के हित में कोई बाधा न होती। सरकार द्वारा अपना बल इस तरह जुल्मी रीति से इस्तेमाल करने से मुझे दुःख होता है। हम भी सरकार को अपनी नापसंदी दिखाने के लिए आज के अगले कामकाज में हिस्सा न लेते हुए पूरे गुट के रूप में बाहर जाते हैं।' मुख्यमंत्री खेर ने दलित वर्ग के सदस्यों को समझाने बुझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'हरिजन' शब्द आदरयुक्त है और वह अभिप्राय अर्थ व्यक्त कर सकता है। वह शब्द मूलतः संत कवि नसी मेहता की कविता का है।' अम्बेडकर ने कहा, 'हमें यह इतना ही कहना है कि इसकी अपेक्षा दूसरा अधिक अच्छा नाम सुझाना असंभव है, ऐसी बात नहीं। राज्यकर्ता दल को हमारे दल के साथ विचार-विनिमय करके दूसरा कोई नाम खोजना संभव था। खेर के स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं हुए हैं'-ऐसा कहकर उन्होंने सभागृह का त्याग किया। बाद में उनके दल के सदस्य संसद भवन के बाहर निकल गए। उन्होंने 'हरिजन' अभियान कभी भी स्वीकार नहीं किया। अम्बेडकर को यह मालूम रहा होगा कि गुजरात के भू-दासों को 'हरि' कहा जाता था।

दलितों के उद्धार के कार्य में जब अम्बेडकर पूरी तरह से समरस हो गए थे। कुछ समय तक लोगों को ऐसा लगा कि अब बाबासाहेब का ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ संबंध टूट गया। ग्रंथों के बदले में अब उन्हें लोगों का चस्का लग गया। जनता की शिकायतें सुनना, उस जगह प्रत्यक्ष जाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, इस संबंध में उन्हें पथ प्रदर्शन करना और उनके बारे में सरकार के पास दाद मांगना-इस तरह उन दिनों में अम्बेडकर का कार्यक्रम था। अम्बेडकर यानी दलितों के दुःख की चीख, उनके मत के प्रतिनिधि और उनके कौल-करार के प्रतीक बन गए थे। नगर में किसानों और मजदूरों ने अपने पथ प्रदर्शन के लिए अम्बेडकर को आमंत्रित

किया। इसलिए 25 जनवरी, 1938 को नगर में अम्बेडकर ने उनकी परिषद् का मार्गदर्शन किया। नगर में भाऊसाहब कानवड़े नामक स्थानीय वकील ने उन्हें जिला लोकल बोर्ड में नाश्ता दिया। उस कार्यक्रम में सरदार थोरात और त्रिभुवन वकील भी शामिल हुए। तद्नंतर शाम को उसी जिले में अकोला गांव में वे खास मोटर गाड़ी से रवाना हुए। मार्ग में अनेक जगह जनता ने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। वहां उन्होंने छोटा सा भाषण करके परिषद् का मार्गदर्शन किया। उस परिषद् में अम्बेडकर द्वारा विधान मंडल में प्रस्तुत किए गए विधेयक को समर्थन दिया गया।

किसानों की भांति रेलवे मजदूरों की संघटना स्थापित करने का काम हाथ में लेना अम्बेडकर ने तय किया। सन् 1938 में 12 फरवरी को मनमाड़ में अस्पृश्य रेलवे मजदूरों की एक बड़ी परिषद् संपन्न हुई। 20,000 मजदूर उस परिषद् में उपस्थित थे। उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा, 'किशोरावस्था में मैंने अपने रिश्तेदारों के खाने के डिब्बे पहुंचाने का काम किया था और इसलिए मजदूरों की समस्याओं के बारे में मुझे सूक्ष्म जानकारी है। उस समय मजदूरों की स्थिति कुछ निराली थी। मजदूरों में फूट पड़ेगी इस डर से पुराने मजदूर अस्पृश्य मजदूरों पर होने वाले अन्याय को दूर करने का प्रयास नहीं करते थे। आज की परिषद् अभूतपूर्व है। आज तक सामाजिक अन्याय और शिकायतें दूर करने के लिए हमने संग्राम किया और हमें उसमें बेहतर सफलता मिली, जिसका फल राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में हुआ। अब हमने आर्थिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए कार्य शुरू किया है। आज तक हम अस्पृश्य या दलित के रूप में इकट्ठे होते थे। लेकिन आज हम मजदूर के रूप में इकट्ठा हुए है। आज तक यह माना जाता था कि मैं देश का दुश्मन हूं। अब यह कहा जाता है कि मैं मजदूरों का दुश्मन हूं। वास्तव में ब्राह्मणशाही और पूंजीवाद-ये ही दो मजदूरों के सही दुश्मन है।' उस भाषण में अम्बेडकर ने आगे कहा, 'ब्राह्मणशाही का अर्थ मैं ब्राह्मणों को मिली हुई सत्ता, उनके विशेष अधिकार वा कल्याण के रूप में नहीं करता। उस अर्थ में मैं 'ब्राह्मणशाही' शब्द का प्रयोग नहीं करता। मेरे मत के अनुसार स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव का अभाव यानी ब्राह्मणशाही। इस अर्थ से स्पष्ट है कि ब्राह्मणशाही सभी वर्गों में अपरिमित रूप में विद्यमान है। ब्राह्मणशाही के उत्पादक ब्राह्मण ही है। तथापि उसकी सीमा ब्राह्मण समाज तक ही नहीं है। ब्राह्मणशाही के दुष्परिणाम केवल सामाजिक अधिकार, अंतर्जातीय विवाह और सहभोज पर ही नहीं होते। बल्कि उसने नागरिकों के अधिकारों का भी इनकार किया है। ब्राह्मणशाही के सर्वदर्शी होने से अधिक क्षेत्र के मौके पर भी उसके परिणाम होते हैं।'

अम्बेडकर ने आगे कहा, 'हमारे दलित वर्ग को जो मौका मिलता है और स्पृश्य मजदूर को जो मौका मिला है उनकी तुलना करने से यह दिखाई देगा कि, अस्पृश्य मजदूर को काम मिलने का, नौकरी मिलने का और उसमें उन्नति करने का मौका कम ही है। ऐसी अनेक नौकरियां होती हैं कि जहां अस्पृश्यता के कारण अस्पृश्य मजदूरों को उनमें से अलग किया जाता है। कपड़ा मिलों में कुछ विभागों में अस्पृश्य मजदूर नहीं लिए जाते। रेलवे में तो गैंग-मैन की नौकरी में ही सड़ते रहना उनकी तकदीर में होता है। इतना ही नहीं, अस्पृश्यता के कारण उन्हें कुली के रूप में भी नियुक्त नहीं किया जाता। क्योंकि कुली लोगों को स्टेशन मास्टर के घरेलू काम के लिए नौकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां अस्पृश्य कुली कैसे चलेंगे? वही स्थिति रेलवे कारखानों में भी है। जब तक तात्विक दृष्टि से खुला अन्याय और संघटना की दृष्टि से एकता के लिए हानिकर हुआ यह अन्याय और पक्षपात दूर नहीं होते, तब तक मजदूरों में एकता कैसे निर्माण होगी?' ऐसा अम्बेडकर ने टीकाकारों से प्रश्न किया। 'इसलिए मजदूरों में एकता निर्माण करनी है, तो उन्हें ब्राह्मणशाही का निर्मूलन करना चाहिए तभी मजदूरों की सच्ची एकता होगी।'[4] ऐसा उन्होंने मजदूरों को उपदेश किया।

अम्बेडकर ने यह मत व्यक्त किया कि हिंदुस्तान की मजदूर संघटना बुरी स्थिति में है। वह भरा हुआ गंदा डबरा था; क्योंकि मजूदर संघटना का नेतृत्व, उनके मतानुसार डरपोक, स्वार्थी और गलत मार्ग से चलने वाला था। मजदूर संघटनों के आपसी मतभेद इतने भयावह थे कि प्रत्यक्ष मजदूर और पूंजीवादियों में वैसा भयावह कलह नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि, 'कम्यूनिस्टों ने प्राप्त की हुई सत्ता का और शक्ति का दुरुपयोग किया।'

मानवेंद्र रॉय ने इस तत्व का विरोध किया कि कांग्रेस के भीतर या कांग्रेस के बाहर मजदूरों की स्वतंत्र संघटना हो। यह देखकर अम्बेडकर को अचरज हुआ। अन्य लोगों की भांति अम्बेडकर को भी रॉय गूढ़ व्यक्ति लगे। उन्हें ऐसा लगा कि कम्यूनिस्ट होकर भी रॉय द्वारा मजदूरों की स्वतंत्र संघटना का विरोध करना, एक भयंकर विसंगति और विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि रॉय के इस मत के कारण लेनिन अपनी समाधि में तड़पा होगा। उन्होंने और कहा, 'शायद रॉय के मतानुसार भारतीय राजनीति का प्रमुख ध्येय साम्राज्यवाद का विनाश करना रहा होगा। लेकिन अगर साम्राज्यवाद के विनाश के बाद मजदूरों को जमींदार, मिल मालिकों के साथ भी संघर्ष करना होगा-क्योंकि वे तो मजदूरों को रक्त शोषण करने के लिए हिंदुस्तान में ही रहेंगे-तो साम्राज्यवाद के साथ पूंजीवाद के खिलाफ भी लड़ने की तैयारी उन्हें इस क्षण से करनी चाहिए।' अम्बेडकर ने मजदूरों को यह इशारा किया।

उसी मंडप में अस्पृश्य युवकों की एक परिषद् आयोजित की गई थी। मुरलीधर

पगारे के स्वागतपरक भाषण के बाद डॉ. बाबासाहेब ने एक अत्यंत बोधपरक, स्फूर्तिदायी और हृदय में हलचल पैदा करने वाला भाषण दिया। उन्होंने युवकों को उपदेश किया कि, 'तुम यह ध्यान में रखो कि जीवन में भव्य ध्येय हो; यह जिंदगी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण नियम है। जिंदगी में खुद की उन्नति के लिए या देश की प्रगति के लिए कोई भी ध्येय न हो, उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आठों प्रहर प्रयास करने चाहिए। विश्व के सभी महान कार्य निरंतर उद्यमशीलता और कड़े परिश्रमों का सामना करके साकार हुए हैं। अपने ध्येय पर अपनी सारी शक्ति केंद्रीभूत की जाए। मनुष्य जीवित रहने के लिए खाना खाये और समाज का उद्धार करने के लिए कार्य करते हुए जिंदा रहे।'

शिक्षा की समस्या के बारे में अम्बेडकर ने कहा, 'शिक्षा के दुधारा शस्त्र होने की वजह से उसे चलाना खतरनाक है। चरित्रहीन और विनयहीन सुशिक्षित मनुष्य पशु से भयंकर होता है। अगर सुशिक्षित मनुष्य की शिक्षा गरीब जनता के कल्याण के खिलाफ होती है तो वह समाज के लिए शाप बन जाएगा। ऐसे सुशिक्षितों का धिक्कार हो। शिक्षा की अपेक्षा चरित्र अधिक महत्त्व का है। युवकों की धर्म विरोधी प्रवृत्ति देखकर मुझे अफसोस होता है। कुछ लोग कहते हैं, धर्म अफीम की गोली हे, लेकिन यह सच नहीं। मुझमें जो अच्छे गुण विद्यमान हैं वे या मेरी शिक्षा की वजह से समाज का जो कुछ कल्याण हुआ होगा, वह मुझमें विद्यमान धार्मिक भावना के कारण ही है। मुझे धर्म की जरूरत है। धर्म के नाम से चली हुई ढोंगबाजी नहीं चाहिए। परिषद् सफल हुई। इस परिषद् से यह साबित हुआ कि मौका मिलने पर अस्पृश्य नेता भी जनसमूह का संगठन कर सकते हैं।

बंबई वापस लौटने पर ताड़वाड़ी में 19 मार्च, 1938 को बाबासाहेब को 'विविध वृत्त' के संपादक रामभाऊ तटनिस की अध्यक्षता में एक छोटी सी थैली अर्पण करने का समारोह संपन्न हुआ। दलित समाज स्वतंत्र मजदूर दल में शामिल हो, यह आवाहन अपने भाषण में करके बाबासाहेब ने आगे कहा, 'मेरी तबियत ठीक नहीं। शरीर स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर ने मुझे यह सलाह दी है कि मैं हर शनिवार और रविवार को अनशन करूं। डॉक्टर ने पानी तक पीने के लिए मुझे मना किया है। सोमवार दोपहर का अनशन छूटता है। कुछ लोग अपनी मनौती उतारने के लिए अनशन करते हैं, तो कुछ लोग इस उद्देश्य से अनशन करते हैं कि परमात्मा उनकी प्रार्थना सुने; लेकिन मैं अपनी पाचन-क्रिया में सुधार लाने के लिए अनशन कर रहा हूं।' अम्बेडकर के इस अनशन की प्रतिध्वनि विधान सभा में भी गूंज उठी। बंबई के तत्कालीन गृहमंत्री कन्हैयालाल मुन्शी ने दो जुआरी कैदियों की सजा माफ करके उन्हें छोड़ दिया। उस कृति का विरोध करते समय अम्बेडकर ने विधानसभा में जोरदार भाषण दिया। भाषण करते समय उन्होंने एक घूंट पानी पिया। एक कांग्रेस आमदार ने सभापति से पूछा, 'महाराज! क्या पसंद भवन में पेय लिया जा सकता है?' उस पर अम्बेडकर ने उपर्युक्त स्पष्टीकरण दिया।

बंबई वापस लौटने पर ताड़वाड़ी में 19 मार्च, 1938 को बाबासाहेब को 'विविध वृत्त' के संपादक रामभाऊ तटनिस की अध्यक्षता में एक छोटी सी थैली अर्पण करने का समारोह संपन्न हुआ। दलित समाज स्वतंत्र मजदूर दल में शामिल हो, यह आवाहन अपने भाषण में करके बाबासाहेब ने आगे कहा, 'मेरी तबियत ठीक नहीं। शरीर स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर ने मुझे यह सलाह दी है कि मैं हर शनिवार और रविवार को अनशन करूं। डॉक्टर ने पानी तक पीने के लिए मुझे मना किया है। सोमवार दोपहर का अनशन छूटता है। कुछ लोग अपनी मनौती उतारने के लिए अनशन करते है, तो कुछ लोग इस उद्देश्य से अनशन करते हैं कि परमात्मा उनकी प्रार्थना सुने; लेकिन मैं अपनी पाचन-क्रिया में सुधार लाने के लिए अनशन कर रहा हूं।' अम्बेडकर के इस अनशन की प्रतिध्वनि विधान सभा में भी गूंज उठी।

विधानसभा के चुनाव में सफलता प्राप्त होने से अम्बेडकर को जिला लोकल बोर्ड के चुनाव की ओर ध्यान देने के लिए उत्साह प्राप्त हुआ। इस्लामपुर में उन्होंने भाषण कर सातारा जिला मण्डल में (लोकल बोर्ड) अपने दल का उम्मीदवार चुनकर देने की जनता से विनती की। वहां के भाषण में उन्होंने सूचित किया कि, 'मराठा लोग कांग्रेस के अतिरिक्त एक अलग दल स्थापित करें।' क्योंकि कांग्रेस के सेठ जी और भटजी के हाथ की कठपुतली होने से किसान और मध्यवर्ग

के कल्याण के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकेगी। आते समय सातारा और पुणे होकर वे बंबई वापस लौटे।

उसी महीने में विधानसभा में प्राथमिक शिक्षा कानून में सुधार करने के उद्‌देश्य से एक विधेयक राज्यकर्ताओं ने विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया था। उस पर चर्चा होते समय गृहमंत्री कन्हैयालाल मुन्शी और अम्बेडकर के बीच झड़पें हुई। मुंशी एक तड़पदार वकील और प्रवीण वाद-विवाद पटु थे। इन दोनों की विचार-पद्धति में मूलभूत फर्क था। साथ ही उनके स्वभाव में भी साफ अलगाव था। वे एक-दूसरे का कड़ा विरोध करते थे।

उस विधेयक पर चर्चा होते समय अम्बेडकर ने गांधी प्रणीत वर्धा शिक्षा योजना का हमला किया। मुंशी जी आगबबूला हो गये। उन्होंने खड़े होकर कहा कि, अम्बेडकर वर्धा योजना पर मत देने के योग्य अधिकारी व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं विधानसभा के अन्य विधायकों को भी उस विषय की यथार्थ कल्पना न होने से वे भी उस विषय पर मत देने के पात्र नहीं हैं।

मुंशी द्वारा किया गया सदन का यह अवमान देकर अम्बेडकर ने तुरन्त उठकर कहा, 'अगर ऐसा हो तो आप विधानमंडल पूर्णत: खारिज करें।' उस पर प्रश्नोत्तर बढ़ते गए:

मुंशी - मान्यवर सदस्यों को विधि मंडल के सर्वसामान्य तत्वों की ओर अलग-अलग तांत्रिक कार्य कैसे चलता है, यह जानने की बुद्धि भी नहीं है। सरकार जो नियम बनाती है उन्हें छपवाने के लिए सदस्यों के बहुमत की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

अम्बेडकर - इसका अर्थ विरोधी दल की कोई पूछ ही नहीं है, क्या हमारे सम्माननीय मित्र का मंतव्य यही है?

मुख्यमंत्री खेर - जो सरकार आप उखाड़ नहीं सके, जिस पर दबाव नहीं ला सके या अपनी बात स्वीकार करने के लिए जिसका मन परिवर्तित नहीं कर सके, सरकार के अधीन आप जब बर्ताव करते थे तब...

अम्बेडकर - (तनिक गुस्से में आकर) क्या आज की परिस्थिति उससे अलग है?

सभापति - शांत रहिए! शांत रहिए!

यहां एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अम्बेडकर न सिर्फ शिक्षा विषय के अधिकारी व्यक्ति थे, बल्कि वे विधि महाविद्यालय के प्राध्यापक भी थे और मुन्शी तो सिर्फ वकील थे। अम्बेडकर से उनका शिक्षण विषयक ज्ञान बिलकुल ज्यादा नहीं था। अम्बेडकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष सहभागी रहे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र की अनेक समस्याओं का अध्ययन किया था। उस क्षेत्र का उनका अनुभव भी बड़ा था।

अप्रैल 1938 के पहले सप्ताह में विधानसभा में राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एक प्रश्न पर चर्चा चल रही थी। वह प्रश्न यानी स्वतंत्र कर्नाटक की मांग। कर्नाटक को बंबई प्रांत से अलग करने की वह मांग थी। उस प्रस्ताव पर मत व्यक्त करते समय अम्बेडकर ने भय व्यक्त किया कि कर्नाटक केवल लिंगायतों का प्रांत बन जाएगा और वह गैर-लिंगायतों का विरोधी बनेगा। इस तरह के जातीय विभाजन के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार थी। उस सरकार ने जो दो देन इस देश को दीं, उस संबंध में अम्बेडकर ने कृतज्ञता व्यक्त की। उनमें से पहली देन यानी सबके लिए लागू किया गया एक ही एक कानून और दूसरी देन यानी केंद्रीय सरकार। अम्बेडकर ने और कहा कि 'सभी भारतीय यह भावना पैदा करें कि हम सब भारतीय हैं यही सबका समान ध्येय होना चाहिए।' उन्होंने सदा को और देश को आगे के शब्दों में धोखे का इशारा किया।' हम सब भारतीय है इस भावना ने यद्यपि अंकुर धारण नहीं किया है और अब कहीं वह अंकुर धारण कर ही रही है कि अपने अलग प्रांतीय अभिमान, संस्कृति और देशभक्ति की कल्पनाओं को स्वैर छोड़ देना मेरी दृष्टि में अपराध है। व्यक्तिगत रूप में बोलना है तो मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव का इसलिए ही मैं कड़ा विरोध कर रहा हूं।' देशभक्ति से परिपूरित इस भाषण का सभागृह पर काफी अच्छा असर पड़ा। उनका यह भाषण तालियों के गूंज में समाप्त हुआ।

उस समय विधानसभा में और एक विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। बंबई शहर के पुलिस कानून में सुधार करना उस विधेयक का उद्‌देश्य था। इस विधेयक पर जितना भारी हमला हुआ और जितनी कड़ी चर्चा हुई उतनी अन्य किसी भी विधेयक पर नहीं हुई थी। विरोधी पक्ष के हर एक नेता ने उसकी धज्जियां उड़ाई। विरोधी दल के नेताओं द्वारा उस विधेयक में सूचित किए हुए पर्याय और योजना को फसादियों पर ही लागू किया जाए-इस तरह की आत्यंतिक सूचना की गई। उस विधेयक पर उपसूचना प्रस्तुत करते समय अम्बेडकर ने कहा 'मैं यह स्वीकार करता हूं कि समाज के अत्यंत दुष्ट और घातकी बर्ताव करने वाले गुंडों से जनता को पीड़ा और जनता के जीवन को धोखा पैदा होता है। बंबई के अपराध जगत में बीस साल से अधिक समय मैंने गुजारा है। अन्य किसी की अपेक्षा किबहुना पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) साहब की अपेक्षा भी मुझे उस जगत की अधिक जानकारी है। गरीब जनता को ये मवाली दादा सताते हैं। उन्हें अपनी शिकायतों की दाद लेना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा पीड़ा न हो इसलिए वे बेचारे चुप बैठते हैं। आप यह पूरी तरह से जानते हैं कि उन समाज कंटकों को सजा करने के लिए वे मवालियों के डर से न्यायालय की ओर दौड़ सकते।'

जातीय दंगों का उल्लेख कर उन्होंने सभागृह से अनुरोध किया कि 'इसमें कोई दो मत नहीं कि हर साल होने वाला यह खून-खराबा स्थायी रूप से बंद होना चाहिए। लेकिन पुलिस आयुक्त इस सत्ता का दुरुपयोग न करें, इसलिए कानून में कुछ व्यवस्था अभी कर लेनी चाहिए।

शासन इस इंतजाम का इस्तेमाल दूसरे किसी भी कारण के लिए न कर सके। जिन कारणों के लिए इन्तजाम किया गया है, उन कारणों के लिए ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें कहीं पर भी भाग जाने का रास्ता या अभाव नहीं होना चाहिए।'

इस विधेयक की चर्चा होते समय कुछ मजेदार क्षण सभागृह में उपस्थित हुए। जमनादास मेथा ने विधेयक के पहले वाचन के समय विरोध किया था। उन्होंने कहा 'गुनहगार टोली में से हर एक को बचाव का अधिकार होना ही चाहिए।' उस पर अम्बेडकर ने उनसे पूछा 'यह कैसा आदर्श है?' उस पर जमनादास ने कहा कि 'नागरिक स्वातंत्र्य का इस तरह गला घोंटना अमरीकी लोगों को भी अच्छा नहीं लगा।' कुछ देर बाद अम्बेडकर ने कहा, 'यह उपाय योजना मजदूरों के कलह पर लागू न की जाए। इसके बारे में मुझे जमनादास मेथा से अधिक चिंता है।' उस पर जमनादास ने उत्तर दिया 'नहीं, जितनी मुझे लगती ही उतनी ही चिन्ता, उससे अधिक नहीं।' इस पर पुनश्च अम्बेडकर ने कहा 'आपकी संमति से मैं कहता हूं कि, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है।'

अम्बेडकर ने गृहमंत्री को 'कम्युनिटी' शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की विनती की।

मई 1938 के पूर्वार्ध में अम्बेडकर सतनामी गुरू के मुकदमे के बारे में नागपुर के न्यायालय में काम चलाने के लिए गए थे। वह काम समाप्त होने पर वहां के लोगों ने उनका बड़ा सत्कार किया। रात के समय आंधी, बारिश और बिजली का हो-हल्ला चल रहा था, फिर भी लोगों के झुंड के झुंड उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। दूसरे दिन सुबह कामटी गांव में आयोजित विद्यार्थियों की सभा में उन्होंने मार्गदर्शन परक भाषण किया। तद्नंतर वे बंबई वापस लौटे।

यद्यपि कांग्रेस दल की बंबई राज्य में राज्यसत्ता शुरू हुई थी, फिर भी अम्बेडकर विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर काम कर ही रहे थे। उन्होंने मई 1938 में उस पद से इस्तीफा दे दिया। उनके कार्य के बारे में विधि महाविद्यालय की मासिक पत्रिका में कहा गया था, 'इसमें संदेह नही कि विद्यार्थियों को जिनके ज्ञान और कर्तृत्व के बारे में आदर है, ऐसे प्राचार्य से कॉलेज वंचित हुआ है। उनके व्याख्यान व्यासंगत पूर्ण होते थे और विद्यार्थी उन्हें दत्तचित्त होकर सुनते थे। प्राचार्य अम्बेडकर के कार्यकाल में महाविद्यालय का ग्रंथालय समृद्ध हुआ।' यह बात उस मासिक पत्रिका ने कृतज्ञतापूर्वक कही है और यह भी दर्ज किया है कि 'कानूनी शास्त्र संबंधी उनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे।'

इस विधेयक की चर्चा होते समय कुछ मजेदार क्षण सभागृह में उपस्थित हुए। जमनादास मेथा ने विधेयक के पहले वाचन के समय विरोध किया था। उन्होंने कहा 'गुनहगार टोली में से हर एक को बचाव का अधिकार होना ही चाहिए।' उस पर अम्बेडकर ने उनसे पूछा 'यह कैसा आदर्श है?' उस पर जमनादास ने कहा कि 'नागरिक स्वातंत्र्य का इस तरह गला घोंटना अमरीकी लोगों को भी अच्छा नहीं लगा।' कुछ देर बाद अम्बेडकर ने कहा, 'यह उपाय योजना मजदूरों के कलह पर लागू न की जाए। इसके बारे में मुझे जमनादास मेथा से अधिक चिंता है।' उस पर जमनादास ने उत्तर दिया 'नहीं, जितनी मुझे लगती ही उतनी ही चिन्ता, उससे अधिक नहीं।' इस पर पुनश्च अम्बेडकर ने कहा 'आपकी संमति से मैं कहता हूं कि, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है।'

13 मई, 1938 को अम्बेडकर कोंकण के दौरे पर निकले। कोल्हापुर मार्ग से वे कणकवली में परिषद् के लिए गए। दौरे के लिए कोल्हापुर के दत्तोबा पवार को मोटर का प्रबंध करने के लिए कहा। कोंकण के किसान आंदोलन में प्रमुख हिस्सा लेने वाले अनंतराव चित्रे, कवली, प्रधान, टिपनिस आदि सहयोगी उपस्थित थे। कणकवली गांव को इस समय ध्वनिक्षेपक के पहली बार दर्शन हुए। महाराष्ट्र के बीस लाख महारों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए और सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने के लिए निरन्तर संघर्ष करना चाहिए, ऐसा उन्होंने परिषद् को उपदेश किया। अस्पृश्य भीख मांगकर उच्छिष्ट टुकड़े पर जीवन बिताने की बुरी आदत छोड़ दे। विधानसभा के अपने प्रतिनिधियों के कार्य की ओर वे ध्यान दें। खोती उन्मूलन करके उन्हें गुलामी से मुक्त करने का अपना निश्चय उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने यह भी शारा किया कि अगर हमारा प्रस्तुत किया हुआ विधेयक विधानसभा में मंजूर नहीं हुआ, तो वे नि:शस्त्र प्रतिरोध का आंदोलन करने के लिए तैयार रहे।

दूसरे दिन अम्बेडकर देवरुख और आरवली गांवों में गये। वहां उन्होंने

अस्पृश्य समाज के सामने छोटे-छोटे भाषण दिए। मई 15 की रात को वे चिपलुन वापस लौटे। चिपलुन की सभा में उन्होंने कहा कि 'गांधी की मोहनी विद्या मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस गांधी जी की शरण में गए। लेकिन मैं गांधी जी की शरण में कभी भी नहीं जाऊंगा और अगर किसी समय मैं कांग्रेस में गया, तो खुद की गुणवत्ता से वहां भी प्रभाव डालूंगा। पिछले दस मास से मेरा खोती उन्मूलन का विधेयक कांग्रेस ने जान-बूझकर पीछे रख छोड़ा है। समर्थन के अभाव में अगर वह विधेयक सफल नहीं हुआ तो किसान कर बंदी का आंदोलन शुरू करें। मैं स्वयं उस समस्या के लिए कारावास भुगतने के लिए तैयार हूं। 80% जनसंख्या के किसान परिवार में से किसी एक को इस प्रांत का मुख्यमंत्री पद प्राप्त होने का दृश्य मुझे देखना है।'

खेड और दापोली में छोटे-छोटे भाषण करके अम्बेडकर महाड़ पहुंचे। महाड़ वास्तव में रणभूमि है, वहीं उन्होंने कोंकण के सनातनी, हिंदू और प्रतिगामी शक्तियों के साथ पहला युद्ध किया था। महाड़ की प्रचण्ड सभा में उन्होंने रोमहर्षक भाषण किया। उन्होंने कहा 'चालू राज्यसत्ता का रुख एकदम निराशाजनक है।' लगभग छह सौ मील प्रवास करके अम्बेडकर 21 मई को बंबई वापस लौटे। लगातार भाषण करने से उनका गला सूख गया था। आवाज इतनी कमजोर हो गई थी कि आखिरी सभा में उनके मुंह से शब्द निकलना भी मुश्किल हो गया था।

बंबई वापस लौटने पर अम्बेडकर ने एक मुलाकात में कहा, 'यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दल को दिन-ब-दिन समर्थन मिल रहा है। खोती उन्मूलन करके उनकी गुलामी दूर करने के जो प्रयास मैं कर रहा हूं उसके बारे में लोगों में कृतज्ञता का भाव है और उसे स्वीकृति भी है। हमारा स्वतंत्र मजदूर दल चुनाव के घोषणापत्र में दिए हुए आश्वासनों की पूर्ति करने के लिए कार्यरत हैं। लेकिन अगर कांग्रेस दल से विश्वास उठ गया, तो आगे का मार्ग साफ ही है। समाजवादियों का दृष्टिकोण देखकर मैं अचरज में पड़ गया हूं। अनेक वर्षों से जमींदारी पद्धति और पूंजीवाद नष्ट करने के लिए वे लोग नारे लगा रहे हैं, परन्तु जब वह उदिष्ट साध्य करने के लिए मैंने प्रत्यक्ष विधेयक प्रस्तुत किया, तब वे सब चुप बैठे रहे।'

इसी दरमियान मध्य प्रांत के कांग्रेस दल के मंत्रिमंडल में मुश्किल पैदा हो गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने डॉ. ना. भा. खरे को जबरदस्ती उपद्रवी ठहराकर खारिज कर दिया। लोकतंत्र की दृष्टि से अपना बर्ताव अपनी भूमिका कैसे उचित है, यह लोगों को विशद करने के लिए डॉ. खरे ने महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख स्थानों में सभा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। अगस्त 1938 के पहले सप्ताह में इसी तरह की एक सभा बंबई के आर.एम. भट माध्यमिक स्कूल में आयोजित की गई थी। उस सभा के लिए प्रचण्ड भीड़ एकत्र हो गयी थी। सभा के तीन आकर्षण थे। सत्यशोधक गांधी जी ने यह झूठ निवेदन किया था कि डॉ. खरे के इस्तीफे का कच्चा मसौदा उन्होंने नहीं लिखा था। डॉ. खरे ने साबित किया था कि गांधी जी का निवेदन सफेद झूठ था। तीसरा आकर्षण यानी डॉ. खरे को एक हरिजन मंत्री लेने के संदर्भ में गांधी जी का विरोध था। इसलिए डॉ. खरे की शोकांतिका को और ही रंग चढ़ गया था। कांग्रेस द्वारा फटकारे गए डॉ. खरे को अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए डॉ. बा.शि. मुंजे उपस्थित थे। डॉ. मुंजे, बै. जमनादास मेथा और अम्बेडकर के भाषण हुए। मध्य प्रान्त के विधानसभा के प्रमुख दल के नेता के रूप में डॉ. खरे को अपने चुनिंदा लोगों का मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार है-ऐसा सबने अभिप्राय दिया। डॉ. अम्बेडकर ने डॉ. खरे के दृष्टिकोण का समर्थन किया। डॉ. खरे का पक्ष सच्चा है। डॉ. खरे पर कांग्रेस श्रेष्ठियों ने अन्याय करके लोकतंत्र के नाम को हरताल लगा दिया है। गाड़ी के दो पहिए हुए बिना वह नहीं चलेगी। दो प्रभावी दल के बिना किसी भी देश का राज्य शासन अच्छी तरह से नहीं चलेगा-ऐसा डॉ. अम्बेडकर ने अभिप्राय दिया। मजे की बात यह कि डॉ. खरे खुद हरिजन सेवक संघ के कार्य कारिणी मंडल के सदस्य थे। गांधी जी ने डॉ. खरे को हरिजन मंत्री लेने के लिए कड़ा विरोध किया। इसके पहले एक सभा सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसायटी में आयोजित की गई थी। कांग्रेस श्रेष्ठियों के लोकतंत्र विरोधी कृत्य का सबने कड़ा विरोध किया था। इस सभा के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर थे। उन्होंने कहा, 'बहुमत के कारण राज्य शासन चलाने वाला दल भ्रष्ट बनता है। अपरिमित बहुमत से वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। इस राजनीतिक सूक्ति की उन्होंने सभा को याद दिलाई। अम्बेडकर के इस बोल में मौलिक विचार है। सम्प्रति देश में इस बोल की प्रतिध्वनि गूंज रही है।

उस समय डॉ. अम्बेडकर के सम्मुख अगर किसी ने कहा कि गांधी जी पवित्र व्यक्ति हैं, तो बाबासाहेब तुरंत कहते थे, 'गांधी जी उल्लू जैसे अपवित्र, अशुभ सूचक हैं।' गांधी जी का गोलमेज परिषद् के समय का बर्ताव बहुत विश्वासघाती था। कोई छटा हुआ बदमाश भी इस तरह का नीच कपट न करता'-उन्होंने बड़े जोर से उसी समय ये उद्गार निकाले। उस मुलाकात में अम्बेडकर ने आगे कहा, 'मुख में राम और बगल में छूरी'-इस तरह के आदमी को अगर महात्मा कहा जाए तो मोहनदास महात्मा है।[5] भारत की राजनीति में इतनी तीखी वाणी उस समय अन्य किसी भी नेता की नहीं रही होगी। सच्चा क्रांतिकारी कभी गोल-मोल भाषा नहीं बोलता। वह धूल और धुआं उठाए बिना नहीं रहता।

अहमदाबाद से पच्चीस-तीस मील दूरी पर स्थित बावला गांव के अस्पृश्य बंधुओं ने अम्बेडकर को सम्मानपत्र दिया।

वहां के दलितों की शोचनीय स्थिति देखकर वे दु:खी हुए। बाबासाहेब ने उन्हें उत्तेजना दी कि, महाराष्ट्र के अस्पृश्य बंधुओं की भांति वे खुद में धैर्य निर्माण करें, आत्मविश्वास रखें। वापस लौटते समय उनका श्रेमाभाई सभागृह में भाषण हुआ। उस समय उन्होंने कहा, 'यह सच है कि मैं गांधी जी का विरोध करता हूं क्योंकि गांधी जी पर मेरा विश्वास नहीं। मुझे यह बिलकुल नहीं लगता कि गांधी जी अस्पृश्य वर्ग का कल्याण करेंगे। अगर गांधी जी वफादार हैं तो वे मध्य प्रान्त के मंत्रिमंडल में और बंबई के मंत्रिमंडल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि लेने की आज्ञा क्यों नहीं देते?' उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस दल के राज्यकर्ता भूमिकर कम नहीं करते। अमीरों पर कर लादने के लिए वे तैयार नहीं होते। पहले की सरकार ने दलित वर्गियों को खेती करने के लिए जमीन, पुलिस दल में नौकरियां और कुछ मात्रा में सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटें रखने का प्रबंध किया था। परंतु कांग्रेस सरकार उनकी परवाह नहीं करती।' अक्तूबर के अंतिम दिन स्वतंत्र मजदूर दल की बेलगांव शाखा द्वारा निपाणी में बुलाई गई परिषद् के लिए अम्बेडकर वहां गए। वहां उनका भव्य सत्कार किया गया। गगनभेदी गर्जनाओं से आसपास का माहौल गूंज उठा। अम्बेडकर को रथ में बिठाकर एक मील लंबी शोभायात्रा निकाली गई। रथ में पचास बैल जुते हुए थे। उस समय महान नेताओं की शोभा यात्रा भी इसी तरह निकलती थी।

इसी बीच औद्योगिक कलह विधेयक सितम्बर 1938 में बंबई विधानसभा में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। अम्बेडकर और जमनादास मेथा ने उस विधेयक का कड़ा विरोध किया। जिस अर्थ में किसी विशिष्ट परिस्थिति में हड़ताल करना गैरकानूनी ठहराया गया है, उस अर्थ में प्रस्तुत विधेयक बुरा है; रक्त के धब्बों से भरा हुआ है। रक्तपिपासु है। जो विधेयक मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार में रुकावट डालता है, वह मालिकों को अपना अर्थ संकल्प प्रकट करने के लिए विवश नहीं करता और पुलिस दल का इस्तेमाल मजदूरों के खिलाफ करने की छूट मांग रहा है-ऐसा विरोधी लोगों का राग चल रहा था।

इसी बीच औद्योगिक कलह विधेयक सितम्बर 1938 में बंबई विधानसभा में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। अम्बेडकर और जमनादास मेथा ने उस विधेयक का कड़ा विरोध किया। जिस अर्थ में किसी विशिष्ट परिस्थिति में हड़ताल करना गैरकानूनी ठहराया गया है, उस अर्थ में प्रसतुत विधेयक बुरा है; रक्त के धब्बों से भरा हुआ है। रक्तपिपासु है। जो विधेयक मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार में रुकावट डालता है, वह मालिकों को अपना अर्थ संकल्प प्रकट करने के लिए विवश नहीं करता और पुलिस दल का इस्तेमाल मजदूरों के खिलाफ करने की छूट मांग रहा है-ऐसा विरोधी लोगों का राग चल रहा था।

अम्बेडकर ने अपना यह मत विशद् किया कि, 'हड़ताल करना दीवानी अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं मनुष्य की इच्छा के खिलाफ उसे काम करने के लिए विवश करना गुलामी है। कामगारों को सजा देना यानी उन्हें गुलाम बनाना। और युनाइटेड स्टेट्स संविधान के अनुसार गुलामी का मतलब है, अनैच्छिक दासता। हड़ताल का मतलब है, मजदूर किस शर्तो पर नौकरी करने के लिए तैयार है; यह बताने की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर कांग्रेस नेताओं को यह लगता है कि स्वतंत्रता उनका पवित्र अधिकार है, तो मेरा कहना है, मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार भी पवित्र है।'

विधेयक को 'मजदूरों की नागरिक- स्वतंत्रता का गला घोंटने वाला कानून' नाम यथार्थत: शोभामयान दिखाई देता; यह कहकर अम्बेडकर ने आगे कहा, 'उसके पुच्छगामी और प्रगति अवरोधक होने के कारण मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर उसने सीमा निर्धारित कर दी है। हड़ताल करना उसने असंभव कर दिया है। उसे गैरकानूनी ठहरा दिया है और इसीलिए उस विधेयक का जनक 1929 के औद्योगिक कलह कानून करने वालों से भी अधिक प्रगति-प्रतिरोधी है।' यह अंतिम ताना मुन्शी के हृदय पर आघात कर गया। इसलिए पुनश्च दोनों में विवाद छिड़ गया। उसके अंतिम उत्तर प्रत्युत्तर इस प्रकार थे:-

मुंशी - मेहनत-मजदूरी करने वालों के नसीब में, उसकी वजह से गुलामी आ जाती।

अम्बेडकर - यह काफी है, इस विधेयक में उसके भी आगे एक कदम बढ़ाने के लिए आपको ऐसी शर्म नहीं आनी चाहिए थी।

सभापति - शांति रखिए, शांति रखिए।

इतना होने पर अम्बेडकर ने सरकार की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा, 'जो सरकार यह दावा करती है

कि वह मजदूरों के वोटों पर चुनी गई है, उस सरकार ने चुनाव के समय मजदूरों को दिए गए आश्वासनों को हरताल लगा दिया है। जो लोकतंत्र मजदूरों को गुलामी में डाल रहा है, वह कैसा लोकतंत्र? यह लोकतंत्र की विडम्बना है। अम्बेडकर और जमनादास मेथा दोनों मजदूर नेताओं ने अपनी वाद कुशलता और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के बल पर उस विधेयक पर इस तरह प्रचण्ड हमला किया, उस पर ऐसे जोश से आघात किए कि उससे मंत्रिमंडल बहुत ही हैरान हो गया। लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वह विधेयक किसी भी हालत में मंजूर कर लेने का तय करने से उन्होंने विधानसभा से वह मंजूर कर ही लिया।

कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस दुराग्रही कृति की वजह से विधानसभा के बाहर औद्योगिक शहरों से उस कानून का 'काला-कानून' कहकर धिक्कार किया गया। उस काले कानून के खिलाफ विरोध का ज्वर फैल गया। मजदूरों ने नापसंदी व्यक्त की। 7 नवम्बर 1938 को स्वतंत्र मजदूर दल और मिल मजदूर यूनियन ने एक दिन की हड़ताल करना जाहिर किया। साथ ही नियोजित हड़ताल के पक्ष में मजदूर नेताओं ने और हड़ताल का वार व्यर्थ हो इस दृष्टि से कांग्रेस नेताओं ने बंबई में तूफानी प्रचार शुरू किया।

लगभग 60 विभिन्न मजदूर संघों ने हड़ताल का शंख फूंक दिया। हड़ताल के एक दिन पहले रात में आठ बजे मिल मजदूर यूनियन की जमनादास मेथा की अध्यक्षता में हुई सभा में उसके कार्यक्रम की रूपरेखा पक्की की गई। अम्बेडकर, परुलेकर, मिरजकर, डांगे, निमकर और अन्य नेता सभा में उपस्थित थे। कार्यकारी मंडल ने एक प्रचण्ड जुलूस निकालना तय किया। मिलों और कारखानों के सामने शांति से निदेशन करना तय हुआ। साथ ही औद्योगिक नगरों के मजदूरों को इस मजदूर विरोधी विधेयक के बारे में अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए उस सभा में आवाहन किया गया।

अम्बेडकर ने अपने दल के विधायकों को बुलाकर एक कृति समिति नियुक्त की। हड़ताल सफल करने की दृष्टि से ध्यानपूर्वक कार्यक्रम बनाया गया। इस सभा में जमनादास मेथा उपस्थित थे। दल के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए नगर के अलग-अलग विभाग निर्धारित कर दिए गए। मानवेंद्र रॉय जिन्हें उलटे सिर-पैर वाले गांधीवादी कहते थे, उन कांग्रेस समाजवादियों ने अम्बेडकर के साथ सहयोग करने से इनकार किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अम्बेडकर हड़ताल का उपयोग अपने दल को शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस दल के धुरंधर और धूर्त संघटक स.का. पाटील ने मजदूरों के विभाग में कांग्रेस की कुछ सभाएं बुलाने का निश्चय किया। तद्नुसार कॉटन ग्रीन में एक सभा में उन्होंने एक जोरदार भाषण किया। कांग्रेस संघटना की प्रतिष्ठा या अस्तित्व जहां-जहां धोखे में पड़ जाता था, वहां-वहां पाटील का विघ्नहर्ता के रूप में आवाहन किया जाता था, कारण था उनका संघटन चातुर्य।

सरकार ने बंबई के आसपास के जिलों से 300 हथियारबंद पुलिस और बारह अधिकारी बुलाकर उन्हें बंबई के मिलों के आसपास महत्त्वपूर्ण जगहों पर पहरे पर रख दिया। स्वतंत्र मजदूर दल हड़ताल की असली रीढ़ थी। उस दल ने अपने हजारों स्वयंसेवकों के हाथों शहर के भिन्न-भिन्न भागों में पत्रक बांटकर हड़ताल सफल करने के लिए मार्गदर्शन किया था। इस तरह सरकार और मजदूर दोनों पक्ष ताल ठोंककर खड़े हो गये।

हड़ताल के एक दिन पहले सायंकाल लगभग 80,000 मजदूरों की एक प्रचंड सभा मजदूर मैदान पर हुई। उस सभा के अध्यक्ष जमनादास मेथा थे। उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल की धज्जियां उड़ा दी। अन्य मजदूर नेताओं ने जोरदार भाषण करके उस मजदूर विरोधी कानून का विरोध किया। इंदुलाल याज्ञिक ने कहा कि, मजदूर काले कानून के पाश तोड़ दें। कांग्रेस नेताओं की हास्यास्पद विचारधारा की डांगे ने हंसी उड़ाई। अम्बेडकर ने कांग्रेस मंत्रिमंडल पर चौतरफा हमला किया और हड़ताल सफल करने की मजदूरों को हृदय से विनती की।

इस सभा के बाद मजदूरों के उस प्रचण्ड समूह ने जुलूस निकाला। वह जुलूस परेल, लालबाग, डिलाईल रोड से वरली में जांबोरी मैदान में विसर्जित हुआ।

6 नवम्बर, 1938 को रात में मजदूर नेताओं की पुनश्च एक बैठक हुई। हड़ताल का नियंत्रण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। उसकी अध्यक्षता के लिए भी जमनादास को ही चुना गया। अम्बेडकर, डांगे, निमकर, मिरजकर और प्रधान उस समिति के सदस्य थे। 90% स्वयंसेवक अम्बेडकर के स्वतंत्र मजदूर दल के थे।

7 नवम्बर, 1938 की सुबह हुई। दिशाएं उन्मुख होते ही पुलिस अधिकारियों को दौड़ धूप शुरू हो गई। वे अपनी जगह अपनी जगह सतर्क हो गये। गृहमंत्री मुन्शी को परिस्थिति की जानकारी थी। उन्होंने पुलिस आयुक्त को ताकीद दी थी कि शांतिभंग न हो, इसलिए पूरी व्यवस्था में तनिक भी कमी न होने पाये। निश्चय के अनुसार हड़ताल सुबह शांति के गंभीर वातावरण में शुरू हुई। हड़ताल निरोधन के कार्यक्रम में मजदूरों को एक बड़ा मजे का दृश्य दिखाई पड़ा। जमनादास और अम्बेडकर मजदूर नेताओं की यह जोड़ी लाल निशानों में सुशोभित एक मोटर से मजदूरों को ध्वनिक्षेपक द्वारा हड़ताल सफल करने के लिए आदेश देती घूम रही थी। प्राय: सभी कपड़ों मिलें और नगर पालिका के कारखाने बंद थे। दो-चार मिलों में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। ■

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्‌बोधन

(डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26, अलीपुर रोड, दिल्ली का शिलान्यास एवं छठवां डॉ. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान)

स्थान: विज्ञान भवन नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2016

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक,
26, अलीपुर रोड, दिल्ली
का शिलान्यास

आज, मुझे Ambedkar Memorial Lecture देने के लिए अवसर मिला है। यह छठा लेक्चर है। लेकिन यह मेरा सौभाग्य कहो, या देश को सोचने का कारण कहो, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां बोलने के लिए आया हूं। मैं मेरे लिए इसे सौभाग्य मानता हूं। और इसके साथ-साथ भारत सरकार की एक योजना को साकार करने का अवसर भी मिला है कि 26-अलीपुर जहां पर बाबा साहब का परिनिर्वाण का स्थल है वहां एक भव्य प्रेरणा स्थली बनेगा। किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि जिस महापुरुष ने 1956 में हमारे बीच से विदाई ली, आज 60 साल के बाद वहां पर कोई स्मारक की शुरुआत हो रही है। 60 साल बीत गए।

मैं नहीं जानता हूं कि इतिहास की घटना को कौन किस रूप में जवाब देगा। लेकिन हमें 60 साल इंतजार करना पड़ा। हो सकता है ये मेरे ही भाग्य में लिखा गया होगा। शायद बाबा साहब का मुझ पर आशीर्वाद रहा होगा कि ये सौभाग्य मुझे मिला।

मैं सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, तो यह संपत्ति प्राइवेट चली गई थी। और जिस सदन में बाबा साहब रहते थे, वो तो पूरी तरह ध्वस्त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको acquire किया। लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं। और उसके कारण मकान acquire करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्री श्री को भी बता देता हूं 2018, 14 अप्रैल को मैं इसका उद्‌घाटन करने आऊंगा। Date तय करके ही काम करना है और तभी होगा और भव्य होगा ये मेरा पूरा विश्वास है।

इसकी जो design आपने देखी है, इसे आप भी विश्वास करेंगे दिल्ली के अंदर जो iconic buildings है, उसमें अब इस स्थान का नाम हो जाएगा। दुनिया के लिए वो iconic building होगा, हमारे लिए प्रेरणा स्थली है, हमें अविरत प्रेरणा देने वाली स्थली है, और इसलिए आने वाली पीढ़ियों में जिस-जिसको मानवता की दृष्टि से मानवता के प्रति commitment के लिए कार्य करने की प्रेरणा पानी होगी तो इससे बढ़ करके प्रेरणा स्थली क्या हो सकती है।

कभी-कभार मेरी एक शिकायत रहती है और यह शिकायत मैं कई बार बोल चुका हूं लेकिन हर बार मुझे दोहराने का मन करता है। कभी हम लोग बाबा साहब का बहुत अन्याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते है। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। वे अमानवीय, हर घटना के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले महापुरूष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज़ थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना भी ठीक नहीं है। उनको 'विश्व मानव' के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा अम्बेडकर साहब को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे-कुचले लोगों की आवाज़ मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं। और इसलिए मानवता में जिस-जिस का

विश्वास है उन सबके लिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा साहेब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान में जो कुछ मिला है, वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है। अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ है। कभी इतिहास के झरोखे से मैं देखूं तो मैं दो महापुरूषों को विशेष रूप से देखना चाहूंगा, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर।

देश जब आजाद हुआ तब, अनेक राजे-रजवाड़ों में यह देश बिखरा पड़ा था। राजनैतिक दृष्टि से बिखराव था व्यवस्थाओं में बिखराव था, शासन तंत्र बिखरे हुए थे और अंग्रेजों का इरादा था कि यह देश बिखर जाए। हर राजा-रजवाड़े अपना सिर ऊचां कर करके, यह देश को जो हालत में छोड़े, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए सभी राजे-रजवाड़ों को अपने कूटनीति के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपने political wheel के द्वारा और बहुत ही कम समय में इस काम को उन्होंने करके दिखाया। और आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्या कुमारी एक भव्य भारत माता का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो एक तरफ राजनीतिक बिखराव था, तो दूसरी तरफ सामाजिक बिखराव था। हमारे यहां ऊंच-नीच का भाव, जातिवाद का जहर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी इन सबके प्रति उपेक्षा का भाव और सदियों से यह बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरूष आए उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी ने किया, कई, यानि कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदु समाज की बुराईयों को नष्ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो।

लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक-संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया, जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा हुआ।

और इसलिए ये जो सपना बाबा साहेब ने देखा हुआ है उस सपने की पूर्ति का प्रयास उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उसमें कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। कभी-कभार बाबा साहेब के विषय में जब हम सोचते हैं, हममें से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहेब को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को dilute किया जाता है या divert कर दिया जाता है, अपने-अपने तरीके से होता है। Hindu code bill बाबा साहेब की अध्यक्षता में काम चल रहा था और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे। लेकिन जब Hindu Code Bill Parliament में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को equal right देने की व्यवस्था थी उसमें क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा, बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। ये बाबा साहेब का vision देखिए। लेकिन, लेकिन उस समय की सरकार इस progressive बातों के सामने जब आवाज उठी, तो टिक नहीं पाई, सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे वो तो बहू बनके कहीं चली जाती हैं! तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा? समाज में कैसे बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए, पचासों प्रकार के लोगों ने अपना डर व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहेब को लगा, अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है, तो फिर उस सरकार का बाबा साहेब हिस्सा भी नहीं बन सकते और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और जो बातें बाबा साहेब ने सोची थीं, वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया, धीरे-धीरे करके कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी दो मान लीं, कभी एक आई, कभी दो आई। धीरे-धीरे-धीरे करके बाबा साहेब ने जितना सोचा था, वो सारा बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आ के चली गईं।

कहने का मेरा तात्पर्य ये है, कि अगर मैं दलितों के अंदर बाबा साहेब को सीमित कर दूंगा, तो इस देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या माताओं, बहनों को बाबा साहेब ने इतना बड़ा हक दिया, उनका क्या होगा? और इसलिए ये आवश्यक है कि बाबा साहेब को उनकी पूर्णता के रूप में समझें, स्वीकार करें। Labour Laws, हमारे देश में महिलाओं को कोयले की खदान में काम करना बड़ा दुष्कर था, लेकिन कानून रोकता नहीं था। और ये काम इतना कठिन था कि महिलाओं से नहीं करवाया जा सकता। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिम्मत दिखाई और महिलाओं को कोयले की खदानों के कामों से मुक्त कराने का बहुत बड़ा निर्णय बाबा अम्बेडकर ने किया था।

हमारे देश में मजदूर, सिर्फ दलित ही मजदूर थे ऐसा नहीं, जो भी मजदूर थे, बाबा साहेब उन सबके मसीहा थे। और इसलिए 12 घंटा, 14 घंटा मजदूर काम करता रहता था, मालिक काम लेता रहता था और मजदूर को भी नहीं लगता था कि मेरा भी कोई जीवन हो सकता है, मेरे भी कोई मानवीय हक हो सकते हैं, उस बेचारे को मालूम तक नहीं था। और न ही कोई बाबा साहेब अम्बेडकर को memorandum देने आया था कि हमने इतना काम लिया जाता है कुछ हमारा करो। ये बाबा साहेब की आत्मा की पुकार थी कि उन्होंने जो 12 घंटे, 14 घंटे काम

हो रहा था, 8 घंटे सीमित किया। आज भी हिन्दुस्तान में जो labour laws है, उसकी अगर मुख्य कोई foundation है, वो foundation के रचियता बाबा साहेब अम्बेडकर थे।

आप हिन्दुस्तान के 50 प्रमुख नेताओं को ले लीजिए, जिनको देश के निर्णय करने की प्रकिया में हिस्सा लेने का अवसर मिला है, वो कौन से निर्णय है, जिन निर्णयों ने हिन्दुस्तान को एक शताब्दी तक प्रभावित किया। पूरी 20वीं शताब्दी में जो विचार, जो निर्णय, देश पर प्रभावी रहे, जो आज 21वीं सदी के प्रारंभ में भी उतनी ही ताकत से काम कर रहे हैं। अगर आप किस-किस के कितने निर्णय, इसका अगर खाका बनाओगे, तो मैं मानता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर नम्बर एक पर रहेंगे, कि जिनके द्वारा सोची गई बातें, जिनके द्वारा किए गए निर्णय आज भी relevant हैं।

आप देख लीजिए power generation, electricity, आज हम देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान में ऊर्जा की दिशा में जो काम हुआ है, उसका अगर कोई structured व्यवस्था बनी तो बाबा साहेब के द्वारा बनी थी। और उसी का नतीजा था कि Electric Board वगैरा, electricity generation के लिए अलग व्यवस्थाएं खडी़ हुईं जो आगे चल करके देश में विस्तार होता गया, और भारत में ऊर्जा की दिशा में self-sufficient बनने के लिए भारत में घर-घर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में उस सोच का परिणाम था, कि उन्होंने एक structured व्यवस्था देश को दी।

आपने देखा होगा, अभी-अभी Parliament में एक bill हम लोग लाए। जब हम ये bill लाए तो लोगों को लगा होगा कि वाह! मोदी सरकार ने क्या कमाल कर दिया। Bill क्या लाए हैं, हमने भारत के पानी की शक्ति को समझ करके Water-ways पर महातम्य देना, Water-ways के द्वारा हमारे यातायात को बढाना, हमारे goods-transportation को बढ़ाना, उस दिशा में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निर्णय अभी इस Parliament में किया है। लेकिन कोई कृपा करके मत सोचिए कि ये मोदी की सोच है। यहां हमने जरूर किया है, सौभाग्य मिला है, लेकिन ये मूल विचार बाबा साहेब अम्बेडकर का है। उस समय भारत की maritime शक्ति और भारत के Water-ways की ताकत को समझा था और उस की structured व्यवस्था की थी। और उसको वहां आगे बढ़ाना चाहते थे। अगर लम्बे समय उनको सरकार में सेवा करने का मौका मिलता जो निर्णय मैंने अभी किया Parliament में, वो आज से 60 साल पहले हो गया होता। यानी बाबा साहेब के न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है, यह हमें पता चलता है और बाबा साहेब का कोई भक्त सरकार में आता है, तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है, ये नजर आता है।

बाबा साहेब हमें क्या संदेश देकर गए, और मैं मानता हूं जो बीमारी का सही उपचार अगर किसी ने ढूंढा है, तो बाबा साहेब ने ढूंढा है। बीमारियों का पता बहुतों को होता है, बीमारी से मुक्ति के लिए छोटे-मोटे प्रयास करने वाले भी कुछ लोग होते हैं लेकिन एक स्थाई समाधान, अगर किसी ने दिया तो बाबा साहेब ने दिया, वो क्या? उन्होंने समाज को एक ही बात कही कि भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे, तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको अछूत नहीं कह सकता। ये, ये जो Inner Power देने का प्रयास, ये Inner Power था। उन्होंने बाहरी ताकतें नहीं दी थीं, आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया था। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो और तीसरा बात बताया मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते रहे हैं। और इसलिए हम जब बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं तब, हमारा दायित्व भी तो बनता है, बाबा साहेब के रास्ते पर चलने का। और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से होती है। वरना कुछ लोगों को आखिरी वाला ज्यादा पसंद आता है, संघर्ष करो। पहले वाला मंत्र है शिक्षित बनो, दूसरे वाला मंत्र है संगठित बनो। आखिर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नौबत ही नहीं आयेगी। क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होगी कि दुनिया को स्वीकार करना होगा। और बाबा साहेब ने जो कहा, वो जो करके दिखाया था। वरना वे भी शिक्षा छोड़ सकते थे, तकलीफें उनको भी आई थीं, मुसीबतें उनको भी आई थीं, अपमान उनको भी झेलने पड़े थे। और मुझे खुशी हुई अभी हमारे बिहार के गवर्नर एक delegation लेकर बड़ौदा गए थे और बड़ौदा जा करके सयाजीराव परिवार को उन्होंने सम्मानित किया। इस बात के लिए सम्मानित किया कि यह सयाजीराव गायकवाड़ थे, जिसको सबसे पहले इस हीरे की पहचान हुई थी। और इस हीरे को मुकुटमणि में जड़ने का काम अगर किसी ने सबसे पहले किया था तो सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। और तभी तो भारत को सयाजीराव गायकवाड़ की एक भेंट है कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर मिले। और इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार के पास काफी समाज के लोग गए थे, और उनका सम्मान किया, परिवार का। वरना उस समय एक peon भी बाबा साहेब को हाथ से पानी देने के लिए तैयार नहीं था। वो नीचे रखता था, फिर बाबा साहेब उठाते थे। ऐसे माहौल में गायकडवाड़ जी ने बाबा अम्बेडकर साहेब को गले लगा लिया था। ये हमारे देश की विशेषता है। इन विशेषताओं को भी हमें पहचानना

होगा। और इन विशेषताओं के आधार पर हमें आगे की हमारी जीवन विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना होगा।

कभी-कभार हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया, वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। राज निष्ठा की प्रेरणा से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी कोई काम नहीं किया। राष्ट्र निष्ठा और समाज निष्ठा से किया और इसलिए हमने भी हमारी हर सोच हमारे हर निर्णय को इस तराजू से तौलने का बाबा अम्बेडकर साहब ने हमें रास्ता दिखाया है कि राष्ट्र निष्ठा के तराजू से तोला जाए, समाज निष्ठा के तराजू से तोला जाए, और तब जा करके वो हमारा निर्णय, हमारी दिशा, सही सिद्ध होगी।

कुछ लोगों ने एक बात, कुछ लोगों का हमसे, हम लोग वो हैं जिनको कुछ लोग पसंद ही नहीं करते हैं। हमें देखना तक नहीं चाहते हैं। उनको बुखार आ जाता है और बुखार में आदमी कुछ भी बोल देता है। बुखार में वो मन का आपा भी खो देता है, और इसलिए असत्य, झूठ, अनाप-शनाप ऐसी बातों को प्रचारित किया जाता है। मैं आज जब, जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, उस 26-अलीपुर के गौरव के लिए आज यहां खड़ा हूँ तब, मुझे बोलने का हक भी बनता है।

मुझे बराबर याद है, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ हो-हल्ला मचा था अब ये भाजपा वाले आ गए हैं, अब आपका आरक्षण जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा। वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसा तूफान चलाया, गांव-गांव, घर-घर, ऐसा माहौल बना दिया जैसे बस चला ही जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, दो-टर्म रही लेकिन खरोंच तक नहीं आने दी थी। फिर भी झूठ चलाया गया।

मध्यप्रदेश में सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में, हम जिन विचार को लेकर के निकले हैं, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, दो-तिहाई बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, tribal, उनके आरक्षण को खरोंच तक नहीं आने दी है। फिर भी झूठ चलाया जा रहा है, क्यों? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो राष्ट्र निष्ठा और समाज निष्ठा के आधार पर देश को चलाने की प्रेरणा दी थी, उससे हट करके सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए ये बातों को झूठे रूप में लोगों को भ्रमित करने के लिए चला रहे हैं और इसलिए मैं, मैं जब Indu Mills के कार्यक्रम के लिए गया था, चैत्य भूमि के पुनर्निर्माण के शिलान्यास के लिए गया था, उस समय मैंने कहा था खुद बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ करके, आपका ये हक नहीं छीन सकते हैं। बाबा साहेब के सामने हम तो क्या चीज हैं, कुछ नहीं हैं जी। उस महापुरुष के सामने हम कुछ नहीं हैं। और इसलिए ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति चलती होगी, लेकिन समाज में इसके कारण दरारें पैदा होती हैं, तनाव पैदा होते है और समाज को दुर्बल बना करके, हम राष्ट्र को कभी सबल नहीं बना सकते हैं, इस बात को हम लोगों ने जिम्मेवारी के साथ समझना होगा।

बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन और वैसे तो वे अर्थवेत्ता थे। उनकी पूरी पढ़ाई आर्थिक विषयों पर हुई और उनकी पीएच.डी. भी, जो लोग आज भारत की महान परंपराओं को गाली देने में गौरव अनुभव करते हैं, उनको शायद पता नहीं है, कि बाबा साहेब अम्बेडकर की Thesis भी भारत की उत्तम वैभवशाली व्यापार विषय को ले करके उन्होंने पीएच.डी. किया था। जो भारत के पुरातन हमारे गौरव को अभिव्यक्त करता था। लेकिन बाबा साहेब को समझना नहीं, बाबा साहेब की विशेषता को मानना नहीं, और इसको समझने के लिए सिर्फ किताबें काम नहीं आती हैं, बाबा साहेब को समझने के लिए समाज के प्रति संवेदना चाहिए और उस महापुरुष के प्रति भक्ति चाहिए, तब जा करके संभव होगा, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में एक बात साफ कही थी, वो इस बात को लगातार कहते थे कि भारत का औद्योगिकरण बहुत अनिवार्य है। Industrialisation, उस समय से वो सोचते थे, एक तरफ labour reforms करते थे, labour के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन राष्ट्र के लिए औद्योगिकरण की वकालत करते थे। देखिए कितना बढ़िया combination है। लेकिन आज क्या हाल है, जो labour की सोचता है वो उद्योग की सोचने को तैयार नहीं, जो उद्योग की सोचता है वो labour की सोचने को तैयार नहीं है। और वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर थे जो दोनों की सोचते थे, क्योंकि राष्ट्र निष्ठा की तराजू से तोलते थे। और इसलिए वो दोनों की सोचते थे, और उसी का परिणाम ये है कि बाबा साहेब औद्योगिकरण के पक्षकार थे और उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण तर्क था, वो साफ कहते थे, कि मेरे देश के जो दलित, पीड़ित, शोषित हैं, उनके पास जमीन नहीं है और हम नहीं चाहते वो खेत मजदूर की तरह अपनी जिंदगी पूरी करें, हम चाहते हैं वो मुसीबतों से बाहर निकलें। औद्योगिकरण की जरूरत इसलिए है कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो जाएं, इसलिए औद्योगिकरण चाहिए। दलित, पीड़ित, शोषितों के पास जमीन नहीं है। खेती उसके नसीब में नहीं है। खेत मजदूर के नाते जिंदगी, क्या यही गुजारा करेगा क्या? और इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन बातों को बल दिया। औद्योगिकरण को बल दिया। इसी विज्ञान भवन में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन था, जब मैं दलित

चैंबर के लोगों से यहां मिला था। मिलिंद यहां बैठा है, और देश भर से दलित Entrepreneur आए थे। और मैं तो हैरान, आनंद मुझे तब हुआ, कि दलितों में Women Entrepreneur भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। और उनका संकल्प क्या था, मैं मानता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर को उत्तम से उत्तम श्रद्धाजंलि देने का प्रयास अगर कोई करता है, तो ये दलित चैंबर के मित्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि दलित रोजगार पाने के लिए तड़पता रहे वो रोजगारी के लिए याचक बने, हम वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि दलित रोजगार देने वाला बने। और उन्होंने हमारे सामने कुछ मांगे रखी थीं। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, उस मीटिंग को चार महीने अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, इस बजट में वो सारी मांगे मान ली गई हैं, सारी बातें लागू कर दी हैं। ये आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा। अच्छी चीजें बहुत कम आती हैं।

दलित Entrepreneurship, उसके लिए अनेक प्रोत्साहन, venture, capital, fund समेत कई बातें, इस field के लोगों ने जिन्होंने तय किया, जिनका मुद्दा है कुछ करना है हमारे दलित युवाओं के लिए। वो बात इतनी ताकतवर थी कि सरकार को मांगें माने बिना, कोई चारा नहीं था जी। कोई आंदोलन नहीं किया था, कोई संघर्ष नहीं था लेकिन बात में दम था। और ये सरकार इतनी संवेदनशील है कि जिस बात से देश आगे बढ़ता है वो उसकी प्राथमिकता होती है, और हम भी उस पर चलते हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाइयों, कि हमें समाज की एकता को बल देना है। और बाबा साहेब से ये ही तो सीखना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम, तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम, मेरे बच्चों को स्कूल में admission देने से मना करते थे। मनुष्य का जो level है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी, लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की debate देख लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में, कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा, और वो भाव क्या था, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं, कि कभी-कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता हैं दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित भी, दोनों ही उनके लिए बराबर थे, और इसलिए बदले का नामो-निशान नहीं था, कटुता का नामो-निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ ले के चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहेब अम्बेडकर की हर बात में झलकता है और ये देश, सवा सौ करोड़ का देश बाबा साहेब अम्बेडकर का हमेशा-हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गाड़ दिया। भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया है।

क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा होता है। और इसलिए उसके लिए समर्पित होना ये हम सबका दायित्व बनता है। इस दायित्व को ले करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में उनके जीवनकाल से ले करके अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं-न-कहीं तनाव नजर आता है, कभी-कभी टकराव नजर आता है, कभी-कभी खरोंच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने भुला न दिया होता, तो ये हाल न हुआ होता। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये जो कमियां हैं वो कमियां भी दूर हो जाएंगी, तो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीजें जो हमें दे करके गए हैं उसके अंदर पड़ा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए बाबा साहेब मानवता के पक्षकार थे। अमानवता की हर चीज को वो नकारते थे। उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ करते थे। बाबा साहेब के साथ क्या-क्या अन्याय किया, किस-किसने अन्याय किया, ये हम सब भली-भांति जानते हैं। हमारा संकल्प ये ही रहे दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, जो गण वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी-झोंपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सबके लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए सदा-सर्वदा एक प्रेरणा हैं और वो ही प्रेरणा हमें काम करने के लिए ताकत देती है।

आप देखिए, अभी मैं एक दिन बैठा था, मैं हमारे सरकार के लोगों से हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा कि भई कितने गांव हैं जहां अब बिजली का खंभा भी

नहीं पहुंचा है। आजादी के इतने साल बाद भी हिन्दुस्तान में 18 हजार गांव ऐसे पाए कि जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने power generation के लिए पूरा structure बना करके गए, 60 साल के बाद भी 18 हजार गांव में बिजली पहुंचेगी नहीं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या श्रद्धाजंलि हम देंगे जी? हमने बीड़ा उठाया है, मैंने लालकिले से बोल दिया। जैसे आज बोल दिया न, 14 अप्रैल को मैं उद्घाटन करुंगा, 2018, लालकिले से मैंने बोल दिया 1000 दिन में मुझे 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी है और आप, आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं, आज किस गांव में बिजली पहुंची। आजादी के 60 साल के बाद अब तक करीब-करीब 6000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, 18000 मुझे 1000 दिन में पूरे करने हैं, मैं देख रहा हूं शायद 18000, एक हजार दिन से भी कम समय में पूरा कर दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आप, आप एक साइकिल अपने पास रखो और सोच रहे हो कि भाई 2018 में स्कूटर लाना है। तो आप सोचते हैं किस colour का स्कूटर लाएंगे, किस कम्पनी का स्कूटर लाएंगे, अनेकों बार दुकान होगी तो देखते होंगे, brochure लेते होंगे, स्कूटर लाना है। साइकिल से स्कूटर जाएं तो भी एक और जिस दिन आए स्कूटर 10 रुपये की माला ला करके पहनाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे, क्यों साइकिल से स्कूटर पर आए कितना आनंद होता है। 60 साल के बाद जिस गांव में बिजली आई होगी, कितना आनंद होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उन 18000 गांवों को कहता हूं कि 60 साल के बाद आपके घर में भी बिजली आती है, तो मोदी का अभिनंदन मत करना, बाबा साहेब अम्बेडकर का करना, क्योंकि ये structure वो बना के गए थे, लेकिन बीच वालों ने काम को पूरा नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा को मैं पूरा करने का सौभाग्य मानता हूं।

अभी 14 अप्रैल को मैं मऊ तो जा रहा हूं। ये पंचतीर्थ का निर्माण भी हमारे सौभाग्य का कारण बना है। जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्हीं के समय हुआ है, ये सब। फिर भी बदनामी हमको दी जा रही है। क्या कारण था कि Indu Mills पर चैत्य भूमि का कार्य पहले की सरकारों ने नहीं किया। क्या कारण था 26-अलीपुर का फैसला आज करने की नौबत आई? क्या कारण है कि लंदन का मकान आज हम ले करके आए और राष्ट्र के लिए प्रेरणा दी? कोई भी मेरा दलित अब जाएगा लंदन उस मकान को जरूर देखने जाएगा। पढ़ने के लिए जाएगा या घूमने के लिए जाएगा, जरूर देखने जाएगा, मुझे विश्वास है। ये पंचतीर्थ की यात्रा, एक प्रेरक यात्रा बनी है कि समाज जीवन में कैसा परिवर्तन आया और हर काम दिल्ली के अंदर दो स्मारक, 26-अलीपुर और हमारा 15-जनपथ जिसका शायद एक साल हो गया और construction उसका तेजी से चल रहा है, उसका लोकार्पण तो बहुत जल्द होने की नौबत आ जाएगी।

तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार बनाने का सौभाग्य मिला तब हुए हैं। और इसलिए क्योंकि हमारी ये श्रद्धा है। अभी 14 अप्रैल को मैं महू तो जा रहा हूं, लेकिन उस दिन हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुंबई में। कौन सा कार्यक्रम? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था भारत की जल शक्ति का maritime का water-way का। हम एक Global Conference 14 अप्रैल को पानी के संदर्भ में मुंबई में करने जा रहे हैं, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म-जयंती पर तय की है।

मैं महू में कार्यक्रम launch करने वाला हूं। हमारे देश के किसानों को, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन बड़ा ताकतवर चिंतन है जी और आज भी relevant है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसानों की चिंता की है, अपने चिंतन में। किसान जो पैदावार करता है उसकी market को ले करके बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। और बेचारा घर से निकलता है मंडी में जाता है तब तक मंडी में कोई लेने वाला नहीं होता है। आखिरकार अपनी सब्जी वहीं पशुओं को खाने के लिए छोड़ करके घर वापिस चला जाता है, ये हमने देखा है। 14 अप्रैल को हम एक E-market, E-platform तैयार कर रहे हैं, जो हमारा किसान अपने मोबाइल फोन पर तय कर पाएगा कि किस मंडी में क्या दाम है, और कहां माल बेचने से ज्यादा पैसा मिल सकता है, वो मेरा किसान तय कर सकता है, ये भी, 14 अप्रैल, बाबा साहेब की जन्म-जयंती के दिन हम लोग उसका प्रारंभ करने वाले हैं।

कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उस दिशा में देश को चलाना है। ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा हैं, हमें ताकत देते हैं और हम उनसे सीखते हैं। और मजा ये है कि उनकी बातें आज भी relevant हैं। उन बातों को ले करके चल रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए ये ही सही राह है। एषः पंथः, ये ही एक मार्ग है। उस मार्ग को ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सब के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला और ये 60 साल से जो निर्णय नहीं हो पा रहा था, वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 अप्रैल, 2018, आप सब मौजूद रहिए। फिर एक बार उस भव्य स्मारक को बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ■

यात्रा वृत्तांत

मुक्ति के आकाश में मेरी पहली विदेश यात्रा

‘स्टडी टूर टू लंदन’ डॉ. अम्बेडकर के संदर्भ में

■ वंदना

‘समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्त्व’ जैसे मुक्ति सूत्र देने वाले बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश के महू गांव में हुआ। वचपन से ही उन्हें अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ा। प्राय: इन्ही दंशों ने उनके विचारों को धार प्रदान की। डॉ. अम्बेडकर सदैव शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उन्होंने सदैव शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि अपने जीवन के अंधकारमय मार्ग को उन्होंने इसी शिक्षा के जरिए प्रकाशित कियां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अत्यंत कठनाईयों, आर्थिक संकट एवं समाज द्वारा दलितों के प्रति बरती जाने वाली अमानवीयता के बीच भी पूरी दृढ़ता से पूरी की। सन् 1912 में उन्होंने बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बड़ौदा के नरेश ने कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने का निश्चय किया। भीमराव ने भी अपना प्रार्थना-पत्र नरेश को भेजा और एक करारनामे के तहत उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा हेतू सहायता मिली।

बाइस साल के दलित युवक को अमेरिका जैसे उन्नत देश में उच्च शिक्षा के लिए अवसर प्राप्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1913 से 1916 तक वह न्यूयार्क शहर में रहे। अमेरिका की विचारधारा से संबद्ध जीवन पर इन सबका प्रभाव पड़ा। 1916 में उन्होंने ‘एडमिनिस्ट्रेशन एंड फायनांस ऑफ इंडिया कंपनी’ विषय पर अपना शोध प्रस्तुत करके एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। इन्हीं दिनों वे ‘नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया-ए हिस्टारिकल एंड अनेलेटिकल स्टडी’ विषय पर भी शोधकार्य कर रहे थे। उन्होंने यह शोध-प्रबंध 1916 कोलंबिया विश्वविद्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत किया और इसे 1925 में लंदन के एक प्रकाशन ने ‘दि इवोल्यूशन ऑफ प्राविन्शियल फायनांस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से प्रकाशित किया। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएच.डी. की उपाधि से विभूषित किया। अक्टूबर 1916 में उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए ‘ग्रेज इन्न’ तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए ‘लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस’ में प्रवेश प्राप्त हुआ। कुछ समय के लिए उन्हें भारत आना पड़ा किंतु पुन: वे 1920 के जुलाई के महीने अंतिम सप्ताह में लंदन पहुचे। अपनी पढ़ाई में वे इतने तल्लीन रहते कि चौकीदार उन्हें याद दिलाता कि उसे लाइब्रेरी बंद करनी है। अम्बेडकर थक अवश्य जाते थे लेकिन वहां लिखे कागजों के पन्नों से उनकी जेबें भरी होती थीं। वे इस लाइब्रेरी के अतिरिक्त इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन युनिवर्सिटी लाइब्रेरी और दूसरी प्रमुख लाइब्रेरी का भी लगातार उपयोग करते थे। डॉ. अम्बेडकर अमेरिका से पीएच.डी. लंदन से डी.एस-सी. ओर बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त कर चुके थे। वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और विधिशास्त्र में पारंगत थे और अब वह जीवन में आने वाले प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार थे।

भगवान बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा राव फुले को गुरू मानकर उनसे प्रेरणा लेकर डॉ. अम्बेडकर ने शोषण मुक्ति हेतू किए जा रहे दलितोद्धार के आंदोलन को सच्चे अर्थों में गति प्रदान की। उनका कहना था कि- “गुलाम को उसकी गुलामी की समझ करा दो, तो वह विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएगाा।” डॉ. अम्बेडकर ने महाड़ के सार्वजनिक तालाब पर 20 मार्च 1927 को पानी पीने का हक पाने के लिए सत्याग्रह किया और अपने जन-जागृति अभियान की नींव रखी थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉ. अम्बेडकर ने 1930 में मूकनायक, 1927 में ‘बहिष्कृत भारत’, 1928 में समता, 1930 में ‘जनता’ और 1956 में ‘प्रबुद्ध भारत’ आदि पत्र निकाले।

डॉ. अम्बेडकर ने स्त्री-शिक्षा और मुक्ति पर विशेष बल दिया। 1948 में ‘हिदूं कोड बिल’ संसद में पेश करके स्त्री-मुक्ति के उज्ज्वल भविष्य की कामना की किंतु रूढ़िवादी सोच के कारण यह बिल पास ना हो सका। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने राष्ट्र को एक दृढ़ संविधान दिया। आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने भारत के दलित, दमित समुदाय को मानवीय गरिमा प्रदान करते हुए उन्हें आत्मसम्मान और समान अवसर एवं संसाधनों में भागीदार बनाया।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना 24 मार्च 1992 में हुइ। यह प्रतिष्ठान निरंतर डॉ. अम्बेडकर की विचाराधारा के प्रचार-प्रसार के साथ ही राष्ट्रहित के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रतिष्ठान द्वारा दलित एवं पिछड़े समूहों के कल्याणार्थ हेतू अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, तथा समाज के विभिन्न वर्गों में भेदभाव रहित उन्नति

प्रदान करने हेतू कार्यों का संचालन किसा जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर के विजन और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में प्रतिष्ठान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्टडी टूर टू लंदन' के लिए चयनित होना, हमारे लिए बेहद गर्व और उत्साह की बात है। यात्रा के दौरान यह एक बेहतरीन अवसर रहा जब हमने डॉ. अम्बेडकर के परिश्रम, संघर्षपूर्ण जीवन, शिक्षा के प्रति उनकी अदम्य जीजिविषा और उनके समानतापूर्ण प्रगतिशील मानवतावादी वैचारिक परंपरा को नजदीक से महसूस करते हुए आत्मशील किया। मेरे जीवन के लिए यह यात्रा निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई जहाँ मेरे विचारों और आत्मविश्वास को नयी उड़ान मिली है। इस 'स्टडी टूर' को लेकर मेरे मन में बेहद उत्साह और कई प्रकार की अकांक्षाएँ मौजूद थी। इस दूर देश की कल्पना में लगातार यहाँ के लोगों के प्रति फिल्मी या किताबी दुनिया से प्रेरित पूर्वाग्रह थे। कई प्रश्न लगातार मन में दस्तक देते थे जैसे, 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स' हमारी यूनिवर्सिटी से कितना अलग होगा। वहाँ का जीवन क्या सिर्फ बेपरवाह मस्ती भरा होगा। सड़कें एकदम साफ होगीं। इस टूर के लिए चयनित होने की खबर पाकर ही मैं अपनी कल्पना में बाबासाहेब को 'एल.एस.ई.' में व्याख्यान सुनते और लाईब्रेरी में पढ़ते हुए कल्पना करती थी। लेकिन मेरे सपनों में आने वाली लाईब्रेरी और क्लास का परिवेश बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी का ही था। मेरे सपने को इस यात्रा की शुरूआत से ही यथार्थ का धरातल मिलने लगा। यह मेरी पहली हवाई-यात्रा थी। बेहद रोमांचक रही। 'फ्लाइट' के भीतर खाना खाने से लेकर 'वॉशरूम' इस्तेमाल करने तक मैंने बहुत कुछ अलग पाया। अपनी सीट के साथ बैठे बूढ़े दंपत्ति से मैंने सीट पर लगी 'डिजीटल स्क्रीन' को इस्तेमाल करना सीखा फिर तो मैंने लगातार उसका इस्तेमाल मूवी देखने और हवाईजहाज़ की यात्रा का 'लोकेशन मैप' देखने में बिताया। यात्रा से लौटने के बाद मेरे परिवार और पास-पड़ोस को मैं अपने हवाई यात्रा के ये रोमांचक किस्से सुनाने में लगी हूँ।

लंदन में हम सभी रात में पहुँचे और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, मेरे लिए नया संसार खुल चुका था। सड़कें क्रिसमस के लिए खासतौर पर सजायी हुई थी। कमरे में सामान रखते ही हमने होटल के आस-पास की सड़कों पर रात में ही एक चक्कर लगा लिया। और इसके बाद तो यह मेरा नियमित कार्यक्रम बना रहा। सारे दिन के व्यवस्थित कार्यक्रम के बाद रात में लंदन की सड़क पर घूमना मुझे सबसे अच्छा लगा। बाहर चलती तेज सर्द हवाएँ मुझे भीतर से मजबूत बनाती, मेरे आत्मविश्वास को लगातार खोलती गयीं। मेरी पश्चिम को लेकर यह भावना पहले ही दिन टूट गयी कि ये लोग बेहद गुस्सैल और भारतीयों को लेकर तंगदिल होंगे। यह तब हुआ जब सड़क पार करते हुए मैंने गलती से रेडलाईट का ध्यान नहीं दिया। सामने आती गाड़ियों को देखकर घबराती तब तक देखा कि गाड़ियों की कतार-सी अपनी जगह खड़ी हो गयी हैं और मेरी बेवकूफी पर भी वह विनम्रतापूर्वक मेरे सड़क पार करने का इंतजार करने लगे। हालांकि यह बेवकूफी मैंने दोबारा नहीं की और जितने दिन मैं लंदन में रही पैदल चलते हुए वहाँ के ट्रैफिक नियमों पर खास ध्यान दिया। इस अनजाने देश के लोग बेहद विनम्र, मिलनसार एंव खुशमिजाज मिले। होटल से लेकर सड़क तक जिससे भी आँखें मिल जाती, उससे 'हैलो-हाय' शुभाशीष और मुस्कुराहट के बाद ही विदा होती। छोटी-छोटी बातों पर भी तुरंत 'सॉरी'। अब मैंने भी अपनी शब्दावली में यह शामिल कर लिया है। लंदन में ब्रिटिशर्स से अधिक अन्य देशों और समुदायों के लोगों की मिली-जुली जनसंख्या है। शायद इसी मधुर व्यवहार और संबंधों में गर्मजोशी के कारण वह इस महँगे शहर में कई अभावों के बीच

लंदन में हम सभी रात में पहुँचे और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, मेरे लिए नया संसार खुल चुका था। सड़कें क्रिसमस के लिए खासतौर पर सजायी हुई थी। कमरे में सामान रखते ही हमने होटल के आस-पास की सड़कों पर रात में ही एक चक्कर लगा लिया। और इसके बाद तो यह मेरा नियमित कार्यक्रम बना रहा। सारे दिन के व्यवस्थित कार्यक्रम के बाद रात में लंदन की सड़क पर घूमना मुझे सबसे अच्छा लगा। बाहर चलती तेज सर्द हवाएँ मुझे भीतर से मजबूत बनाती, मेरे आत्मविश्वास को लगातार खोलती गयीं। मेरी पश्चिम को लेकर यह भावना पहले ही दिन टूट गयी कि ये लोग बेहद गुस्सैल और भारतीयों को लेकर तंगदिल होंगे।

भी जिंदादिली से जीवन जी रहे हों।

'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स' का कैम्पस और लाइब्रेरी में रहने और सीखने का अनुभव शानदार रहा। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अहसास रहा। मेरे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा ही था। सीमित साधनों के बीच मैं हिन्दी माध्यम में अपना शोधकार्य कर रही हूँ। 'एल.एस.ई.' में कदम रखने के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लाइब्रेरी में भी कार्य करने का अनुभव बिल्कुल नया था। यहाँ लाइब्रेरी स्टाफ के अपने कार्य के प्रति लगन, तत्परता और हमारे प्रति उनका सहयोग मेरे लिए सदैव प्रेरणीय बना रहेगा। समय को लेकर पांबद रहना भी यहाँ से सीखने में मुख्य है। हिन्दी फिल्मों में यूरोप की मस्तमौला और बेफिक्र छवि से भिन्न यहाँ लोग अपने काम को लेकर बेहद गंभीर और जीवन को गर्मजोशी से जीने वाले हैं। यहाँ खाने को उसके मौलिक स्वाद में ही पंसद किया जाता है। बिना किसी खास मसाले के उन्हें परोसा जाता है। हाँलाकि यहाँ खाने के मामले में मेरी 'दाल नहीं गली' लेकिन फिर भी यहाँ मैंने नये प्रकार के कई व्यंजन चखे।

लंदन की इस चकाचौंध के बीच 'हाई कमिशन ऑफ इंडिया' के 'अम्बेडकर सदन' में हुए 'वक्तव्य श्रृंखला' के अंतर्गत डा. लीज़ा मैकंजी का वक्तव्य 'ब्रिटेन में सामाजिक असमानता एवं न्याय' ने ब्रिटेन के भीतरी सच से हमारा सामना करवाया। लार्ड मेघनाद देसाई का वक्तव्य 'भारतीय संविधान निर्माण की क्रांतिधर्मी प्रक्रिया' को समझाने में अहम रहा। संविधान दिवस को मनाते हुए हमने 'उद्देशिका' को शपथ रूप में आत्मसात किया। मेरे लिए इस अनुभव का हिस्सा होना गरिमामयी अनुभूतिपरक रहा। 'भारतीय संविधान की भाषा' विषय पर प्रो. जावेद मज़ीद का वक्तव्य बेहद महत्त्वपूर्ण रहा। उन्होंने संविधान की भाषागत सूक्ष्मताओं को समझाते हुए इसकी शोधपूर्ण संभावनाओं पर प्रकाश डाला। मुझे इस वक्तव्य ने बेहद प्रभावित किया है और मैंने निश्चय किया है कि मैं भी संविधान को ध्यान से पढ़ते हुए इस दिशा में एक शोध पत्र लिखने का प्रयास करूंगी। शायद मैं 'संविधान की भाषा और जेण्डर के प्रश्न' पर विचार करूं।

हमने वेस्टमिनिस्टर में ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसकी कार्यशैली को समझा। उस समय मुझे अपने संसद भवन की याद आ रही थी। 'फॉरेन एण्ड कॉमनवेल्थ ऑफिस' को लेकर काफी रोमांचित हुए। यहाँ की स्थापत्य कला हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करती है। 'गॉथिक शैली' के विषय में मैंने पहले पढ़ा था लेकिन उसे सजीव और करीब से लंदन के भवनों में देखने का अवसर मिला। 'थेम्स नदी' पर क्रूज़ का सफर जीवन के शानदार पलों में से एक है। भारत से चुने हुए विभिन्न क्षेत्रों एंव माध्यमों के शोधार्थियों के साथ इस यात्रा में बहुत से अच्छे दोस्त मिले। टीम लीडर के रूप में टी.आर.मीणा जी का सहयोग प्रंशसनीय रहा। सी.वी.एल.एन.प्रसाद सर का साथ सदा अभिभावक रूप में रहा। लंदन में मिस्टर टिम और प्रणव हमेशा दोस्त के रूप में याद रहेंगे। डा. निलंजन सरकार के वक्तव्यों से मिली तार्किक दृष्टि मेरे शोध एंव व्यक्तित्व को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। उनसे हुई बातचीत में यह जानकर अच्छा लगा कि वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं। मैं 'हाई कमिशन ऑफ इंडिया', लंदन के सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। शोध निर्देशिका के रूप में डॉ. रजत रानी मीनू जी ने मेरे शोध विषय के साथ-साथ जीवन को भी एक दिशा प्रदान की है। अम्बेडकरवादी विचारधारा को समझाने में उनकी महती भूमिका है। इसके साथ ही यह अनुभव भी बांटना चाहूंगी कि यात्रा में जाने से पूर्व 'आभास' जहां मैं स्कूली छात्राओं को पढ़ाती हूं। उन्हें यह सब जानकर बहुत खुशी और आश्चर्य हो रहा था। बच्चों ने मुझसे हैरानी से पूछा कि ''क्या कभी हम भी लंदन जा सकते है?'' मेरा उत्तर था कि यदि मैं जा सकती हूं तो तुम क्यों नहीं। बस शिक्षा ही एक मात्र मुक्ति का साधन है। अच्छा लगा कि बच्चे अब इससे प्रेरित हैं और आसमान में उड़ने का जमीनी उपाहरण उनके सामने है। इस अमूल्य एंव गौरवशाली अवसर को प्रदान करने हेतू अम्बेडकर प्रतिष्ठान दिल्ली एंव सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सदैव आभारी हूँ जिसने मेरे जीवन की दिशा एवं दशा दोनों को बदल दिया है। यहाँ हमें काम करने की काफी आज़ादी मिली। वह फिर चाहे लाइब्रेरी में शोध साम्रगी संग्रह हो या फोटोकॉपी मशीन से लेकर कम्पयूटर, रिर्सोस से शोध लेखों को देखना कैंटीन में पंक्तिबद्ध होकर खाने का चुनाव। तय कार्यक्रम के पश्चात बचे हुए समय में हम बिना किसी बंधन के लंदन घूम सकते थे। मैं रोजाना रात को होटल से निकल कर लंदन की सड़कों पर सैर करने निकलती। रात का

'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स' का कैम्पस और लाइब्रेरी में रहने और सीखने का अनुभव शानदार रहा। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अहसास रहा। मेरे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा ही था। सीमित साधनों के बीच मैं हिन्दी माध्यम में अपना शोधकार्य कर रही हूँ। 'एल.एस.ई.' में कदम रखने के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।

सीमित साधनों के बीच मैं हिन्दी माध्यम में अपना शोधकार्य कर रही हूँ। 'एल.एस.ई.' में कदम रखने के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लाइब्रेरी में भी कार्य करने का अनुभव बिल्कुल नया था। यहाँ लाइब्रेरी स्टाफ के अपने कार्य के प्रति लगन, तत्परता और हमारे प्रति उनका सहयोग मेरे लिए सदैव प्रेरणीय बना रहेगा। समय को लेकर पांबद रहना भी यहाँ से सीखने में मुख्य है।

जीवन यहाँ दिन से बिल्कुल अलग था। सड़क पर कई जगह लोग नाच-गाकर और 'स्टैचयू' की तरह इतनी ठंड में कुछ पैसे इक्ट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे। यही उनके जीवन यापन का तरीका था। वास्तव में लंदन का एक चेहरा यह भी था। रात में भी सड़कें बहुत व्यस्त रहती हैं। यहां लोग अपने दिन भर के काम के बाद अपने गुणात्मक समय और मनोरंजन के लिए रात में निकलते। रात में लंदन मुझे थोड़ा और जीवंत लगता। जगह-जगह सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे इसीलिए असुरक्षा का भाव मन में नहीं आया। इससे मेरे भीतर एक अद्‌भुत आत्मविश्वास आया है और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। लंदन के ये अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। आखिर लंदन की सड़कों पर अकेले घूमी हूँ। हाँ, इस बात का विश्वास मैं भारत में कुछ ही लोगों को दिला पायी हूँ लेकिन जल्द ही उन्हें भी विश्वास हो जाएगा जब मैं अपने लिए निर्णयों और कार्यों से उन्हें विश्वास दिला सकूंगी।

इस यात्रा के दौरान डॉ. अम्बेडकर के विचारों को नजदीक से जानने और महसूस करने का अवसर मिला। 'एल.एस.ई.' की लाइब्रेरी एंव ब्रिटिश लाइब्रेरी के संग्रह से मौलिक कार्यों से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रदर्शनी को देखना, मेरे जीवन का सबसे अमूल्य एंव गौरवशाली क्षण हैं। लंदन में छात्र जीवन के दौरान बिताए उनके समय को मैंने नजदीक से महसूस किया। लंदन प्रवास के दौरान उनके 10, किंग हेनरी रोड स्थित घर में जाने का मौका मिला, जिसे अब संग्रहालय के रूप में व्यवस्थित किया गया है। मैंने 'ग्रेज इन' भी देखा, जहाँ बाबासाहेब 1916 में 'बार एट लॉ' के लिए नामांकित हुए थे। मुझे अब यह अच्छी तरह विश्वास हो गया है कि उनके विचारों में जिस स्वतंत्रता के दर्शन होते हैं, वह यूरोप के जीवन से उन्हें अवश्य प्राप्त हुई होगी। संविधान में वह जिस स्वतंत्रता के अधिकार से प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए समान एवं बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, उसकी जड़ें उस पश्चिमी विचारधारा से अवश्य प्रभावित होगी। एक स्त्री होने के नाते मेरे लिए इस स्वतंत्रता के अधिकार के विशेष अर्थ हैं। लंदन की यात्रा से यह अब और अधिक सार्थक हो गया है। डॉ. अम्बेडकर अपेक्षित समुदाय के पहले युवा थे जिन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करके असमानता एवं रूढ़िवादी मानसिकता का तिरस्कार किया। यह बहुत बड़ी बात होगी लेकिन इसे मैं अलग ढंग से देखती हूँ कि जिस पिछड़े आर्थिक-सामाजिक परिवेश से मेरा संबंध है, अपनी परंपरा की मैं पहली लड़की हूँ जिसने यह लंदन का सफर तय किया इसीलिए मैं भी अपनी पूरी परंपरा के लिए डॉ. अम्बेडकर के विचारों पर चलते हुए समृद्ध, स्वस्थ एंव मानवतावादी विश्वबंधुत्व की जीवन दृष्टि का विकास करने में प्रयत्नशील रहूँगी। डॉ. अम्बेडकर मेरे लिए सदैव ही आर्दश रहें हैं और जीवन के पथ-प्रदर्शक भी। उनका जीवन, समाज उत्थान के प्रति उनका विश्वास एंव विचारधारा मुझे जीवन में सदैव संघर्ष करते हुए समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। उनकी विचारधारा से जुड़कर में अपने भीतर एक नये उत्साह और आत्मविश्वास का संचार पाती हूँ। इस यात्रा में प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त यह उपलब्धि मेरे जीवन, विचारों और भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस अतुल्य अवसर एवं सौभाग्य को प्रदान करने के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगी। प्रतिष्ठान ने जिस प्रकार इस यात्रा में छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की है, वह उनकी अम्बेडकरवादी समताशील दूर-दृष्टि का परिणाम है। एक स्त्री होने के नाते और साथ ही जिस आर्थिक, सामाजिक एंव पारिवारिक परिवेश से मेरा संबंध है, यह यात्रा मेरे लिए किसी सपने जैसी ही है और इस यात्रा से जुड़कर मैं खुद को भीतर से डॉ. अम्बेडकर की परंपरा से ही जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ-

"इधर मेरा कद
कुछ ऊँचा हो गया
मेरे पंखों में भी
फड़फड़ाहट तेज हो गयी है
दिगंत विस्तारित आकाश में
इन विचारों के पंख लगाकर
दूर क्षितिज तक उड़ना चाहती हूँ
अब मैं खुलकर जीना चाहती हूँ।"

(लेखिका का चुनाव डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बाबासाहेब डॉ की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'स्टडी टूर लंदन' के लिए हुआ था। संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं।)

पुस्तक अंश/पांचवीं किस्त : **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-16**

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?

■ **डॉ. बी. आर. अम्बेडकर**

VII

हम फिर पहली बात पर आते हैं। गोलमेज सम्मेलन से मात खाकर भारत लौटने वालों में श्री गांधी पहले व्यक्ति थे, जहां पर उनके आलोचकों के अतिरिक्त श्री गांधी का कोई अंध भक्त नहीं था। कहा जाता है कि वापसी के समय रोम में उन्होंने अपने बयान में एक संवाददाता से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चलाने की धमकी दी थी, जिसके कारण भारत पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। यद्यपि वह जेल में थे, परन्तु उनके मस्तिष्क में स्वराज की अपेक्षा अस्पृश्य ही कुलमुला रहे थे। उन्हें आशंका थी कि उनके प्राणों की बाजी लगाने की धमकी देने के बावजूद कहीं अस्पृश्यों की मांगों को मान न लिया जाय। प्रधानमंत्री को पंच बनाया गया था। उनके निर्णय देने से बहुत पहले ही श्री गांधी ने जेल से ही, मार्च 1932, को तत्कालीन भारत मंत्री सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यों की मांगों पर अपना विरोध दोहराया। वह पत्र इस प्रकार था-

"प्रिय सर सैमुअल,

गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर जब अल्पसंख्यकों का दावा प्रस्तुत किया गया था, तब मैंने जो भाषण दिया था, शायद आपको याद हो, उसमें मैंने कहा था कि यदि दलितों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है, तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा कर उसका विरोध करूंगा। यह भावावेश या जोश में नहीं कहा गया था। वह मेरा गंभीर बयान था। उसी के अंतर्गत मैंने आशा की थी कि भारत वापस आते ही दलित वर्गों के पृथक मतदान के विरूद्ध लोकमत जगाऊंगा। परन्तु ऐसा नहीं हो पाया। समाचारपत्रों से जिनकों मुझे पढ़ने की अनुमति मिली हुई है- मैं देखता हूं कि किसी भी समय सरकार की ओर से फैसले की घोषणा की जा सकती है। पहले मैंने यह सोचा था कि यदि फैसले में दलित वर्गों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है, तो मैं ऐसे कदम उठाऊंगा, जिससे मेरे विचार को बल मिले। लेकिन मैं सोचता हूं कि ब्रिटिश सरकार को पहले बिना नोटिस दिए ऐसा करना ठीक न होगा। यह स्वाभाविक है कि मेरे बयान को वे अधिक महत्व न दें। मुझे अन्य एतराजों को दुहराने की आवश्यकता नहीं। आपत्ति है तो केवल दलित वर्गों के पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकार करने पर। मैं समझता हूं कि मैं भी उनमें से एक होऊंगा। दूसरों की अपेक्षा उनके मामले की बात ही कुछ और है। मैं व्यवस्थापिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उनके प्रत्येक वयस्क, स्त्री, पुरुष की कोई शैक्षिक या आर्थिक योग्यता निर्धारित किए बिना, जिनका नाम मतदान सूची में उनके मताधिकार के पक्ष में हूं। परन्तु मेरा दावा है कि शुद्ध राजनैतिक दृष्टिकोण से कुछ भी समझा जाए, परन्तु पृथक मतदान से उनकी जो हानि होगी, उसको समझते हुए यह सोचना होगा कि वे सवर्ण हिंदुओं के बीच कितना फंसे हुए हैं और वे सवर्ण हिंदुओं पर कितने निर्भर हैं। जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, उसके लिए पृथक मतदान समाज के अंगभंग के समान होगा।

"मेरे लिए दलित वर्गों का प्रश्न विशेष रूप से नैतिक तथा धार्मिक है। इसका राजनैतिक पहलू भी यद्यपि महत्त्वपूर्ण है, परन्तु वह नैतिक तथा धार्मिक पक्ष के सामने फीका पड़ जाता है।

"आप मेरी भावनाओं को समझिए कि मैं अपने बचपन से ही उन वर्गों की दशा पर कितना सोचता रहा हूं। एक बार नहीं, वरन् कई बार मैंने अपना सब कुछ उनके लिए दाव पर लगा दिया। मैं शेखी नहीं बघारता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि सदियों से दलित वर्गों को जितना दबाया गया है और उन पर जो अत्याचार हुए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति हिन्दुओं के किसी पश्चाताप से नहीं हो सकती। परन्तु मैं जानता हूं कि पृथक मतदान न तो पश्चाताप है और न इससे दलित वर्गों का सदियों पुराना दमन रूकेगा अथवा उससे बचाव का कोई रास्ता निकलेगा।

"अंत: मैं सरकार को सविनय सूचित करना चाहता हूं कि यदि सरकारी निर्णय में दलित वर्गों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है, तो मैं आमरण अनशन करूंगा।

"मैं दुख के साथ अपनी आत्मा की

आवाज बता रहा हूँ कि मैं जेल में बंद हूं और मेरे इस कदम और ऐसा करने से सरकार के सामने कठिन समस्या आ जाएगी। सम्राट की सरकार का असमंजस में पड़ना बहुत से लोग उचित नहीं मानेंगे और मेरे निर्णय को राजनीति में पागलपन का नया तरीका समझा जाएगा। इसका औचित्य यह है कि यह कोई चाल नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की एक पहेली है। यह मेरी आत्मा की पुकार है, जिसकी मैं अवहेलना नहीं कर सकता। चाहे मेरे विवेक की छवि पर कितनी ही आंच क्यों न आ जाए। जहां तक मैं सोचता हूं यदि मुझे जेल से रिहा कर दिया जाए, तब भी अनशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि ब्रिटिश सरकार दलित वर्गों के पृथक मतदान को मानने का विचार त्याग देगी।”

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने श्री गांधी को जो उत्तर दिया था वह इस प्रकार था–

“इंडिया ऑफिस, व्हाइट हाल,
दिनांक 13 अप्रैल, 1932
प्रिय श्री गांधी

आपके दिनांक 11 मार्च, 1932 के पत्र के उत्तर में मैं लिख रहा हूं कि दलित वर्गों के पृथक मतदान के प्रश्न पर आपके मनोभावों को मैं पूरी तरह समझ गया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम किसी प्रश्न के गुणावगुण को देखकर ही निर्णय देना चाहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, लोथियन समिति अपनी रिपोर्ट देने के लिए अभी दौरा कर रही है और उनकी रिपोर्ट कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगी। तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जब उसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, तब हम ध्यानपूर्वक उनकी संस्तुतियों पर विचार करेंगे और जब तक उन बातों पर विचार नहीं कर लेंगे जो विचार कमेटी ने आरंभ में प्रकट किए थे, तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि यदि आप हमारे स्थान पर होते, तो आप भी ऐसा ही करते। आप स्वीकार करेंगे कि जब आप समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेंगे, तो अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आप विवादास्पद मुद्दे के दोनों पक्षों पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की आशा करेंगे।”

आपके दिनांक 11 मार्च, 1932 के पत्र के उत्तर में मैं लिख रहा हूं कि दलित वर्गों के पृथक मतदान के प्रश्न पर आपके मनोभावों को मैं पूरी तरह समझ गया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम किसी प्रश्न के गुणावगुण को देखकर ही निर्णय देना चाहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, लोथियन समिति अपनी रिपोर्ट देने के लिए अभी दौरा कर रही है और उनकी रिपोर्ट कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगी। तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जब उसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, तब हम ध्यानपूर्वक उनकी संस्तुतियों पर विचार करेंगे और जब तक उन बातों पर विचार नहीं कर लेंगे जो विचार कमेटी ने आरंभ में प्रकट किए थे, तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि यदि आप हमारे स्थान पर होते, तो आप भी ऐसा ही करते। आप स्वीकार करेंगे कि जब आप समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेंगे, तो अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आप विवादास्पद मुद्दे के दोनों पक्षों पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की आशा करेंगे।”

यह चेतावनी देने के बाद इस मामले में श्री गांधी लम्बी तान कर सो गए। उनकी सोच थी कि उन्होंने आमरण अनशन की जो धमकी दी थी, ब्रिटिश सरकार को झकझोर देने के लिए तथा अस्पृश्यों के विशेष प्रतिनिधित्व के दावे पर तुषारापात करने के लिए काफी है। 17 अगस्त, 1932 को प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक प्रश्न पर अपने निर्णय की घोषणा की। उसमें अस्पृश्यों से संबंधित जो निर्णय दिया गया था वह इस प्रकार था–

“ब्रिटिश सरकार का 1932 का सांप्रदायिक निर्णय”

दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पश्चात प्रधानमंत्री ने 1 दिसम्बर 1931 को जो वक्तव्य दिया वह संसद में भेज दिया गया। उसका संसद के दोनों सदनों ने समर्थन किया। उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत के सभी समुदाय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्न पर किसी सर्वमान्य समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रिटिश सरकार ने संकल्प किया है कि भारत के संविधान का विकास केवल उन असफलताओं के कारण रूक न जाए और कोई तदर्थ योजना लागू करके इस बाधा को समाप्त किया जाए।

2. पिछली 19 मार्च को ब्रिटिश सरकार को सूचना मिली थी कि नए संविधान निर्माण की योजना

में समुदायों द्वारा किसी समझौते पर न पहुंचने के कारण प्रगति रूकी हुई है और वे लोग इस विषय में उत्पन्न मतभेदों की समीक्षा करने में व्यस्त है। अब उनकी सिफारिश है कि नए संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समस्याओं के कुछ पहलुओं पर निर्णय लिए बिना नए संविधान के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हो सकती।

3. अत: इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया है कि उचित समय में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले भारतीय संविधान से संबंधित प्रस्तावों में नीचे दी गई योजना को मूर्त रूप देने के लिए वे प्रावधान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अंग्रेजी राज में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में प्रतिनिधित्व तक सीमित रहेगा। निम्नलिखित परिच्छेद 20 में वर्णित कारणों से केन्द्रीय सभा में प्रतिनिधित्व का मामला निलंबित कर दिया जाएगा। योजना को सीमित करने के निर्णय का अर्थ यह नहीं कि हम यह समझने में असफल रहे हैं कि संविधान का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों की असंख्य महत्त्वपूर्ण समस्याएं उठ खड़ी होंगी, वरन् इस आशा से ऐसा किया जा रहा है कि समुदायों के प्रतिनिधित्व के अनुपात और ढंग तथा मूल प्रश्नों पर एक बार घोषणा हो जाने पर वे समुदाय स्वयं अन्य सांप्रदायिक समस्याओं का हल निकाल सकेंगे।

4. ब्रिटिश सरकार चाहती है कि यह भली भांति समझ लिया जाए कि वे समुदाय अपने आप में ऐसी बातचीत में कोई पक्ष नहीं बन सकते, जिससे उनके द्वारा किए गए फैसले पर फिर से विचार करने की पहल हो सके जिसमें कोई संशोधन किया जाए और प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर किसी संशोधन पर विचार नहीं कर सकते। परंतु उनकी हार्दिक इच्छा है कि यदि सद्भावनापूर्ण समझौतों की संभावनाएं हैं तो वे नष्ट न हो जाएं। इसलिए भारत सरकार के अधिनियम को कानून बनने से पहले यदि वे कार्यान्वयन योग्य किसी अन्य योजना पर संबंधित समुदायों में पारस्परिक समझौता हो जाता है, वह चाहे किसी एक या अधिक प्रांतों अथवा पूरे ब्रिटिश भारत के लिए हो, तो उन सुझावों को साकार रूप देने के लिए संसद से सिफारिश की जाएगी कि अब प्रस्तुत विकल्पों को इसमें शामिल कर लिया जाए।

9. दलित वर्गों के वे सदस्य, जो मतदान करने के पात्र हैं, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। यह देखते हुए कि ये वर्ग केवल इसी तरीके से अपने बलबूते पर विधायिकाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं पा सकेंगे, उन्हें उतने समय तक के लिए ही विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इस उद्देश्य से जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, उनके लिए खास क्षेत्र नियत किए गए हैं। वे सीटें उन विशेष निर्वाचनक्षेत्रों में केवल चुने गए दलित वर्गों द्वारा ही भरी जाएंगी। कोई भी मतदाता, जो विशेष निर्वाचनक्षेत्र में मतदान करेगा, वह सामान्य निर्वाचनक्षेत्र में भी मतदान कर सकेगा। ये विशेष निर्वाचनक्षेत्र मद्रास को छोड़ उन चुने हुए इलाकों में बनाए जाएंगे, जहां दलित वर्गों की आबादी अधिक हो। परन्तु ये निर्वाचनक्षेत्र पूरे प्रांत में नहीं फैले होंगे।

बंगाल में ऐसा करना संभव है, जहां सामान्य निर्वाचनक्षेत्रों में दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस प्रकार जब तक इस विषय में जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक बंगाल में दलित वर्गों के विशेष निर्वाचनक्षेत्रों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ऐसा विचार है कि बंगाल विधान सभा में दलित वर्गों के लिए दस से कम संख्या नहीं होनी चाहिए।

अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है कि सभी प्रांतों में विशेष दलित वर्ग निर्वाचनक्षेत्रों में कौन से लोग और मतदाता कैसे मतदान के अधिकारी होंगे। इसका निश्चय मताधिकार समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों के अनुसार होगा। कुछ उत्तरी प्रांतों के विषय में संशोधन किया जा सकता है, जहां अस्पृश्यता के निर्धारित मापदंड प्रांत की अवस्था को देखते हुए परिभाषा के प्रतिकूल पाई जाएगी।

अंग्रेज सरकार यह नहीं मानती कि अस्पृश्यों के लिए नियत इन विशेष निर्वाचनक्षेत्रों की किसी समिति अवधि के बाद भी आवश्यकता पड़ेगी। उसका विचार है कि यदि पहले भी नहीं, तो मतसूचियों के संशोधन की परिच्छेद 6 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार 20 साल बाद तो यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

VIII

श्री गांधी को अहसास हुआ कि उनकी धमकी का असर नहीं हो रहा है। उन्हें इसकी भी परवाह नहीं रही कि प्रधानमंत्री से पंच-निर्णय करने की मांग पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किये थे और इस नाते वह पंच-निर्णय को मानने को बाध्य थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के किए-कराये पर पानी फेरना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक फैसले की शर्तों में संशोधन किया जाए। उसी के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को निम्नलिखित पत्र लिखा-

यर्वदा केन्द्रीय जेल
अगस्त 18, 1932

"प्रिय मित्र,

इसमें कोई शक नहीं कि दलितों के प्रतिनिधित्व के बारे में सर सैमुअल होर ने मेरा 11 मार्च का पत्र आपको और आपके मंत्रिमंडल को दिखा दिया होगा। यह पत्र उसी का एक अंश माना जाए और उसी के साथ पढ़ा जाए।

मैंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के विषय में ब्रिटिश सरकार का निर्णय पढ़ा और एक तरफ रख दिया। जैसाकि मैंने श्री सैमुअल होर को पत्र लिखा था और दिनांक 13 नवम्बर 1931 को सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति की बैठक में घोषणा की थी, मैं आपके निर्णय के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान कर दुंगा। ऐसा करने के लिए केवल एक रास्ता है कि मैं नमक और सोडा पानी के अतिरिक्त कुछ न लेकर आमरण अनशन करूं। यह अनशन तभी टूटेगा जब ब्रिटिश

सरकार स्वयं कोई प्रस्ताव करेगी अथवा लोकमत के दबाव में आकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और उन दलित वर्गों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रणाली के विचार को त्याग देगी। उनके प्रतिनिधि प्रस्तावित सामान्य निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाने चाहिए।

प्रस्तावित अनशन आमतौर से 20 सितम्बर के दोपहर से आरंभ होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऊपर बताए गए तरीके पर सरकार के फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर लिया जाता।

मैं अधिकारियों से कह रहा हूं कि इस पत्र को तार के जरिए आपको नोटिस के तौर पर भेज दें। इस विषय में मैं आपको यह पत्र पहुंचाने के लिए काफी समय दे रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा यह पत्र तथा सर सैमुअल होर को पहले लिखा गया पत्र दोनों शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित किए जाएं। मैंने अपनी ओर से ईमानदारी के साथ जेल के सभी नियमों का पालन किया है और उन दोनों पत्रों में जो कुछ लिखा गया था उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा श्री महादेव देसाई को छोड़ मैंने किसी को भी नहीं बतलाया है। मैं चाहता हूं कि जनता की राय जानने के लिए उन पत्रों को प्रकाशित किया जाये।

मुझे खेद है कि मैंने इस प्रकार का दुखद निर्णय लिया। परन्तु धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं था। जैसाकि मैंने सर सैमुअल होर को भेजे गए पत्र में कहा था, यदि ब्रिटिश सरकार अपने को परेशानी से बचाने के लिए मुझे जेल से मुक्त करने का फैसला लेती है, तब जेल से छूटने के बाद बाहर भी मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि उस फैसले का प्रतिरोध करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं जेल से बाइज्जत छूटने की अपेक्षा कोई अन्य विकल्प उठाना ठीक नहीं समझता हूं।

जहां विशेष निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, वहां सामान्य हिन्दुओं के निर्वाचन-क्षेत्रों में दलित वर्गों को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार दलित वर्गों के लिए दोहरे मतों का अधिकार होगा। एक विशेष निर्वाचन-क्षेत्र के अपने सदस्य के लिए, दूसरा हिन्दू समाज के सामान्य सदस्य के लिए, जिसे आपने अस्पृश्यों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन कहा है, हमने जान बूझकर उसके विपरीत फैसला दिया है और तय किया है कि दलित वर्ग के मतदाता सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों में सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारों को मत दे सकेंगे तथा सवर्ण हिन्दू मतदाता दलित उम्मीदवार के पक्ष में उसके निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार हिन्दू समाज की एकता को सुरक्षित रखा गया है। हमने यह बात अनुभव की है उत्तरदायी सरकार के आरंभिक काल में प्रांतीय विधानसभाओं में, जो भी बहुमत में आए वहां दलितों की पसंद के भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाएं, जबकि स्वयं आपने सर सैमुअल होर को अपने पत्र में लिखा था कि सवर्ण हिन्दुओं ने दलितों को सदियों से दलित बना रखा है।

हो सकता है कि मेरा फैसला गलत हो और दलित वर्गों के पृथक मतदान के संबंध से मैं पूर्णतया गलती पर होऊं और ऐसा मतदान उनके और हिंदुओं के लिए हानिकारक हो। यदि ऐसा होगा तो मेरा जीवन दर्शन ही बेकार होगा। ऐसी दशा में अनशन करते हुए यदि मेरे प्राण भी चले जाते हैं, तो वह मेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा और उन तमाम असंख्य पुरुषों और स्त्रियों का, जो मेरी समझदारी पर अटूट विश्वास करते हैं, बोझ हल्का हो जाएगा। यदि तमाम चिंतन के बाद लिया गया मेरा निर्णय, जिसमें मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है, ओर यह निर्णय सही है तो भी इससे मेरे जीवन की उस योजना की उल्लेखनीय क्रियान्विति होगी जिसके लिए मैंने 25 वर्ष से भी अधिक समय तक काम किया है।

आपका मित्र

मो. क. गांधी

प्रधानमंत्री का उत्तर था–

"प्रिय श्री गांधी,

10 डाउनिंग स्ट्रीट

8 सितम्बर, 1932

मुझे आपका पत्र मिला। पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ और बड़ा अफसोस भी। मैं सोचता हूं, यह पत्र आपने गलतफहमी में आकर लिखा है। ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों से संबंधित जो फैसला लिया है, वास्तव में वह ठीक है। हमने सदैव यही समझा है कि आप दलित वर्गों को हिंदू समाज में स्थायी रूप से अलग करने का डटकर विरोध करते रहे हैं। आपने गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। 11 मार्च को पुनः सर सैमुअल होर को अपने पत्र में

आपने अपने विचार प्रकट किए थे। हम यह भी जानते हैं कि विशाल हिंदू समाज के विचार आपके जैसे ही हैं। इसलिए दलितों के प्रतिनिधित्व के इस प्रश्न पर हमने गंभीरतापूर्वक विचार किया था।

हमें जब दलित संस्थाओं से बहुत सी अपीलें प्राप्त हुई, सभी लोग यह भी मानते हैं कि सामाजिक विषमताओं से शोषण होता है और आपने भी यह स्वीकार किया है, तो हमने यह अपना कर्तव्य समझा कि विधानसभाओं में दलित वर्गों को सही अनुपात में प्रतिनिधित्व के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, जिससे उनका संबंध हिन्दू समाज से टूट जाए। आपने स्वयं अपने 11 मार्च के पत्र में लिखा था कि आप विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व के विरूद्ध नहीं थे।

ब्रिटिश सरकार की योजना के अंतर्गत दलित वर्ग हिन्दू समाज के अंग बने रहे और वे चुनाव में आम सीटों पर हिन्दुओं के साथ ही मतदान करेंगे, परंतु यह व्यवस्था प्रथम बीस वर्षों तक रहेगी। हिन्दू समाज का अंग रहते हुए भी उनके लिए सीमित संख्या में निर्वाचनक्षेत्र होंगे, जिसमें उनके अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके- वर्तमान स्थितियों में ऐसा करना नितांत आवश्यक हो गया है।

जहां विशेष निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, वहां सामान्य हिन्दुओं के निर्वाचन-क्षेत्रों में दलित वर्गों को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार दलित वर्गों के लिए दोहरे मतों का अधिकार होगा। एक विशेष निर्वाचन-क्षेत्र के अपने सदस्य के लिए, दूसरा हिन्दू समाज के सामान्य सदस्य के लिए, जिसे आपने अस्पृश्यों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन कहा है, हमने जान बूझकर उसके विपरीत फैसला दिया है और तय किया है कि दलित वर्ग के मतदाता सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों में सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारों को मत दे सकेंगे तथा सवर्ण हिन्दू मतदाता दलित उम्मीदवार के पक्ष में उसके निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार हिन्दू समाज की एकता को सुरक्षित रखा गया है।

हमने यह बात अनुभव की है उत्तरदायी सरकार के आरंभिक काल में प्रांतीय विधानसभाओं में, जो भी बहुमत में आए वहां दलितों की पसंद के भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाएं, जबकि स्वयं आपने सर सैमुअल होर को अपने पत्र में लिखा था कि सवर्ण हिन्दुओं ने दलितों को सदियों से दलित बना रखा है। इसलिए नौ प्रांतों में से सात प्रांतों की विधानसभाओं में अपनी कठिनाइयों की आवाज उठाने के लिए उन्हें भी चुना जाए और यदि उनके हितों के विरुद्ध कुछ किया जाए, तो उसके विरोध में अपने विचार रख सकें, जिनकी बात विधानसभा या सरकार में कोई नहीं सुनता। हमने वही किया है, जैसा किसी भी बेबाक व्यक्ति को करना चाहिए। हम नहीं समझते कि वर्तमान हालात में मताधिकार की किसी प्रणाली के तहत यह व्यावहारिक हो सकता है कि ऐसे प्रतिनिधि, जो वास्तव में उनके प्रतिनिधि हैं, बहुमतप्राप्त सवर्ण हिन्दुओं द्वारा चुने जाएंगे।

हमारी योजना में सामान्य हिन्दू निर्वाचन-क्षेत्रों में दलितों को मतदान के अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ-साथ उनके लिए सीमित संख्या में जो विशेष निर्वाच क्षेत्र बनाए जाएंगे वे मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर मुसलमान सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों में न तो मतदान कर सकता है और न वहां से चुनाव लड़ सकता है, जबकि मतदान करने की योग्यता रखने वाला कोई भी दलित वर्ग का सदस्य उस सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र में भी मतदान कर सकता है और उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी हो सकता है।

पूरे देश में मुसलमानों के लिए जो सीटें निश्चित की गई हैं, उनके साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि उन निश्चित सीटों के अतिरिक्त और सीटें बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में वह अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें प्राप्त कर रहे हैं। दलित वर्गों के लिए नियत निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम होगी और उनकी पूरी जनसंख्या के अनुपात में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कुछ संख्या में दलित वर्गों के लिए जो विशेष सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है।

जैसा कि मैं आपकी मनोवृत्ति समझता हूं, आप आमरण अनशन करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आप दलित वर्गों के लिए हिन्दुओं के साथ संयुक्त चुनाव प्रणाली चाहते हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था तो पहले से ही है, और न ही इसलिए कि आप हिन्दुओं की एकता बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसका प्रावधान भी पहले से ही है। आप तो बस दलितों को, जो सदियों से आज तक सामाजिक शिकंजे में जकड़े हुए हैं, अपने मनपसन्द के ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने से रोकना चाहते हैं जो विधानसभाओं में जाकर उनकी ओर से आवाज उठा सकें, जिसका उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सके।

इन नितांत निष्पक्ष और सुविचारित प्रस्तावों के संदर्भ में आपके द्वारा लिए गए निर्णय को मैं उचित नहीं समझता। मैं तो यही समझता हूं कि आपने वास्तविक तथ्यों से भयभीत होकर यह निर्णय लिया है।

सभी भारतीयों से किसी सर्वमान्य समझौते पर न पहुंच पाने पर सरकार ने अनिच्छा से अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर फैसला दिया है। उसने अब जो तय किया है उसमें कोई परिवर्तन करने की अब कोई गुंजाइश नहीं बशर्ते कि जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, वे पूरी हो जाएं। मैं समझता हूं कि सरकार अपने फैसले पर दृढ़ है। केवल उन सामुदायिक अल्पसंख्यकों की आपसी सहमति से चुनाव में कुछ फेरबदल किया जा सकता है, जिनकी उचित मांगों पर शासन ने गुणावगुण पर विचार कर आपसी मतभेदों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है।

आप चाहते हैं कि यह पत्र-व्यवहार जिसमें 11 मार्च को सर सैमुअल होर को लिखा गया आपका पत्र भी शामिल है, प्रकाशित किया जाए। मुझे यह अनुचित प्रतीत होता है। यदि आपकी नजरबंदी के कारण आप जनता के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आपने अनशन का इरादा किया है तो मैं आपके अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप पुनर्विचार के बाद ऐसा न करें। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप शासन के निर्णय पर फिर से विचार करें और गंभीरता से सोचें कि आपने अनशन करने का जो निर्णय लिया है, वह कहां तक उचित है?

आपका विश्वासपात्र
जे रैम्जे मेक्डोनाल्ड

यह मालूम होने पर कि प्रधानमंत्री बात मानने वाले नहीं हैं, गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी पर अटल रहने की सूचना देते हुए निम्नलिखित पत्र भेजा।

यरवदा सेंट्रल जेल,
सितंबर 9, 1932

प्रिय मित्र,

“तार के माध्यम से भेजा हुआ आपका पत्र मुझे आज मिला। इसके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि आमरण अनशन करने के मेरे विचार की आपने जो व्याख्या की है, वह मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। मैंने उस विशेषवर्ग (दलित वर्ग) के लिए बोलने की मांग की है, जिनके हितों का बलिदान करने का दोषी आपने मुझे ठहराया है। मैंने इसीलिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। मुझे आशा थी कि मेरा यह निर्णय ही आपको ऐसी स्वार्थपूर्ण व्याख्या करने से अवश्य रोकेगा। बिना किसी तर्क-वितर्क के मैं यह कह सकता हूं कि मेरा यह कार्य मेरा धर्म है। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना हिन्दू धर्म को बरबाद करने का प्रयास करना है और इससे दलित वर्गों को कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप उन दलित वर्गों के प्रति कितनी भी सहानुभूति क्यों न रखते हों परन्तु आप ऐसे जीवंत और धार्मिक महत्व के प्रश्न पर सही फैसला नहीं ले सकते।

मैं दलित वर्गों को उनके अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के विरूद्ध भी नहीं हूँ। मैं तो जब तक वे हिन्दू रहना चाहें तब तक उन्हें संवैधानिक ढंग से पृथक करने के विरूद्ध हूं। वह भले ही सीमित रूप में क्यों न हों। क्या आपको इस बात का अहसास है कि यदि आपका निर्णय लागू रहता है और संविधान बन जाता है तो आप उन हिन्दू समाज-सुधारकों के महान कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे जिन्होंने शोषित और दलितों का प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान करने का बीड़ा उठाया हुआ है।

इसलिए मैं विवश हूं और अनिच्छा से मैं उस फैसले पर (आमरण अनशन) पर अडिग हूं जिसकी सूचना मैं आपको दे चुका हूं।

आपके पत्र से कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि आपके फैसले के उस भाग से मैं सहमत नहीं हूं जिसमें दलित वर्गों को हमसे अलग करने को कहा गया है। मुझे इसके साथ ही अन्य कुछ भागों पर भी गंभीर आपत्ति है। मैं उन्हें भी आत्मोत्सर्ग का कारण नहीं समझता, क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे केवल दलित वर्ग के बारे में झकझोरा है।

आपका विश्वसनीय मित्र
मो. क. गांधी

तदनुसार 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अस्पृश्यों को पृथक मतदान देने के विरूद्ध अपना “आमरण अनशन” आरंभ किया। श्री प्यारे लाल ने अपनी पुस्तक “द एपिक फास्ट” में इस कथानक की

अनशन से समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या थी कि श्री गांधी के प्राण केसे बचाए जाएं? उनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय था। वह यह था कि सांप्रदायिक पंचाट को रद्द कर दिया जाए जिसके बारे में श्री गांधी कहते थे कि इसने उनकी आत्मा को हिला दिया है। प्रधानमंत्री ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल उसे वापस नहीं लेगा और न ही उसमें अपने आप कोई परिवर्तन करेगा, परन्तु वे किसी ऐसे सिद्धांत को जो सवर्ण हिन्दुओं और अस्पृश्यों को मान्य हो, उसके स्थान पर लाने के लिए तैयार थे। चूंकि मुझे गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला था, इसलिए यह मान लिया गया कि अस्पृश्यों की सहमति मेरे उसमें शामिल हुए बिना मान्य नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह थी कि भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि और नेता के रूप में मेरी स्थिति पर कांग्रेसियों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, वरन् उसे वास्तविक रूप में स्वीकार किया। स्वभावतः सबकी आंखें मेरी ओर लगी थीं, जैसे कि मैं इस नाटक का खलनायक होऊं।

सत्यता को चित्रात्मक रूप से प्रकाशित किया है। इच्छुक पाठक इसका संदर्भ देख सकते हैं। मैं उन्हें चुनौती देना चाहूंगा कि यह पुस्तक बासवेल द्वारा लिखी गई थी और इसमें ऐसी गलतियां भरी पड़ी हैं, जैसी बासवेल करते हैं। इसका एक पक्ष यह भी है कि उसकी प्रस्तुति के लिए न मेरे पास समय है, न स्थान। उद्धत करने के लिए न स्थान है और न समय है। मैं केवल उस ब्यान की ओर ध्यान दिला सकता हूं जिसे मैंने श्री गांधी के आरंभिक अनशन की पूर्वसंध्या पर प्रेस को छपने के लिए दिया था और इसमें उनकी चालों का पर्दाफाश किया गया था। यह कहना काफी है कि यद्यपि श्री गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी परन्तु वे मरना नहीं चाहते थे और बहुत लंबे जीवन के आकांक्षी थे। जो प्रेस नोट मैंने छपने के लिए दिया था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है।

अनशन से समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या थी कि श्री गांधी के प्राण कैसे बचाए जाएं? उनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय था। वह यह था कि सांप्रदायिक पंचाट को रद्द कर दिया जाए जिसके बारे में श्री गांधी करते थे कि इसने उनकी आत्मा को हिला दिया है। प्रधानमंत्री ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल उसे वापस नहीं लेगा और न ही उसमें अपने आप कोई परिवर्तन करेगा, परन्तु वे किसी ऐसे सिद्धांत को जो सवर्ण हिन्दुओं और अस्पृश्यों को मान्य हो, उसके स्थान पर लाने के लिए तैयार थे। चूंकि मुझे गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला था, इसलिए यह मान लिया गया कि अस्पृश्यों की सहमति मेरे उसमें शामिल हुए बिना मान्य नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह थी कि भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि और नेता के रूप में मेरी स्थिति पर कांग्रेसियों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, वरन् उसे वास्तविक रूप में स्वीकार किया। स्वभावतः सबकी आंखें मेरी ओर लगी थीं, जैसे कि मैं इस नाटक का खलनायक होऊं।

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इन जटिल परिस्थितियों में, मैं असमंजस में पड़ गया। मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मेरे सामने कर्तव्य था, जिसे मैं मानवीय कर्तव्य मानता हूं कि श्री गांधी के प्राणों को बचाया जाए। दूसरी ओर मेरे सामने समस्या थी कि अस्पृश्यों के उन अधिकारों की रक्षा की जाय जो प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैंने मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा की। मैं सांप्रदायिक पंचाट में ऐसे ढंग से परिवर्तन करने के लिए राजी हो गया जो श्री गांधी को संतोषजनक लगे। वह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।

पूना पैक्ट का मूल पाठ

समझौते का मूल पाठ निम्न प्रकार से था–

1. प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य निर्वाचित सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी जो निम्न प्रकार होंगी।

मद्रास 30, बम्बई और सिंध मिलाकर 15, पंजाब 8, बिहार एवं उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल योग 148, ये संख्या प्रांतीय काउंसिलों में कुल सीटों की संख्या पर आधारित थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में घोषित किया था।

2. इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाएगा :

दलित वर्गों के सभी लोग जिनके नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होंगे, एक निर्वाचन मंडल में होंगे, जो प्रत्येक सुरक्षित सीट के लिए दलित वर्गों के चार अभ्यर्थियों का पैनल चुनेगा। वह चुनाव-पद्धति एकल मत प्रणाली के आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक चुनाव में जिन चार सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वे सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार माने जाएंगे।

3. केन्द्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त खंड 2 में उपबंधित रीति से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत पर होगा और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए प्राथमिक निर्वाचन के तरीके द्वारा सीटों का आरक्षण होगा।
4. केन्द्रीय विधानमंडल में अंग्रेजी राज के तहत सीटों में से दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत होगी।
5. उम्मीदवारों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम दस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निम्नलिखित पैरा 6 के अनुसार इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
6. प्रांतीय तथा केन्द्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर खंड 1 और 4 में दिया गया है, तब तक जारी रहेगा, जब तक कि दोनों संबंधित पक्षों में आपसी समझौते द्वारा उसे समाप्त करने पर सहमति नहीं हो जाती।
7. केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए दलितों को मतदान का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसा लोथियन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है।
8. दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनावों तथा सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार की जाएगी।
9. सभी प्रांतों में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि नियत की जाएगी।

समझौते की शर्तें श्री गांधी ने मान ली

और उनको भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया। पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। अस्पृश्य दुखी थे। ऐसा होना स्वाभाविक था। बहुत से लोग उस समझौते के पक्ष में नहीं हैं। वे यह जानते हैं कि यह सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड में दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक्ट में अस्पृश्यों को अधिक सीटें दी गई हैं। पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को 148 सीटें मिली हैं, जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें मिलनी थीं। परन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा पूना पैक्ट में बहुत कुछ अधिक दिया गया है, वास्तव में कम्युनल अवार्ड की उपेक्षा करना है क्योंकि कम्युनल अवार्ड ने भी अस्पृश्यों को बहुत कुछ दिया है।

कम्युनल अवार्ड से अस्पृश्यों को दो लाभ थे-

1. पृथक मतदाता प्रणाली द्वारा अस्पृश्यों को सीटों का निश्चित कोटा, जिन पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता था।
2. दोहरी मतदान सुविधा - वे एक वोट का उपयोग पृथक मतदान के तहत दे सकते थे और दूसरा आम चुनाव के समय देते।

अब यदि पूना पैक्ट में सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है तो इसने दोहरे मत की सुविधा भी समाप्त कर दी है। सीटों की वृद्धि दोहरे मत की सुविधा की हानि की क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकती। कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेष अधिकार था। यह एक राजनीतिक हथियार था, जिसकी बराबरी नहीं कबी जा सकती। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने योग्य अस्पृश्यों की संख्या पूर्ण मतदान संख्या का दसवां भाग है। इस मतदान शक्ति से आम हिन्दू उम्मीदवारों के चुनाव में अस्पृश्यों की स्थिति निणार्पयक होती, चाहे साधिकार न भी हो। कोई भी सवर्ण हिन्दू अपने निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों की उपेक्षा नहीं कर पाता और अस्पृश्यों को आंख दिखााने की स्थिति में भी न रहता। अस्पृश्यों के मतों पर निर्भर करता। आज अस्पृश्यों की कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिली हैं। बस उन्हें यही मिला। प्रत्येक सदस्य यदि क्षुब्ध नहीं भी है, तो भी उदासीन है। यदि कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार बरकरार रहता, तो अस्पृश्यों को कुछ सीटें भले ही कम मिलती, परन्तु प्रत्येक सदस्य अस्पृश्यों के लिए भी प्रतिनिधि होता। अस्पृश्यों के लिए अब सीटों की संख्या में की गई बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इससे पृथक मतदान प्रणाली और दोहरे मकतदान की क्षतिपूर्ति नहीं होती। हिन्दुओं ने यद्दपि पूना पैक्ट पर खुशियां नहीं मनाई, वे इसे पसंद नहीं करते। वे इस अफरातफरी में श्री गांधी के प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित थे। इस दौरान भावना की लहर चल रही थी कि श्री गांधी के प्राण बचाना महान कार्य है। इसलिए जब उन्होंने समझौते की शर्तें देखीं, तो वे उन्हें पसंद नहीं थीं, लेकिन उनमें उस समझौते को अस्वीकार करने का भी साहस नहीं था। जिस समझौते को हिन्दुओं ने पसंद नहीं किया और अस्पृश्य उसके विरोध में थे, पूना पैक्ट को दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ा और उसे भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

IX

पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए हेमंड समिति नियुक्त की गई। उसका काम नए संविधान के अनुसार विधानसभाओं के लिए मतदान की व्यवस्था करना और निश्चित सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना था।

अब यदि पूना पैक्ट ने सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है तो इसने दोहरे मत की सुविधा भी समाप्त कर दी है। सीटों की वृद्धि दोहरे मत की सुविधा की हानि की क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकती। कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेष अधिकार था। यह एक राजनीतिक हथियार था, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने योग्य अस्पृश्यों की संख्या पूर्ण मतदान संख्या का दसवां भाग है। इस मतदान शक्ति से आम हिन्दू उम्मीदवारों के चुनाव में अस्पृश्यों की स्थिति निर्णायक होती, चाहे साधिकार न भी हो। कोई भी सवर्ण हिन्दू अपने निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों की उपेक्षा नहीं कर पाता और अस्पृश्यों को आंख दिखाने की स्थिति में भी न रहता। अस्पृश्यों के मतों पर निर्भर करता। आज अस्पृश्यों की कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिली हैं। बस उन्हें यही मिला। प्रत्येक सदस्य यदि क्षुब्ध नहीं भी है, तो भी उदासीन है।

हेमंड समिति को पूना पैक्ट की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना था और चुनाव योजना में अस्पृश्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। दुर्भाग्यवश पूना पैक्ट हड़बड़ी में तैयार हुआ था, इसलिए बहुत सी बाते परिभाषित नहीं हो पाई। जो बातें अपरिभाषित रह गई थीं, उनमें से दो बहुत महत्त्वपूर्ण थीं: (1) प्राथमिक चुनावों में कम से कम कितने सदस्यों का पैनल हो अथवा इससे कम का नहीं? (2) अंतिम चुनाव में मतदान का क्या सिद्धांत निर्धारित किया जाए? हिन्दुओं की ओर से इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि न्यूनतम चार का पैनल बने। यदि चार उम्मीदवार मैदान में नहीं आते, तो प्राथमिक चुनाव वैध नहीं होगा और इस प्रकार सुरक्षित सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। इसके विषय में उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को खाली पड़ा रहने दिया जाए और अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व न रहे। अस्पृश्यों की आरे से उस विवादग्रस्त मुद्दे की व्याख्या करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने कहा कि पूना पैक्ट में चार का अर्थ है अधिकतम चार, न कि न्यूनतम चार। मतदान के प्रश्न पर हिन्दुओं ने कहा कि अनिवार्य विभाजक मत का सिद्धांत उपयुक्त है। अस्पृश्यों की ओर से मैंने कहा कि मतों की एकत्रित व्यवस्था ही समुचित व्यवस्था रहेगी। सौभाग्यवश हेमंड समिति ने मेरे विचारों को स्वीकार कर लिया और हिन्दुओं के तर्कों को रद्द कर दिया। यह दिलचस्प बात है कि सवर्ण हिन्दुओं ने इस विषय में यह तर्क क्यों प्रस्तुत किया था? जरा सा ध्यान देने पर पता चल जाएगा। प्रश्न उठता है कि हिन्दुओं ने हेमंड समिति के समक्ष यह खास विचार क्यों रखा? उस तर्क के पीछे उनका असल इरादा क्या था? मेरे विचार से हिन्दुओं का इरादा था कि वैध प्राथमिक चुनाव में अस्पृश्यों के “कम से कम चार” उम्मीदवारों के सिद्धांत की मांग स्वीकार होने पर सवर्ण हिन्दू आरक्षित सीटों पर ऐसे अस्पृश्य उम्मीदवार का कब्जा करा सकते थे, जो उनकी पसंद का हो और उनकी कठपुतली बन पाए। अंतिम चुनाव में ऐसे अस्पृश्य के चुने जाने के लिए उसे पैनल में आना आवश्यक था और वह पैनल में तभी आ सकता था, जब पैनल बड़ा हो। क्योंकि केवल अस्पृश्य मतदाताओं के पृथक निर्वाचन द्वारा पैनल का चुनाव बन सकता था। यह स्पष्ट है कि यदि पैनल में एक ही उम्मीदवार हो, तब वह अस्पृश्य का बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार होगा और हिन्दुओं की दृष्टि से बहुत ही खराब। यदि वहां पर दो उम्मीदवार होंगे, तो दूसरा पहले की अपेक्षा कुछ कम प्रभावशाली होगा। तीन होने पर तीसरा पहले और दूसरे से भी हिन्दुओं की दृष्टि में ढीला होगा। चार होंगे, तो चौथा हिन्दुओं के हिसाब से ऊपर वाले तीनों से गया बीता होगा। इस प्रकार यदि चार का पैनल होगा तो हिन्दु उसमें अस्पृश्यों का ऐसा प्रतिनिधि शामिल करा सकेंगे जो उन्हें सर्वाधि उपयुक्त होगा। यही कारण था कि हिन्दुओं ने हेमंड समिति के सामने न्यूनतम चार वैध उम्मीदवारों का पैनल बनाने के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया।

इस प्रकार अनिवार्य मत विभाजक व्यवस्था पर हिन्दुओं द्वारा अधिक जोर देने का उद्देश्य यही था कि अस्पृश्यों की सुरक्षित सीटों पर सवर्ण हिन्दुओं का कब्जा हो जाए। एकत्रित मत व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचक के उतने ही मत हो सकते हैं, जितनी संख्या में सीटें हों। वह सभी मत एक उम्मीदवार को भी दे सकता है अथवा अपनी इच्छानुसार दो दो से अधिक उम्मीदवारों में विभाजित कर सकता है। मत विभाजक व्यवस्था के अनुसार भी निर्वाचक (मतदाता) के उतने ही मत हो सकते हैं, जितनी सीटें हों, परन्तु वह किसी एक उम्मीदवार को केवल एक वोट दे सकता है। यद्दपि दोनों व्यवस्थाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि एकत्रित मत व्यवस्था में भी मतदाता को अपने मत विभाजित करने से नहीं रोका जा सकता। वह एक उम्मीदवार को ही मत देने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु सवर्ण हिन्दू कोई अवसर नहीं खोना चाहते थे। उनका मुख्य ध्येय था, संयुक्त निर्वाचन में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की झड़ी लगा दें, ताकि चुनाव द्वारा उन सीटों को हड़पा जा सके। उसका उद्देश्य था अस्पृश्यों के मतों से ज्यादा मत जुटाना या जिसको उनकी पसंद का उम्मीदवार न जीत पाए। ऐसा तभी हो सकता था, जबकि हिन्दू अपने फालतू मतों को सामान्य अभ्यर्थी से हटा कर प्रत्यक्ष अभ्यर्थी को दिला दें। इस विभाजक व्यवस्था के अंतर्गत फालतू मतों की दिशा मोड़ना एकत्रित मत व्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक संभव होगा। मत विभाजक व्यवस्था में हिन्दू मतदाता हिन्दू अभ्यर्थी को केवल एक वोट दे सकता है। दूसरा वोट जो हिन्दू अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त नहीं, केवल अस्पृश्य अभ्यर्थी के लिए होगा। इस प्रकार मत विभाजन मत व्यवस्था में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों में उम्मीदवारों की भरमार की संभावना है और यही कारण है कि हिन्दू एकत्रित मत व्यवस्था की अपेक्षा उसे ही पसंद करते हैं। परन्तु वे उस व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके विचार से मत विभाजक व्यवस्था भी गलत साबित होती। मत विभाजक व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता को अपने सभी मतों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। वह सवर्ण हिन्दू को एक वोट दे सकता है और शेष मतों को प्रयोग न करने की उसे पूरी छूट है। यदि ऐसा ही होता, तो नामजद अस्पृश्य अभ्यर्थी को उन्हें जिताने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस अवसर को न छोड़ने के लिए ही सवर्ण हिन्दू मत विभाजक व्यवस्था को इसलिए आवश्यक बनाना चाहते हैं, ताकि सवर्ण हिन्दू मतदाता चाहते या न चाहते हुए भी अपना एक वोट अस्पृश्य अभ्यर्थी को दें, जो उनका नामजद किया हुआ हो और इस प्रकार उसे जिताने में उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी।

(क्रमशः शेष अगले अंक में)

डॉ. अनिल सूर्या की दो कविताएं

1 मम्मी-पापा और बेटी

मम्मी-पापा मैं तुम्हारी लाड़ली बेटी
मैं आपका हृदय, मैं ही आपका प्राण।

मम्मी-पापा, कल
मैं मेरी सहेलियों के साथ
हरे-हरे लहराते खेतों में खेलने जाती थी
गुलाब-सूर्य फूल के संग
बाग में तितलियों के संग
तितली बनकर उड़ती थी।
तब आपको भी चिन्ता नहीं थी
और मुझे भी डर नहीं था।

मम्मी-पापा, कल
निर्मल नदी सी बहती थी समुंद्र तक
कभी हवाईजहाज बनके उड़ती थी आकाश तक
कभी ई-शॉपिंग, कभी मेट्रो, कभी सैटेलाईट की उड़ान
तो कभी चौराहों पर अबोध-शुद्ध मस्ती
तब आपको भी चिन्ता नहीं थी
और मुझे भी डर नहीं था।

मम्मी-पापा, कल
अपने पड़ोसी-रिश्तेदार सब अच्छे थे
भाई-मित्र, चाचा-मामा, ... अंकल
पास के भी और दूर के भी।
तब आपको भी चिन्ता नहीं थी
और मुझे भी डर नहीं था।

पर, मम्मी-पापा, आज ! आज !
यह कैसा समाज के कर्मों का घोर अंधेरा
यह कैसे जहरीले रस्ते, यह कैसा श्राप?
मम्मी-पापा, आज किसी भी क्षण की गारंटी नहीं।
घर में, घर के बाहर, दरवाजे के अन्दर, दरवाजे के बाहर
आपको भी बहुत-बहुत ज्यादा मेरी चिंता रहती
और मम्मी-पापा मुझे भी बहुत-बहुत डर लगता,
मेरे ही देश में मुझे बहुत डर लगता है।

2 घर कैसे खड़ा होगा?

नाल भी कटी न थी
और इन नरभक्षी इंसानों ने
उसकी कमर को किसी ने वस्त्र में लपेटा।
किसी ने सफेद कमीज चढ़ाई
तो किसी ने हरी चादर से ओढ़ाई।
उसके लाल लहू को किया
जन्मजात गुलाम।

इसलिए जब जला
इंसानों को ही तोड़ा, मानवता को ही जलाया।
यहां, लड़ती है माटी से माटी,
यहां जलाता है सूर्य को सूर्य,
यहां, राख करती है आग को आग,
यहां प्यासा रखता है पानी को पानी।

यदि आग ने की होती आग की मदद
तो भड़क उठता जुझारू विद्रोही आन्दोलन।
यदि की होती दोस्ती, सूर्य ने सूर्य से,
तो दिखाता दस दिशाओं में ज्ञानवलय।

किन्तु जब मानव ही मिलाएंगे, हाथ अमानवीयता से
तो वहां स्वतंत्रता, सम्पन्नता, भाईचारा
और न्याय के वसंत का
घर कैसे खड़ा होगा?

क्यूं न हम सामाजिक सद्भाव,
समतावादी समाज
से परिपूर्ण देश-समाज बनाने का
संकल्प लें !
अमानवीयता असंवेदनशीलता, अन्याय को परास्त कर
मानवीय संवेदनशीलता
न्यायप्रियता,
एवं दूसरों के अधिकार के प्रति
सम्मान की भावना,
जगाकर,
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के सपनों का,
देश-समाज बनाएं,
भारत को दुनियां के शीर्ष पर पहुंचाएं ।

❒❒❒

संघमित्रा गौतम की तीन कविताएं

1 हौसलों की जंजीर

''हौसलों पर कोई परदा नहीं होता
कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता,
दिल में हो अगर जज्बा, कुछ कर दिखाने का,
तो जलते हुए दीये को भी आंधियों का डर नहीं होता''

''झुक जायेगा आसमां जरा ध्यैर्य तो रखने
की कोशिश करना तुम उसे पाने की
बिना हौसलों के मंजिल नहीं मिलती''

2 संविधान

जिसने कठिन संघर्षों से लिखा संविधान है,
उसे कहते भीम महान है।

भारत की शोषित नारी को, दिलाये सब अधिकार हैं
फिर बना देश महान है।

नहीं चला था ये देश किसी धर्मग्रन्थ से,
चला है तो बाबासाहेब के संविधान से।

कैसे भूलेगें उसको जिसने कला जीने की सिखाई है।
शिक्षित कर हर मानव को, भरता हर मानव भीम उठान है।

3 बदलता भारत

यदि भारत में बाबा न होते
मुझे कभी शिक्षा न मिलती।

यहां है हर मानव एक समान
फिर होता मुझे न ज्ञान है।

संसार में जो भीम संघर्ष न करता
न मिलती किसी को पहचान है।

सफलता तो है दूर की कौड़ी
मुझे न मिलता अपना संज्ञान।

न रहती उसके बिना समता,
स्वतंत्रता, न होता यहां बंधुता

चाहे करते लाख कोशिशें
नहीं मिलता तुम्हें कोई सम्मान।

बिखर जाती कौम तुम्हारी मोती के जैसी,
अगर भीम रूपी जो ये वरदान न होता।

यदि भारत में भीम न होता,
मुझे कभी जीने का स्वाभिमान न होता''

❐❐❐

लघु कथा

कर्म का फल

■ गायत्री वर्मा

मेहरा अंकल हमारे घनिष्ठ परिचित तथा मेरे पापा के प्रिय दोस्त हैं। उनकी तीन लड़कियां हैं दीप्ति, निधि और रीना।

मेहरा आंटी को ब्लड कैंसर था और असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरे घर की जिम्मेदारी मेहरा अंकल पर थी बड़े भाईयों ने भी उनको अपनी पैतृक सम्पत्ति से भी वंचित कर दिया था। मेहरा अंकल बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने सब कुछ सहन करते रहते थे। सभी लोग कहते थे मेहरा अंकल ने पता नहीं कौन से कर्म किए हैं जो उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन-तीन लड़कियों की शादी करके और उनके लिए घर बसाने में तो इनका पूरा जीवन ही खत्म हो जायेगा।

दीप्ति ने मेरे साथ ही स्नातकोत्तर कर डिग्री ली और वो आज कॉलेज में प्रोफेसर है।

निधि ने एल.एल.बी. किया है और कुछ समय वकालत भी और आज वहां अपने तथा विभाग की मानी हुई जज हैं।

रीना अपनी माँ के बेहद करीब थी और उसको माँ की कमी हमेशा महसूस होती थी। उसने अपना लक्ष्य भारतीय सेना को चुना और वहां भारतीय नौ सेना में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। तीनों लड़कियों ने बिना दहेज, बिना दिखावे के अपने मनपसंद लड़कों से शादी की हैं।

मेहरा अंकल के तीनों जमाई उन्हें अपने पिता से भी बढ़कर सम्मान देते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। आज उनके परिचित कहते हैं, मेहरा अंकल ने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा कार्य किया होगा जो भगवान ने उनको इतनी संस्कारवान, गुणी लड़कियां और इतने अच्छे दामाद दिये हैं। ❐

सम्पादक के नाम पत्र

पत्रिका का शोध में विशेष योगदान

सम्पादक महोदय,

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के लगातार 14 वर्षों के सफर में पत्रिका का प्रकाशन जिन भी कारणों से बन्द रहा है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि 2013 में पत्रिका पहले से कहीं ज्यादा सार गम्भीर नजर आई तथा पत्रिका के लेख और उनके लेखक का गहन अध्ययन से आज पूरे भारत वर्ष के शोद्यार्थी एवं डॉ. अम्बेडकर के मिशन के लोगों के साथ आज भारत व राज्य की सरकारें बाबासाहेब के कार्य प्रणाली और उनके संघर्ष से प्रेरणा ले रही है।

जिसके परिणामत: आज देश के मा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बाबासाहेब के कार्यों व उनको उनके विचारों को विश्वपटन पर पहुंचा रहे हैं। जिसमें पत्रिका के सम्पादक महोदय व प्रतिष्ठान का यह कार्य सराहनीय है आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिलता रहेगा।

डॉ. सुभाष चन्द्रा
चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सामाजिक सरोकारो की पत्रिका

सम्पादक महोदय,

आपके द्वारा संपादित 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका बहुत ही सराहनीय है इसके माध्यम से सभी वंचितों को हमारे महापुरुषों व बोद्धिस्तु बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के कठिन संघर्षों का पता चलता है, हम आज जो कुछ भी हैं ये सब उन्हीं के संघर्षो से है। उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया है उसे हम भी सभी को मिलकर उनके विचारों को फैलाते रहेंगे जब तक कि इस देश में समतावादी समाज की स्थापना न हो जाए।

इस पत्रिका के माध्यम से हर व्यक्ति को हमारे महापुरूषों के जीवन संघर्ष से अभिप्रेरणा मिलती है।

एस. गौतम
नई दिल्ली

पत्रिका में डॉ. अम्बेडकर दर्शन 'गागर में सागर'

सम्पादक महोदय,

सम्पादक महोदय मैंने अपने मित्र डॉ. सुभाष चन्द्रा से उपहार स्वरूप प्राप्त सामाजिक न्याय सन्देश पत्रिका पढ़ी जिसको पढ़कर बाबासाहेब के बारे में गागर में सागर जैसा लगा।

आपके व प्रतिष्ठान के इस सराहनीय कार्य के लिए आपको बधाई।

महेश कुमार
प्रवक्ता (अर्थशास्त्र)
(श्री शं.दे.आ.इ.का. जावल, बुलंदशहर, उ.प्र.)

पत्रिका में दलित दर्शन

सम्पादक महोदय,

क्या समाज में समानता आ पाई है? शायद नहीं क्योंकि आज भी दलितों से संबंधित अनेक घटनाओं के बारे में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से जानकारी मिलती है, तब मन में तकलीफ पहुंचती है कि क्या हमें इसे ही लोकतंत्र कहें जहां दलितों की सिसकियां रह-रह कर सुनाई दे रही हैं। उम्मीद है कि सामाजिक न्याय संदेश के द्वारा समाज की कुछ समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी क्योंकि सुधी पाठक इसके लेखों को आत्मसात करेंगे और किसी भी इंसान को केवल इंसान समझेंगे। वे पत्रिका पढ़कर सामाजिक न्याय के अग्रदूत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों से अवश्य प्रेरित होंगे और स्वयं को उनके जैसा मानव बनाने का भरसक प्रयास करेंगे।

अंत में पत्रिका के दृश्यांकन सुंदर मुद्रण आदि के लिए समस्त टीम को बधाई।

धन्यवाद

राजेश कुमार 'माँझी'
हिंदी अधिकारी
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

सम्पादक : सुधीर हिलसायन

सम्पादकीय सम्पर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन सम्पर्क : 011-23357625

सितम्बर 2015

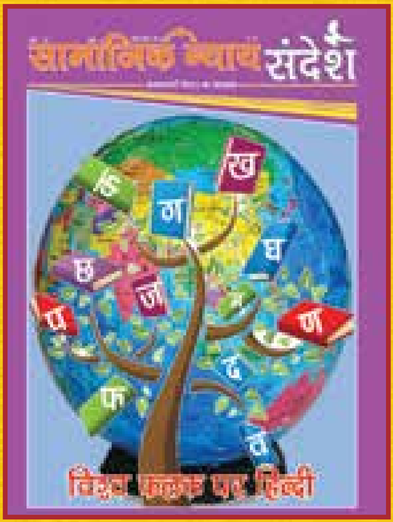
सामाजिक न्याय संदेश
विश्व फलक पर हिन्दी

अक्टूबर 2015

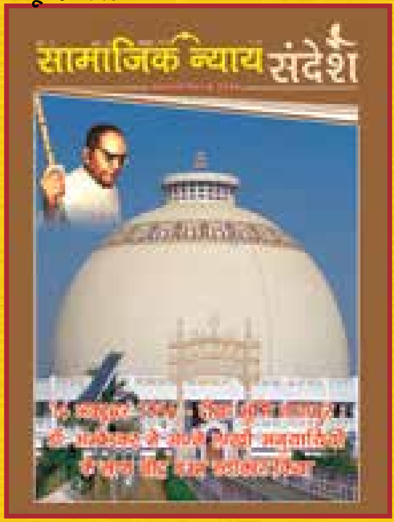
सामाजिक न्याय संदेश

नवम्बर 2015

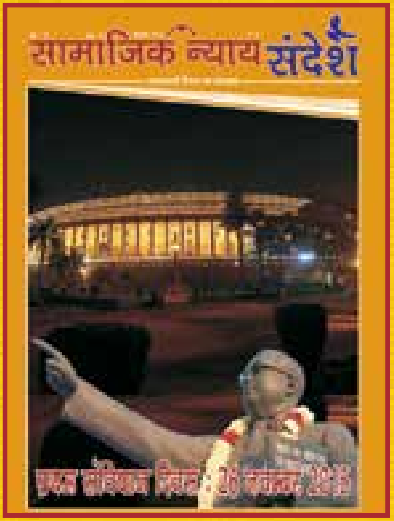
सामाजिक न्याय संदेश
प्रथम संविधान दिवस : 26 नवम्बर 2015

दिसम्बर 2015

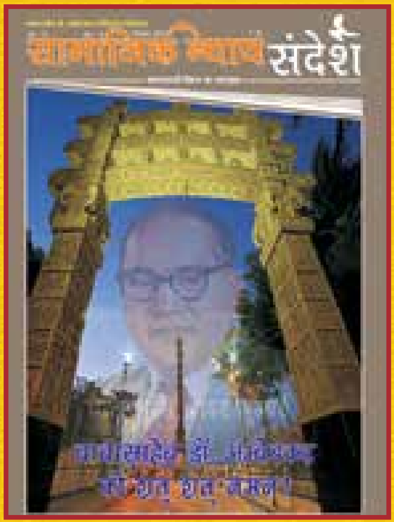
सामाजिक न्याय संदेश
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को शत शत नमन!

जनवरी 2016

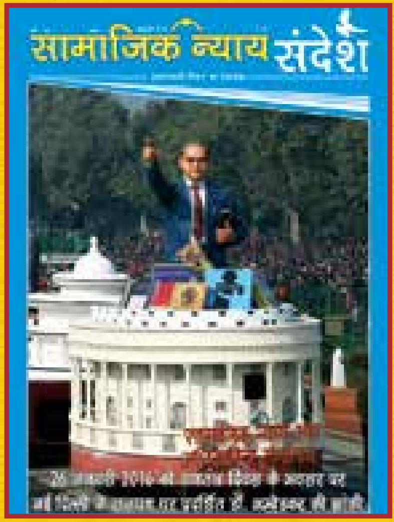
सामाजिक न्याय संदेश

फरवरी 2016

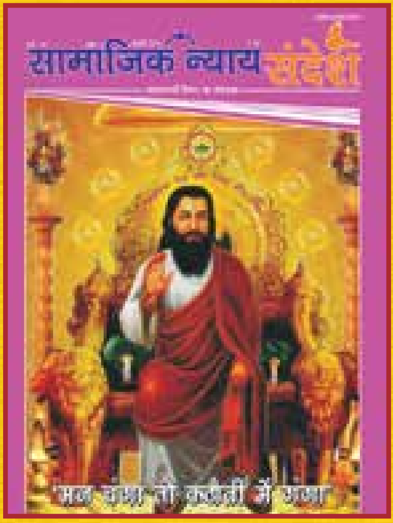
सामाजिक न्याय संदेश
मन चंगा तो कठौती में गंगा

स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23320588, 23320589, 23357625 फैक्स: 23320582
E-mail: hilsayans@gmail.com / Website: www.ambedkarfoundation.nic.in
पत्रिका उपर्युक्त वेबसाइट पर पढ़ी/देखी जा सकती है।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुन: आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए **एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-,** का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

- सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्क: वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर...दिनांक.......................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं....................................ई.मेल: ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110 001 **फोन न.** 011-23320588, 23320589, 23357625

फार्म—IV

(नियम 8 के अन्तर्गत)

'सामाजिक न्याय संदेश' के स्वामित्व का विवरण

1. प्रकाशक का स्थान : डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 जनपथ, नई दिल्ली—110001

2. प्रकाशन की अवधि : मासिक

3. मुद्रक का नाम : **जी.के. द्विवेदी**
नागरिकता : भारतीय
पता : डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
15 जनपथ, नई दिल्ली—110 001

4. प्रकाशक का नाम : **जी.के. द्विवेदी**
नागरिकता : भारतीय
पता : डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
15 जनपथ, नई दिल्ली—110 001

5. सम्पादक का नाम : **सुधीर हिलसायन**
नागरिकता : भारतीय
पता : डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान,
15 जनपथ, नई दिल्ली—110 001
011—23320588

6. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समस्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक अंश के साझेदार व हिस्सेदार हैं। : **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान**
15, जनपथ, नई दिल्ली—110 001
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय – भारत सरकार)

मैं **जी.के. द्विवेदी,** यह घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

जी.के. द्विवेदी
(प्रकाशक)

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी** द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : **सुधीर हिलसायन**